



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का
प्रतिवेदन

29/5/96

संघ सरकार

1995 की संख्या 24 (वाणिज्यिक)

CAG

3SI.7232R

NS.1

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
(विपणन प्रभाग एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार)



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

संघ सरकार

1995 की संख्या 24 (वाणिज्यिक)

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
(विपणन प्रभाग एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार)



संसदीय प्रकाशन विभाग - दिल्ली

कि

प्रकाशित

संख्या

सं. १५३३ (२)

PARLIAMENT LIBRARY
Central Govt. Publications
No. No. 15 951 33 (2)
Date . . . 13/9/96

CA G
351-7232 R
NS j l

संसदीय प्रकाशन विभाग - दिल्ली

सं. १५३३ (२)

विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	i
	विहंगावलोकन	iii
1.	प्रस्तावना	1
2.	विपणन प्रचालन	6
3.	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	21
4.	द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का विपणन	33
5.	उत्पाद हानियां	49
6.	सुविधा आयोजना	53
7.	वित्तीय निष्पादन	61
8.	सामग्री प्रबन्धन और मालसूची नियंत्रण	78
9.	श्रमबल विश्लेषण	82
	अनुबन्ध	87

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में उन कम्पनियों और निगमों के निष्पादन का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए लेखापरीक्षा बोर्ड गठित किए जाते हैं जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

2. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभाग) पर प्रतिवेदन को एक लेखापरीक्षा बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप दिया गया था, जिसके निम्नलिखित सदस्य थे :-

1. श्री सी. के. जोसेफ उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं अध्यक्ष लेखापरीक्षा बोर्ड
13 दिसम्बर 1993 से 20 मार्च 1995
2. श्री रमेश चन्द्र उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं अध्यक्ष लेखापरीक्षा बोर्ड
6 अप्रैल 1995 से
3. श्री आर. एस. प्रसाद प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड-II, बम्बई
4. श्री शैलेन्द्र पांडे प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड- II, नई दिल्ली
5. श्री ए. पी. भल्ला अंशकालिक सदस्य,
पूर्व अध्यक्ष, आई. बी. पी. कं. लि.
6. श्री वी. दीनदयालु अंशकालिक सदस्य, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
मद्रास रिफाइनरिज लिमिटेड

7. श्री जगबंस सिंह सहायक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक)
एवं सचिव, लेखापरीक्षा बोर्ड,
6 जुलाई 1995 से

अंशकालिक सदस्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सहमति से भारत सरकार द्वारा (कम्पनी अथवा निगम को नियंत्रित करने वाले सम्बन्धित मंत्रालय अथवा विभाग में) नियुक्त किए जाते हैं।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ 27 नवम्बर 1995 को हुई चर्चाओं को ध्यान में रखने के बाद लेखापरीक्षा बोर्ड द्वारा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया गया था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक बोर्ड द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हैं।

विहंगावलोकन

I. प्रस्तावना

30 जून 1959 को पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन कार्य करने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी उद्यम इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड निगमित किया गया था। वेहतर समन्वय के लिए, दि इंडियन रिफाइनरिज लिमिटेड, जिसे अगस्त 1958 में शुरू किया गया था, को पहली सितम्बर 1964 से इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल) के गठन के लिए इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड केसाथ विलय कर दिया गया था।

(पैरा 1.1.0)

कम्पनी के कार्यकलापों में मुख्यतया कूड आयल का परिष्करण, केनालाइजिंग एजेंट के रूप में कूड आयल/पेट्रोलियम उत्पादों का आयात/निर्यात, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन तथा पेट्रोलियम सम्बन्धी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास शामिल थे। हाल ही में कम्पनी के कार्यकलापों की लो.उ.स. द्वारा 28 अप्रैल 1995 को दसवीं लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत की गई उनकी 42वीं रिपोर्ट (1994-95) में स्वप्रेरणा से जांच की गयी थी। मौजूदा मूल्यांकन में समग्र वित्तीय निष्पादन के निरीक्षण सहित मुख्यतया कम्पनी के विपणन कार्य और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग शामिल हैं।

(पैरा 1.1.3 और 1.2)

कम्पनी 1989-90 से लेकर प्रत्येक वर्ष सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती रही है। 1992-93 के बाद से समझौता ज्ञापन में वित्तीय लाभों पर अधिक बल दिया गया। केवल इस घटक ने ही मूल्यांकन में 50 प्रतिशत प्रभावशालिता की मांग की है। अनुवर्ती वर्षों के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल और वित्तीय लाभों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य पिछले वर्षों के वास्तविकों से काफी कम थे। पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में बाजार भाग, जो 1991-92 तक एक समझौता ज्ञापन लक्ष्य था और जिसमें कम्पनी "हाई केस" लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी, 1992-93 से समझौता ज्ञापन से हटा दिया गया था। तथापि, 1995-96 से इसे दोबारा शामिल कर लिया गया था।

(पैरा 1.5.0 से 1.5.2)

नियोजित पूंजी की प्रतिशतता के रूप में निवल लाभ के लिए 1994-95 का लक्ष्य 9.14 प्रतिशत था। संचालित मूल्य निर्धारण के अन्तर्गत कम्पनी को नियोजित पूंजी पर, जिस सीमा तक यह निवल मूल्य द्वारा वित्त पोषित की जाती है, एक 12 प्रतिशत का पश्च कर प्रतिफल सुनिश्चित किया जाता है। 1994-95 वर्ष के लिए

वास्तविक नियोजित पूंजी निवल मूल्य से काफी कम थी। इस प्रकार, 12 प्रतिशत से काफी कम स्तरों पर नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का तर्काधार स्पष्ट नहीं था।

(पैरा 1.5.3)

कार्यकारी पूंजी में अधिक परिवर्तन हुए थे और इसलिए वर्षानुवर्ष नियोजित पूंजी में परिवर्तन हुए। इस प्रकार, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल इस कम्पनी के लिए निष्पादन का एक विश्वसनीय सूचक नहीं था।

(पैरा 1.5.4.)

II. विपणन प्रचालन

विनियमित वृद्धि के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने बिक्री योजना हकदारी (एस.पी.ई.) की धारणा लागू की (अगस्त 1976)। तदनुसार, समग्र बिक्री में प्रत्येक विपणन कम्पनी का भाग सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। आई ओ सी (एम डी) का भाग, जो 1976-77 में 61 प्रतिशत था, 1988-89 तक उस समय के एस पी ई फार्मूला द्वारा 56 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था और 1989-90 के बाद से भाग 56.6 से 56.7 प्रतिशत के बीच परिवर्तित होता रहा था। कम्पनी 1991-92 से 1994-95 तक पिछले चार वर्षों के दौरान भी एस पी ई लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

(पैरा 2.3.0 से 2.3.5)

अपने मौजूदा रूप में, एस पी ई विपणन पहल को रोकता है और हकदारी सीमाओं से परे किसी विपणन प्रयास के लिए इन-बिल्ट अप्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। यह हकदारी भाग की उपलब्धि में कमी का इस बात का प्रावधान करते हुए क्षतिपूर्ति करता है कि कम्पनी, जिसका भाग इसके एस पी ई से अधिक हो जाता है, घाटे वाली कम्पनी के साथ विपणन मार्जिन का भाग बांटेगी।

(पैरा 2.3.6)

उद्योग बिक्री की तुलना में आई ओ सी (एम डी) की बिक्रियों की तुलना से पता चला कि इसका बाजार भाग 1988-89 में 56.2 प्रतिशत से कम होकर 1994-95 में 53.96 प्रतिशत तक हो गया था।

(पैरा 2.4.1)

यद्यपि आई ओ सी (एम डी) की सीधी बिक्री इसकी प्रत्यक्ष बिक्री के लिए इसके एस पी ई से अधिक थी, फिर भी एस पी ई की तुलना में खुदरा व्यापार में गिरावट आयी, जिसके परिणामस्वरूप समग्र बिक्री कुल एस पी ई से कम रही।

(पैरा 2.4.3)

बिटुमैन का पैक किए गए ड्रमों तथा थोक में विपणन किया जाता है। 1985-86 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान, कम्पनी ने पैक किए गए बिटुमैन की इसके लक्ष्यों से अधिक आपूर्ति की थी तथा कुछ राज्यों के मामले में इसने थोक आपूर्तियों में अपने लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किए थे।

(पैरा 2.5.4)

थोक बिटुमैन की तुलना में पैक किए गए बिटुमैन के मूल्य में इनबिल्ट आर्थिक सहायता का एक घटक होता है। पैक किए गए बिटुमैन के मूल्य में इस प्रकार की आर्थिक सहायता का बहुत कम औचित्य था। इस तथ्य के बावजूद कि पिछले वर्षों में ड्रमों के लिए उपयुक्त इस्पात की लागत में वृद्धि होती रही थी, 1986 से पैक किए गए बिटुमैन की मूल्य संरचना में ड्रमों की लागत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(पैरा 2.5.6)

1984-85 से 1988-89 के दौरान ए टी एफ के एस के ओ से कम ग्रेडेशन के कारण कम्पनीको 3.79 करोड़ रु. की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, इसमें एस के ओ की बिक्री पर सरकारी आर्थिक सहायता के रूप में 3.06 करोड़ रु. का एक अतिरिक्त वहिर्गमन भी अन्तर्ग्रस्त था।

(पैरा 2.6)

आर्थिक नीति के उदारीकरण के साथ, सरकार ने 1993 में केरोसीन का समानान्तर विपणन अनुमत्त किया। प्राइवेट पार्टियों के पास अवसंरचना के अभाव के कारण ऐसे आयात, जो केरोसीन के कुल आयातों का मात्र थोड़ा सा प्रतिशत (1994-95 के दौरान 12.7%) बनते थे, भी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा किए गए थे। ऐसी सूचनाएं थी कि आसानी से पता लगाने और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए पी डी एस केरोसीन में मिलाया गया नीला रंग मुक्त व्यापार केरोसीन के साथ पी डी एस केरोसीन मिलाने के प्रयोजनार्थ कुछ निहित स्वार्थों द्वारा आसानी से अलग कर दिया जाता है।

(पैरा 2.7)

रेलवे के साथ निपटान हेतु लम्बित दावों के प्रति 31.3.1995 को 41.43 करोड़ रु. की कुल राशि बकाया थी। इन दावों के निपटान की प्रगति कम थी।

(पैरा 2.8.1)

III. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

कम्पनी का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग देश में समस्त तेल उद्योग की ओर से कूड आयल और घाटे वाले पेट्रोलियम उत्पादों के आयात तथा नेफथा, एन जी एल, एफ ओ, आदि जैसे बेशी पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए एक केनालाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता रहा है।

(पैरा 3.1)

तेल समन्वय समिति (ओ सी सी) द्वारा संकलित तेल मितव्ययिता बजट (ओ ई बी) पर आधारित, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा एक नीति सम्बन्धी पेपर तैयार किया जाता है जिसमें कूड आयल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात एवं निर्यात के लिए नीति का पता लगाया जाता है। "टर्म" ठेकाओं पर तथा "स्पाट" बाजार से खरीदी जाने वाली प्रमात्राओं की भी रूपरेखा तैयार की जाती है।

(पैरा 3.2.1)

1994-95 को समाप्त हुए पिछले 7 वर्षों के दौरान, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में मुख्यतया परिष्करण क्षमता की कमी के कारण 1988-89 में 6.385 एम एम टी से 1994-95 में 13.373 एम एम टी तक पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। कूड के आयात में भी 1988-89 में 17.332 एम एम टी से 1993-94 में 30.820 एम एम टी की वृद्धि रही तथा 1994-95 में इसमें 27.348 एम एम टी तक थोड़ी सी कमी आई थी।

(पैरा 3.3.0 व 3.3.1)

कूड आयल और पेट्रोलियम उत्पादों "टर्म" ठेकाओं पर और "स्पाट" बाजार में खरीदे जाते हैं। "स्पाट" मूल्य सामान्यतया "टर्म" मूल्यों से अधिक होते हैं। "टर्म" तथा "स्पाट" आधार पर आयातित कूड आयल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के एक विश्लेषण से पता चला कि 1990-91 से 1994-95 (1993-94 को छोड़कर) तक की अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों और 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान कूड आयल की "स्पाट" खरीद "टर्म" ठेकाओं के अन्तर्गत की गई खरीदों से अधिक थी। "टर्म" ठेकाओं के अन्तर्गत कूड आयल का वास्तविक आयात "टर्म" व्यवस्था के अन्तर्गत आयात के लिए परिकल्पित प्रमात्राओं से सदैव ही इस तथ्य के बावजूद कम था कि आयातित कुल प्रमात्राएं या तो नीति सम्बन्धी पेपर में दर्शायी गई या सरकार द्वारा मूल रूप में अनुमोदित प्रमात्राओं से अधिक थी। कम्पनी ने अब निविदा के माध्यम से कूड आयल के लिए "टर्म" ठेकाओं को अंतिम रूप प्रदान करने में पहल की है।

(पैरा 3.3.2 से 3.3.10)

कम्पनी ने वर्ष 1988 के दौरान \$ 17.30/ बैरल पर बसराह लाईट के औपचारिक बिक्री मूल्य पर तत्कालीन यू एस एस आर के एस एन ई से 4.025 एम एम टी कूड आयल का आयात किया। उसी कूड के लिए इराक के सोमो द्वारा विस्तारित बाजार सम्बन्धित मूल्य उनके सरकारी बिक्री मूल्य, जो इस ठेके से जोड़ा गया था, से कम था। अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में असामान्य परिवर्तन के मामले में ठेकागत मूल्य की समीक्षा के लिए ठेके में प्रावधान किया गया।

एस एन ई ठेके के अन्तर्गत सरकारी बिक्री मूल्य और बसराह लाईट के बाजार सम्बन्धित मूल्य के बीच अन्तर 1988 में \$ 120 मिलियन परिकल्पित किया गया। कम्पनी इसका लाभ नहीं उठा सकी क्योंकि यह

एस एन ई के साथ ठेके के अनुसार कि इसने औपचारिक बिक्री मूल्य के अलावा किसी अन्य मूल्य पर एस ओ एम ओ से बसराह लाईट कूड आयल वास्तव में प्राप्त किया, कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सकी।

(पैरा 3.4)

आयातों और निर्यातों के लिए एक केनालाइजिंग एजेंट के रूप में कम्पनी ने 1984-85 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान आयातों और निर्यातों पर भारी विलम्ब शुल्कें अदा की। ऐसा मुख्यतया अपर्याप्त पत्तन सुविधाओं से उत्पन्न होने वाले वैसलों के लम्बे अवरोधन समय के कारण हुआ। प्रमुख पत्तन प्रतिबन्ध जेट्टी की अपर्याप्त संख्या, ड्राफ्ट सम्बन्धी रुकावटें, सही नौवहन सुविधाओं का अभाव, पुरानी और कम डायामीटर की डिस्चार्ज पाइपलाईन आदि थे। विलम्ब शुल्कें ओ सी सी से प्राधिकरणों पर आधारित पूल लेखे से वसूल किए जाते हैं।

(पैरा 3.6.1 से 3.6.3)

IV. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का विपणन

कम्पनी ने घरेलू उपयोग हेतु केरोसीन के लिए प्रतिस्थापन (एस के ओ) के रूप में 1965 में "इंडेन" के ब्रांड नाम के तहत एल.पी.जी. शुरू की।

(पैरा 4.1.0)

जबकि एल.पी.जी. की बिक्री के लिए कम्पनी का बाजार हिस्सा 50% था, इसका स्वामित्व कम्पनी में कुल बोटलिंग क्षमता का मात्र 44% था।

(पैरा 4.3.1)

सितम्बर 1995 के अन्त में थोक एल.पी.जी. के लिए कम्पनी की कुल भंडारण क्षमता में 30 दिनों की आवश्यकता के प्रति कम्पनी की बोटलिंग क्षमता का मात्र 18 दिन शामिल करने का प्रावधान था।

(पैरा 4.3.5)

एल.पी.जी. के कनेक्शन के लिए प्रतीक्षारत घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

(पैरा 4.4.2)

भारत सरकार ने अगस्त 1993 में एल.पी.जी. का समानान्तर विपणन अनुमत किया। प्राइवेट पार्टियों को थोक में या बाजार निर्धारित मूल्यों पर सिलिंडरों में पैक की गई एल.पी.जी. का विपणन और आयात अनुमत किया गया था। तथापि, प्राइवेट पार्टियां अधिक एल.पी.जी. लाने में सक्षम नहीं रहीं क्योंकि उन्होंने अपने आप एल.पी.जी. हेतु किसी आयात सुविधा का विकास नहीं किया था। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल

कम्पनियों की मौजूदा सुविधाओं का उपयोग करते हुए समानान्तर विपणनकर्ताओं ने 1994-95 में 41000 मी ट एल.पी.जी का आयात किया।

(पैरा 4.4.4 व 4.4.5)

रेलवे टैंक वैगनों की अधिप्राप्ति में विलम्ब के कारण बहुत अधिक लागत पर थोक एल.पी.जी. का सड़की यातायात बढ़ गया है। थोक एल.पी.जी. के लाने लेजाने के लिए मौजूदा रेल टैंक वैगन क्षमता समग्र रूपसे अपर्याप्त है। कुल थोक एल.पी.जी. के संचरण का तीन चौथाई अब सड़क द्वारा किया जाता है।

(पैरा 4.5.5)

एल.पी.जी. बाजार में लगभग 50% का मुख्य हिस्सा होने के बावजूद कम्पनी के पास एल.पी.जी. के आयात हेतु अपनी कोई सुविधा नहीं है।

(पैरा 4.6.2)

हजीरा और हल्दिया में आयात सुविधाओं के सृजन के लिए 1987 की कम्पनी की योजनाओं को नवम्बर 1995 तक मूर्तरूप प्रदान नहीं किया गया था।

(पैरा 4.6.3)

कांडला में आयात सुविधा के लिए कम्पनी की परियोजना के अनुमोदन होने में विलम्ब था। इसके परिणामस्वरूप अन्तः ईंधन प्रतिस्थापन का गैर फलन हुआ और केरोसीन के आयात में 160 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैरा 4.6.4 से 4.6.9)

बोटलिंग संयंत्रों की प्रचालन लागत संचालित मूल्य निर्धारण क्रियाविधि के अन्तर्गत अनुमत प्रचालन लागत से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप 1991-92 में 129.26 लाख रु. से 1994-95 में 945.48 लाख रु. तक प्रचालन लागत की कम वसूली हुई।

(पैरा 4.8.5)

एल.पी.जी. बोटलिंग संयंत्रों में स्टॉक हानि के लिए ओ सी आर सी द्वारा निर्धारित 0.25 प्रतिशत के प्रतिमान के प्रति 1985-86, 1986-87 और 1987-88 वर्षों के लिए वास्तविक हानि की प्रतिशतताएं क्रमशः 0.78, 0.35 और 0.58 थीं। प्रबन्धन द्वारा निर्धारित प्रतिमान 0.5 प्रतिशत था जो बाद में संशोधित करके 1988-89 में 0.4 प्रतिशत, 1990-91 में 0.3 प्रतिशत और 1993-94 तथा 1994-95 में 0.25 प्रतिशत तक कर दिया गया था।

(पैरा 4.8.7)

मौजूदा संचालित मूल्य निर्धारण क्रियाविधि के अन्तर्गत तेल कम्पनियों को उनके द्वारा अधिप्राप्त एल.पी.जी. सिलिंडरों की लागत की पूरी प्रतिपूर्ति की जाती है। जबकि तेल कम्पनियां ये जमाएं एल.पी.जी. ग्राहकों से इकट्ठा करती हैं, वास्तव में वे एल.पी.जी. सिलिंडरों पर कोई धन निवेश नहीं करती। इस प्रकार ग्राहकों से ब्याज मुफ्त जमाओं की उपलब्धता तेल कम्पनियों को इन निधियों पर ब्याज की मात्रा की एक अतिरिक्त लाभ सुविधा प्रदान करती है।

(पैरा 4.10.2)

V. उत्पाद हानियां

प्रतिष्ठानों में सदैव स्टॉक लाभ रहे थे जबकि डिपुओं में हानियां रही थीं। तथापि, डिपुओं में हानियों का प्रतिष्ठापनों में दशयि गए लाभों द्वारा मुजरा किया गया था तथा निवल स्टॉक हानियां लक्ष्यों के भीतर थीं।

(पैरा 5.1.6)

1984-85 से 1994-95 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा उठायी गयी स्टॉक हानियों के मूल्य और मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के माध्यम से इन हानियों के प्रति वूसल की गई राशि के एक विश्लेषण से पता चला कि स्टॉक हानियों में गिरावट के कारण कम्पनी को 59.57 करोड़ रु. की राशि का लाभ हुआ। समुद्री हानियों में कमी के कारण कम्पनी को 1988-89 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान 13.04 करोड़ रु. की राशि का लाभ भी हुआ।

(पैरा 5.1.7)

VI. सुविधा आयोजना

आई ओ सी देश में 29 स्थानों पर लगभग 80 टर्मिनलों/प्रतिष्ठानों में से 39 (ए ओ डी के 3 सहित) का प्रचालन करती है। अन्य विपणन कम्पनियों अर्थात् एच पी सी, बी पी सी और आई बी पी के क्रमशः 19,18 और 4 टर्मिनल हैं। देश में 250 कम्पनी प्रचालित डिपुओं में से आई ओ सी 124 का प्रचालन करती है तथा एच पी सी और बी पी सी क्रमशः 64 और 59 का प्रचालन करती हैं। सात उत्पाद पाइपलाईनों में से आई ओ सी का छः पर स्वामित्व है।

(पैरा 6.1)

आई ओ सी (विपणन प्रभाग) के लिए आठवीं योजना परिव्यय को योजनागत व्यय हेतु इसके 2449.97 करोड़ रु. के अनुमान के प्रति 341.41 करोड़ रु. तक स्थिर किया गया है। इस प्रकार, अनुमोदित परिव्यय मुश्किल से एक वर्ष के व्यय के लिए पर्याप्त है। यद्यपि कम्पनी को इसकी वार्षिक योजनाओं पर आधारित अनुमोदित परिव्यय से अधिक परिव्यय करने के लिए अनुमत किया गया था, फिर भी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय मात्र 489.52 करोड़ रु. था। कम्पनी की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए

इसका कम ऋण इक्विटी अनुपात और बहुत कम इक्विटी आधार, कम्पनी को अपने योजनागत व्यय को पूरा करने के लिए इसके अपने संसाधनों को बढ़ाने हेतु कम्पनी को अनुमत न करने के कारण स्पष्ट नहीं थे।

(पैरा 6.2)

तेल उद्योग ने आपूर्ति में विघटनों के प्रति रक्षोपाय के लिए अतिरिक्त भंडारण सुविधाओं को बनाने का प्रस्ताव किया (अप्रैल 1979)। अतिरिक्त उत्पाद टैंकेज (ए पी टी) परियोजना चरणों में कार्यान्वित हुई। ए पी टी चरण। के अन्तर्गत कम्पनी ने 26.77 करोड़ रु. की लागत पर अतिरिक्त टैंकेज के 5.09 लाख के एल के सृजन की परिकल्पना की (जून 1981) जिसे पी आई बी द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। परियोजना अंतिम रूप से मार्च 1988 तक 4.79 लाख के एल के टैंकेज के लिए 31.50 करोड़ रु. की लागत पर पूरी की गयी थी। इसी प्रकार परियोजना के चरण II-ए के अन्तर्गत 16.23 करोड़ रु. की कुल लागत पर जून 1987 में सरकार द्वारा अनुमोदित 30 स्थानों पर 1.82 लाख के एल के लिए टैंकेज के प्रति कम्पनी ने 27 स्थानों पर 1.80 लाख के एल के लिए परियोजना पूरी की।

(पैरा 6.3., 6.4 व 6.5.1)

जबकि 1983-84 से 1994-95 तक टैंकेज क्षमता 70 प्रतिशत तक बढ़ी, उसी अवधि के दौरान धूपट 147 प्रतिशत तक बढ़ा। जबकि ए पी टी कार्यक्रम में 45 दिनों का कवर मुहैया कराने का लक्ष्य था, कम्पनी का मौजूदा टैंकेज मात्र 22 दिन का धूपट का कवर उपलब्ध करा सका।

(पैरा 6.6.1)

भंडारण के लिए उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता तथा पुनः 1991-92 से 1992-93 के दौरान तेल घयन बोर्ड के कार्य न करने के कारण कम्पनी 1985-86 से 1988-89 के दौरान लक्षित एस के ओ/ एल डी ओ की पर्याप्त संख्या का सृजन नहीं कर सकी।

(पैरा 6.8.1)

VII. वित्तीय निष्पादन

समीक्षाधीन वर्षों के दौरान आरक्षितियों और बेशियों में निरन्तर वृद्धि रही है। 31.3.1995 को मुफ्त आरक्षितियां और बेशी, 1994-95 में बोनस शेयरों के जारी करने के बाद, प्रदत्त पूंजी की 16 गुणा थी।

(पैरा 7.1.2)

कम्पनी अपने पूंजीगत व्यय को 81 से 83 प्रतिशत तक आन्तरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों के माध्यम से और शेष को उधारों से वित्तपोषित कर रही थी। सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं थी।

(पैरा 7.1.4)

कम्पनी के पास निवेश योग्य संसाधनों का पर्याप्त रूप से बड़ा पूल था जोकि आंशिकरूप से इसके अपने प्रचालनों से और आयातों को वित्तपोषित करने के लिए आंशिक रूपसे प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋणों से बना था। कम्पनी के निवेशों में मुख्यतया सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी बांड, भा यू ट्र के यूनिट और अन्य सहयोगी निधियों के शेयर शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्षों के दौरान निवेशों पर औसत प्रतिफल उधार की लागत से अधिक था।

(पैरा 7.1.5)

ओ सी सी से वूसली योग्य बढ़ते हुए बकायों और आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट को अल्पावधि विदेशी ऋणों से आयातों को वित्तपोषित करने के स्रोत में परिवर्तन के साथ कम्पनी की कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं में 1988-89 में 634.35 करोड़ रु. से 1993-94 में 4411.84 करोड़ रु. तक वृद्धि हुई और ओ सी सी से बकायों में कमी के कारण 1994-95 के अन्त तक 2608.46 करोड़ रु. तक कमी हुई।

(पैरा 7.1.0 व 7.1.8)

जबकि 1994-95 में बिक्री के मूल्य में 1988-89 की तुलना में वृद्धि 88 प्रतिशत थी, बेचे गए पेट्रोलियम उत्पादों की प्रमात्रा मात्र 25 प्रतिशत तक बढ़ी थी। बिक्री के मूल्य में वृद्धि की प्रचुरता पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में बढ़ोत्तरी वाले संशोधन और एक केनालाइजिंग एजेंट के रूप में अन्य तेल कम्पनियों को बेचे गए कूड आयल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि के कारण थी।

(पैरा 7.2.1)

निवल लागत पर प्रतिफल 1989-90 से 1993-94 तक निरन्तर कमी दर्शा रहा था।

(पैरा 7.3.2)

विपणन प्रभाग कम्पनी के समग्र लाभों के प्रति मुख्य अंशदाताओं में से एक अंशदाता था। जबकि विपणन प्रभाग के लाभों में 1993-94 की तुलना में 1994-95 में 16.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गयी, 1992-93 के दौरान शोधनशाला प्रभाग के लाभ और 1992-93 से पाइपलाइन डिवीजन के लाभ में खास कमियां दर्शायी गई थी।

(पैरा 7.6.1)

मुफ्त सुपुर्दगी जोन के अन्दर और उससे परे सुपुर्दगी प्रभागों के संशोधन न किए जाने के कारण कम वूसली 1989-90 में 4.36 करोड़ रु. से बढ़कर 1994-95 में 60.28 करोड़ रु. हो गयी।

(पैरा 7.8.6 व 7.8.7)

VIII. सामग्री प्रबन्धन

कल्याणी (कलकत्ता) में एल.पी.जी. बोटलिंग संयंत्र में 1986 से नए एल.पी.जी. सिलिंडरों को निष्क्रिय और व्यर्थ रखने के परिणामस्वरूप 0.43 करोड़ रु. प्रतिवर्ष की परिणामी ब्याज हानि के साथ 2.47 करोड़ रु. की कार्यकारी पूंजी का अवरोधन हुआ।

(पैरा 8.4)

IX. श्रमबल विश्लेषण

विपणन कार्यकलापों के लिए लगाया गया श्रमबल अन्य कार्यकलापों के लिए श्रमबल की वृद्धि दर से ऊंची दर पर बढ़ा। स्टाफ की तुलना में अधिकारियों का अनुपात भी विपणन प्रभाग में समग्र संगठन के लिए अनुपात की बजाय सदैव अधिक ही रहा।

(पैरा 9.1.1)

1. प्रस्तावना

1.1 विरचन

1.1.0 इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड, पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी, पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन कार्यों को करने के लिए 30 जून 1959 को निगमित की गई थी। बाद में, शोधनशालाओं और विपणन के बीच वेहतर समन्वय के लिए इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड के साथ इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड (अगस्त 1958 में शुरू की गयी) के समामेलन द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) को पहली सितम्बर 1964 को स्थापित किया गया था। इंडियन आयल कारपोरेशन के चार प्रभाग हैं:-

1. बम्बई स्थित मुख्यालय पर विपणन प्रभाग;
2. नई दिल्ली स्थित मुख्यालय पर रिफाइनरीज तथा पाइपलाइन डिवीजन;
3. डिगबोई स्थित मुख्यालय पर असम आयल डिवीजन ; और
4. फरीदाबाद स्थित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

1.1.1 असम आयल डिवीजन की स्थापना 14 अक्टूबर 1981 को असम आयल कम्पनी लिमिटेड के परिष्करण एवं विपणन प्रचालनों के लेने पर हुई थी।

1.1.2 कम्पनी का पूर्ण रूप से एक सहायक कम्पनी अर्थात् इंडियन आयल ब्लेडिंग लिमिटेड पर स्वामित्व है जोकि स्नेहक तेलों और ग्रीज के विनिर्माण में लगी है। सहायक कम्पनी के उत्पादों का भी कम्पनी द्वारा विपणन किया जाता है।

1.1.3 तत्कालीन इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड, जो उपरोक्त कहे गए अनुसार मात्र विपणन कार्यों में लगी हुई थी, के कार्यचालन की पहले समीक्षा की गयी थी तथा इन्हें 1965 के लिए सरकारी कम्पनियों हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। लोक उपक्रम समिति (लो उ स) ने मार्च 1967 में तीसरी लोक सभा की अपनी 35 वीं रिपोर्ट में और अप्रैल 1969 में चौथी लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत की गई 39 वीं की गई कार्रवाई रिपोर्ट में इंडियन आयल कम्पनी के कार्य की स्वप्रेरणा से समीक्षा की। कम्पनी के विपणन कार्यकलापों की वर्ष 1970-71 के लिए संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग-VII के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में अंतिम समीक्षा की गयी थी। कम्पनी में तब रिफाइनरीज और पाइपलाइन डिवीजन तथा विपणन प्रभाग के नाम से जानी जाने वाली केवल दो मुख्य डिवीजनें थीं। लो. उ.स. ने अपनी 49वीं रिपोर्ट

(1973-74) और 73वीं की गयी कार्रवाई रिपोर्ट (1975-76) में इस पर विचार किया। हाल ही में कम्पनी के कार्यकलापों की लो.उ.स. द्वारा उनकी 42वीं रिपोर्ट (दसवीं लोक सभा), जो संसद को 28 अप्रैल 1995 को प्रस्तुत की गई थी, में स्वप्रेरणा से जांच की गई थी।

1.1.4 1970-71 के बाद, कम्पनी ने काफी बढ़त प्राप्त की है तथा अपने कार्यकलापों में बहुविध वृद्धि की है।

1.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

1.2.0 1988-89 से 1992-93 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए कम्पनी के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग सहित विपणन प्रभाग के कार्य की लेखापरीक्षा में सामान्यतया समीक्षा की गयी थी। तथापि, कतिपय खण्डों में पिछले वर्षों के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों की भी दीर्घावधि प्रवृत्तियों के मूल्यांकन हेतु विश्लेषण किया गया है। उनसे उद्भूत और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए उनके प्रति निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उनके विपणन में कम्पनी के निष्पादन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों, तेल उद्योग में कम्पनी का बाजार हिस्सा, एल.पी.जी., बिटुमैन आदि जैसे विशेष गुण युक्त उत्पाद के वितरण एवं विपणन, कूड आयल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के केनालाइज्ड आयात और बेशी उत्पादों के निर्यात, विपणन अवसंरचना की आयोजना तथा निष्पादन, उत्पाद हानियों तथा पेट्रोलियम उत्पादों के संचालित मूल्य निर्धारण के समग्र परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के वित्तीय निष्पादन और लाभप्रदता पर आगामी अध्यायों में चर्चा की गई है।

1.2.1 कम्पनी के रिफाइनरीज और पाइपलाईन डिवीजनों के कार्य पर एक पृथक मूल्यांकन भी संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

1.3 उद्देश्य

1.3.0 सरकार द्वारा अनुमोदित (जून 1984) कम्पनी के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- सरकारी नीतियों के अनुसरण में तथा इनके अनुकूल तेल एवं सम्बन्धित क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना।
- कूड परिष्करण, यातायात और विपणन कार्यकलापों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की निरन्तर तथा बराबर आपूर्तियां अनुरक्षित एवं सुनिश्चित करना तथा अधिक दक्षता से पेट्रोलियम उत्पादों को बनाए रखने तथा इनके उपयोग हेतु उपभोक्ता को उचित सहायता मुहैया कराना।
- निवेश पर प्रतिफल की उचित दर अर्जित करना।

- पर्याप्त घरेलू क्षमता स्थापित करके तेल परिष्करण के क्षेत्र में आत्म निर्भरता की प्राप्ति और कूड/पेट्रोलियम उत्पादों के लिए पाइप बिछाने के लिए विशेषज्ञता विकसित करने के प्रति कार्य करना।
- तेल परिष्करण के क्षेत्र में मजबूत अनुसंधान एवं विकास आधार का सृजन करना और नए पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों, यदि कोई हों, में कमी करने/उन्हें घटाने के विचार से नए पेट्रोलियम उत्पादों के प्रतिपादन के लिए विकास को प्रोत्साहित करना और
- दक्षता में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मौजूदा सुविधाओं को उपयोग बढ़ाना।

1.4 आयातों और निर्यातों का डिकेनालाइजेशन

1.4.0 पहले कूड आयल का आयात तथा तकरीबन सभी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात और निर्यात कम्पनी के माध्यम से केनालाइज किए जाते थे। आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप सरकार ने जुलाई 1991 से लेकर बहुत से पेट्रोलियम उत्पादों को डिकेनालाइज कर दिया है। भारत सरकार ने विशेष आयात लाइसेंस के प्रति उपभोक्ताओं को ए टी एफ (एक्विशन टरबाईन फ्यूल) का आयात करने हेतु सक्षम बनाते हुए निर्यात एवं आयात नीति 1992-1997 में संशोधन किया (जुलाई 1994)। कम्पनी ने ए टी एफ का आयात करने में एयरलाइनों की सहायता की (अक्टूबर 1994)। परन्तु पूर्वव्यापी प्रभाव से सरकार द्वारा लागत और भाड़ा अधिभार लगाने के साथ कम्पनी ने ये आयात रोक दिए चूंकि ये और अधिक लाभप्रद नहीं थे। सितम्बर 1995 तक एल.पी.जी. और केरोसीन, जिनका संयुक्त क्षेत्र एवं प्राइवेट सेक्टर द्वारा समानान्तर रूप से विपणन किया जा रहा है सहित 9 उत्पादों को डिकेनालाइज किया गया है और उन पर सीमाशुल्क को भी क्रमिक रूप से घटाया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के उदारीकरण में प्रमुख घटनाओं का क्रम अनुबन्ध-1 में दिया गया है।

1.4.1 तथापि, कम्पनी ने देश की मांग को पूरा करने के लिए और संचालित एवं रिआयती मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री हेतु एल.पी.जी. तथा केरोसीन के आयात को जारी रखा है।

1.5 समझौता ज्ञापन

1.5.0 कम्पनी 1989-90 से सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती रही है। चयनित प्रत्यक्ष तथा वित्तीय क्षेत्रों के स.ज्ञा. लक्ष्य और पिछले वर्षों में कम्पनी के समग्र निष्पादन का अंदाजा लगाने के लिए उनको दिए गए लाभ अनुबन्ध-11 में दिए गए हैं।

1.5.1 पेट्रोलियम उत्पादों (बाजार भाग) की बिक्री के मामले को छोड़कर कम्पनी ने "ऊंचे" लक्ष्य प्राप्त किए थे तथा इसे 1994-95 तक सभी छः वर्षों के लिए क्रमिक रूपसे बहुत बढ़िया माना गया था। पेट्रोलियम उत्पादों (बाजार भाग) की बिक्री के मामले में कम्पनी 1989-90 से 1991-92 के दौरान "ऊंचे" लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी और 1992-93 के बाद से इसे एक स.जा. पारामीटर नहीं माना गया। तथापि, लेखापरीक्षा बोर्ड की मीटिंग (नवम्बर 1995) के दौरान मंत्रालय द्वारा यह बताया गया था कि 1995-96 से बाजार भाग को पुनः स.जा. में शामिल कर लिया गया था।

1.5.2 यह उल्लेखनीय था कि स.जा. में वित्तीय लाभों पर निन्तर अधिक बल दिया गया था और वर्ष 1992-93 के बाद से अकेले इस घटक का कम्पनी के निष्पादन के मूल्यांकन में 50 प्रतिशत लाभ बनता था। इसके अतिरिक्त, अनुवर्ती वर्षों के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल और वित्तीय लाभों के लिए निर्धारित लक्ष्य पिछले वर्ष के लिए वास्तविक लक्ष्यों से काफी कम थे।

1.5.3 नियोजित पूंजी की प्रतिशतता के रूप में कर के बाद निवल लाभ के लिए लक्ष्य (ऊंचा मामला) 1994-95 के लिए 9.14 था। संचालित मूल्य निर्धारण क्रियाविधि के अन्तर्गत कम्पनी को उस सीमा तक, जिस तक कि नियोजित पूंजी निवल मूल्य द्वारा वित्तपोषित की जाती है, नियोजित पूंजी पर 12 प्रतिशत पश्च कर का प्रतिफल सुनिश्चित किया जाता है। 1994-95 के अंत में नियोजित पूंजी (वास्तविक) और निवल मूल्य के आंकड़े इस प्रकार थे :-

	करोड़ रु. में
नियोजित पूंजी	5488.10
निवल मूल्य	6491.96

जैसा ऊपर उल्लेख किया गया, संचालित मूल्य निर्धारण के आधार पर कम्पनी ने पहले ही निवल मूल्य पर 12 प्रतिशत पश्च कर अर्जन किया है। इस प्रकार की स्थिति में 12 प्रतिशत (पश्च कर) से निम्न स्तरों पर नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का तर्काधार स्पष्ट नहीं था। इस संदर्भ में विचार किए गए लक्ष्यों की तुलना में काफी ऊंचे वास्तविक लक्ष्यों से किसी अतिरिक्त दक्षता या उपलब्धि का वास्तव में पता नहीं चलता था।

1.5.4 इसके अतिरिक्त जैसाकि पैरा 7.1.0 की पंक्ति (झ) तथा (च) में पाया गया और पैरा 7.1.8 में भी उल्लेख किया गया, कम्पनी की कार्यकारी पूंजी और इस प्रकार नियोजित पूंजी में वर्षानुवर्ष तेजी से परिवर्तन होते रहें हैं। इस प्रकार स.जा. लक्ष्य के रूप में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का निर्धारण इस कम्पनी के लिए निष्पादन का एक विश्वसनीय सूचक नहीं था। मंत्रालय के साथ लेखापरीक्षा बोर्ड की मीटिंग (नवम्बर 1995) में सचिव (पेट्रोलियम) ने स.जा. में वित्तीय लक्ष्यों के निर्धारण पर विचार करने का वायदा किया।

1.6 विपणन प्रभाग का संगठनात्मक गठन और नेटवर्क

1.6.0 बम्बई स्थित इसके मुख्यालय पर और निदेशक (विपणन) की अध्यक्षता के अन्तर्गत विपणन प्रभाग के बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की अध्यक्षता या तो कार्यकारी निदेशकों अथवा महाप्रबन्धक द्वारा की जाती है। दो असम आयल डिबीजन सहित 44 मंडलीय कार्यालय हैं। 31 मार्च 1995 को कम्पनी के 39 थोक भंडारण प्रतिष्ठापन (ए ओ डी के 3 प्रतिष्ठापनों सहित) और 117 भंडारण डिपु थे जिनसे 5995 खुदरा निर्गम तृप्त किए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त 2898 केरोसीन/लाईट डीजल आयल डीलर थे जिन्होंने भी डिपुओं से इन उत्पादों को बिक्री के लिए 4379 उपभोक्ता निर्गमों तक भेजा। अपने प्रतिष्ठापनों और डिपुओं में कम्पनी के पास 3.93 मिलियन किलोलीटर का कुल उत्पाद टैंकेज था।

1.6.1 भारत में विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. का प्रमुख उत्पादक और वितरक होने के कारण कम्पनी के एल.पी.जी. विपणन करने के लिए 32 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 31 मार्च 1995 को कम्पनी के पास प्रतिवर्ष 11.92 लाख टन की कुल बोटलिंग क्षमता के 33 एल.पी.जी. बोटलिंग संयंत्र थे। इंडेन कुकिंग गैस (एल.पी.जी.) 12 मिलियन घंटों में वितरित की जाती है।

1.6.2 इंडियन आयल घरेलू वाहकों और रक्षा सेवाओं के अलावा 59 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए देश के एवियेशन फ्यूल की तकरीबन 66.8 प्रतिशत (1992-93 में 68.2 प्रतिशत) का विपणन करता है। देश में 117 एवियेशन फ्यूल स्टेशनों में से इंडियन आयल 93 का प्रचालन करता है।

2. विपणन प्रचालन

2.1 मुख्य विपणन कार्य

2.1.0 विपणन प्रचालनों में निम्नलिखित मुख्य कार्य शामिल हैं :-

1. देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए कूड आयल/पेट्रोलियम उत्पादों का आयात।
2. बेशी पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात
(उपरोक्त दोनों कार्य निगमित कार्यालय, नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के साथ समन्वय से किए जाते हैं।)
3. पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण अर्थात् उपभोक्ताओं की मांगों के अनुसार पूरे देश में अवस्थितियों पर विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों को उपलब्ध कराना।

2.2 पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण

2.2.0 पेट्रोलियम उत्पाद तीन श्रेणियों अर्थात् फार्मूला उत्पाद गैर फार्मूला उत्पाद और मुफ्त व्यापार उत्पादों (एफ टी पी) में विभक्त किए जाते हैं। फार्मूला उत्पाद वे उत्पाद हैं जिनके सीलिंग बिक्री मूल्य सरकार द्वारा लागत और प्रतिफल आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। गैर फार्मूला उत्पाद वे विशेष उत्पाद हैं जिनके सीलिंग बिक्री मूल्य भी सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं परन्तु उनके मूल्य फार्मूला उत्पादों पर लागू आधार से भिन्न आधार पर निर्धारित किए गए थे। तेल कम्पनियां मुक्त व्यापार उत्पादों के लिए उनके अपने बिक्री मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, सरकार रिफाइनरी से विपणन कम्पनी तक मुक्त व्यापार उत्पाद के "अन्तरण मूल्य" का निर्धारण करती है। सितम्बर 1995 को इन श्रेणियों के अन्तर्गत उत्पाद निम्नानुसार थे :

फार्मूला उत्पाद

एवियेशन गैसोलीन,
एवियेशन टरबाइन फ्यूल (ए.टी. एफ.),
मोटर स्पिरिट (एम.एस.),
हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.),
सुपीरियर केरोसीन आयल (एस.के.ओ.),
लाईट डीजल आयल (एल. डी. ओ.),
फर्नेस आयल (एफ. ओ.),

लो सल्फर हैवी स्टाक (एल. एस. एच. एस.),
हाई पेट्रोलियम स्टाक (एच. पी. एस.),
पैराफीन वैक्स,
नेफ्था,
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.)
बिटुमैन,
एन जी एल,

मुक्त व्यापार उत्पाद

:

बेंजीन,
टोलीन,,
एरोमैक्स,
लाइनियर अल्काईल बेंजीन फीड स्टाक (एल.ए.बी.एफ.एस.),
स्लैक वैक्स,
हिकसेन,
आई ओ सी सोल्वेंट-90,
जूट बेचिंग आयल (जे.बी.ओ.),
मिनरल टरपेंटाईन आयल (एम.टी.ओ.),
राॅ पेट्रोलियम कोक (आर.पी.सी.),
केल्सियम पेट्रोलियम कोक (सी.पी.सी.),
एच टी ओ, हेपटेन,
सी -5 + रिफारमेट,
स्नेहक/ग्रीज,
सी बी एफ एस/पी ई एक्स टी,
आर टी फ्यूल,

2.2.1 तेल कम्पनियों के विचारों को ध्यान में रखने के बाद तेल मूल्य समीक्षा समिति (जून 1991) इस निष्कर्ष पर पहुंची कि "गैर-फार्मूला उत्पाद" एक अलग वर्गीकरण रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इससे कोई लाभदायक प्रयोजन पूरा नहीं होता था। परन्तु यह वर्गीकरण जुलाई 1994 तक जारी रहा।

2.2.2 "संचालित मूल्य निर्धारण क्रियाविधि" के अन्तर्गत विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा अपनायी गई प्रणाली का सार अनुबन्ध - III में दिया गया है।

2.3 बिक्री योजना हकदारी

2.3.0 "बिक्री योजना हकदारी" (एस पी ई) द्वारा प्रतिबन्धित के रूप में विपणन कम्पनियों को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए आज्ञा दी जाती है। तेल मूल्य समिति (अगस्त 1976) की अनुशंसा के अनुसार एक "बिक्री योजना" अगस्त 1976 में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ में शुरू की गई थी जब बर्मा शैल और इसो दोनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देश में विभिन्न तेल कम्पनियों की नियमित वृद्धि का प्रावधान करने का विचार था। इसका उद्देश्य तेल कम्पनियों के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त कार्यक्षेत्र मुहैया कराना और कर-श्रोत प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करने का था।

2.3.1 पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में कम्पनी (ए ओ डी के हिस्से सहित) का बाजार भाग 1975-76 में 66 प्रतिशत था। एस पी ई, जैसाकि 1976 में सोच निकाला गया, से आई ओ सी (ए ओ डी को छोड़कर) की एस पी ई को 1976-77 के लिए 61 प्रतिशत पर स्थिर किया गया और यह परिकल्पना की गयी कि उद्योग की वार्षिक संवृद्धि का 50 प्रतिशत कम्पनी को उपचित होगा और शेष 50 प्रतिशत असम तेल डिवीजन (ए ओ डी) सहित अन्य विपणन कम्पनियों के बीच उनके पिछले वर्ष की एस पी ई के अनुपात में बांट दिया जाएगा। इस फार्मूला से आई ओ सी के खर्च पर अन्य विपणन कम्पनियों की त्वरित वृद्धि प्रदान की गई और आई ओ सी (ए ओ डी को छोड़कर) का हिस्सा 1988-89 तक 56 प्रतिशत घटा दिया गया, जबकि प्रमात्रात्मक मायनों में एस पी ई में कोई कमी नहीं हुई।

2.3.2 कम्पनी के अभिवेदन, जिसके बाद प्रति अभिवेदन और चर्चाओं का क्रम जारी रहा, के परिणामस्वरूप इस बात पर सहमति हुई कि कम्पनीवार एस पी ई एक समान वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित होगी। इस पर आधारित, ओ सी सी ने एक नए सिद्धांत के अन्तर्गत 1989-90 के लिए कम्पनीवार, उत्पादवार एस पी ई को अंतिम रूप से सोच निकाला, जो 1.10.1989 से प्रभावी हुआ।

2.3.3 नए एस पी ई, जो अब प्रचलन में हैं, की मुख्य- मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :-

(क) एस पी ई मात्र गैर मुक्त व्यापार उत्पादों (गैर एफ टी पी) तक सीमित रहेगा।

- (ख) 1987-88 की कम्पनी की एस पी ई (एल.पी.जी. के मामले को छोड़कर) पर समान वृद्धि दर लागू करते हुए 1989-90 से कम्पनीवार एस पी ई का विकास किया जाएगा।
- (ग) एस पी ई 1987-88 के अनुसार गैर एफ टी पी के लिए आई ओ सी (ए ओ डी को छोड़कर) का बाजार हिस्सा 56.6% बना। समान वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित भविष्य में आई ओ सी का बाजार हिस्सा उसी स्तर पर रहेगा।
- (घ) एम एस और एच एस डी की सीधी और खुदरा बिक्री के लिए एक अलग एस पी ई होगा।
- (ङ) केवल "प्राइस कंट्रोल्ड ग्रेड (पी सी सी) ल्यूब्स" ही एस पी ई में शामिल की जाएंगी।
- (च) नेफ्था और एफ ओ /एल एस एच एस ग्राहकों का बंटवारा किया जाएगा ताकि प्रत्येक कम्पनी के लिए ग्राहकों की संभाव्यता इसके एस पी ई के अनुसार होगी।
- (छ) बिटुमैन के सम्बन्ध में यद्यपि थोक तथा पैक किए गए बिटुमैन के लिए कोई अलग एस पी ई नहीं होगी फिर भी तेल कम्पनियों को थोक तथा पैक किए गए आवंटनों से बाधित होना पड़ेगा।
- (ज) यदि किसी कम्पनी की विशेष उत्पाद की बिक्री इसके एस पी ई से अधिक हो जाती है तो कम्पनी एस पी ई से अधिक बिक्री के सम्बन्ध में पूंजी पर प्रतिफल का 100 प्रतिशत और सामान्य (प्रचालन) लागतों का 50 प्रतिशत (पूंजी पर प्रतिफल का 60 प्रतिशत और एम एस/एच एस डी खुदरा बिक्री के मामले में सामान्य लागतों का 50 प्रतिशत) तेल पूल को अभ्यर्पित करेगी तथा तदनुसार कमी के लिए पूल से दावा करेगी।

2.3.4 निम्नलिखित तालिका समस्त उद्योग एस पी ई की तुलना में आई ओ सी (ए ओ डी को छोड़कर) की एस पी ई को दर्शाती है :-

वर्ष	उद्योग मांग (एस पी ई) एम एम टी	आई ओ सी (ए ओ डी को छोड़कर) एस पी ई एम एम टी	आई ओ सी की वास्तविक बिक्री एम एम टी	3 की 2 से प्रतिशतता	4 की 3 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1983-84	36.8	21.4	21.06	58.15	98.41
1984-85	37.9	22.0	22.37	58.05	101.68
1985-86	41.6	23.8	23.15	57.21	97.27
1986-87	43.7	24.8	25.09	56.75	101.17

1987-88	46.4	26.2	26.28	56.47	100.31
1988-89	49.8	27.9	28.14	56.02	100.86
1989-90*	51.8	29.4	29.38	56.65	99.93
1990-91*	50.9	28.9	29.74	56.78	102.91
1991-92*	54.8	31.1	30.65	56.75	98.55
1992-93*	58.2	33.0	31.29	56.70	94.82
1993-94*	61.0	34.5	31.85	56.56	92.32
1994-95*	62.2	35.2	34.46	56.59	97.90

* प्राइस कंट्रोल्ड ल्यूब को छोड़कर

2.3.5 उपरोक्त से यह पता चलता है कि एस पी ई में आई ओ सी (ए ओ डी को छोड़कर) का भाग, जो 1976-77 में 61 प्रतिशत तक अधिक था, 1988-89 में घटकर 56 प्रतिशत तक रह गया और तब से लेकर यह संशोधित एस पी ई फार्मुला को ध्यान में रखकर तकरीबन 56.6 से 56.8 प्रतिशत पर न्यूनाधिक स्थिर बना रहा था। इसके अतिरिक्त कम्पनी 1991-92 से 1994-95 तक किसी भी पिछले चार वर्षों के दौरान अपने एस पी ई लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

2.3.6 बिक्री योजना हकदारी हक योग्य सीमाओं से परे किसी विपणन प्रयास के इनबिल्ट हतोत्साहन के रूप में कार्य करती है। वास्तव में यह बाजार के हकदारी हिस्से की उपलब्धि में कमी को यह कह कर बताती है कि कम्पनी, जो अपनी एस पी ई से आगे निकल गयी हो, विपणन मार्जिन का एक भाग घाटे वाली कम्पनी के साथ बांटेगी। इस प्रकार मुक्त व्यापार उत्पादों, जो पेट्रोलियम उत्पादों के कुल स्पैक्ट्रम का बहुत सीमित भाग होते हैं, को छोड़कर वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न तेल कम्पनियों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।

2.4 समग्र बिक्री निष्पादन

2.4.0 प्रतिशतता मायनों में एक स्थिर स्तर तक एस पी ई को दूढ़ निकालने के बवजूद कम्पनी (ए ओ डी को छोड़कर) 44 प्रतिशत पर बी पी सी, एच पी सी, आई बी पी और ए ओ डी के औसत संयुक्त भाग के प्रति 56 प्रतिशत पर विपणन पेट्रोलियम उत्पादों में मुख्य भाग का आनन्द उठाती है। निम्नलिखित तालिका समस्त उद्योग बिक्री की तुलना में आई ओ सी (ए ओ डी को छोड़कर) की वास्तविक बिक्री (गैर एस पी ई उत्पादों सहित सभी उत्पादों की) दर्शाती है :-

वर्ष	उद्योग बिक्री	आई ओ सी की बिक्री	आई ओ सी का बाजार शेयर (3 की 2 से प्रतिशतता)
1	2	3	4
	एम एम टी	एम एम टी	
1983-84	35.84	21.06	58.76
1984-85	38.79	22.37	57.67
1985-86	40.87	23.15	56.64
1986-87	43.66	25.09	57.47
1987-88	46.40	26.28	56.64
1988-89	50.06	28.14	56.21
1989-90	54.05	30.13	55.74
1990-91	55.00	30.59	55.62
1991-92	56.99	31.50	55.27
1992-93	58.92	32.11	54.50
1993-94	60.76	32.65	53.74
1994-95	65.57	35.38	53.96

2.4.1 उपरोक्त से यह पता चलता है कि कम्पनी के वास्तविक बाजार शेयर ने 1988-89 (56.21%) से 1993-94 (53.96%) तक के वर्षों के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी थी। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1995) कि ऐसा मुख्यतया नेफ्था, एच एस डी और एफ ओ/एल एस एच एस की बिक्री में कमी के कारण था। जबकि नेफ्था और एफ ओ/एल एस एच एस बिक्री में कमी आई ओ सी के नेफ्था/एफ ओ/एल एस एच एस ग्राहकों के अन्य तेल कम्पनियों को उनके बाजार हिस्सेदारी में सुधार करने के लिए 1980 में आवंटन के कारण थी, एच एस डी के मामले में रक्षा तथा रेलवे जैसे सरकारी क्षेत्रों में कम वृद्धि रही, जहां आई ओ सी का गैर सरकारी क्षेत्रों को छोड़कर कारोबार योगदान क्रमशः 98% और 92% से अधिक है।

2.4.2 कम्पनी की कुल बिक्री में बड़े संगठनों और औद्योगिक इकाइयों को थोक में सीधी बिक्री और खुदरा वहिर्गमन के माध्यम से बिक्री शामिल है। 1990-91 से 1994-95 तक की अवधि के लिए सीधे और खुदरा

व्यापार के अन्तर्गत कम्पनी की प्रोराटा बिक्री योजना हकदारी (वास्तविक उद्योग बिक्री पर आधारित प्रोराटा) के संदर्भ में कम्पनी (ए ओ डी को छोड़कर) के वास्तविक निष्पादन पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(एम एम टी में)

वर्ष	एस पी ई (प्रोराटा)			वास्तविक		
	सीधी	खुदरा	जोड़	सीधी	खुदरा	जोड़
1990-91	16.51	13.72	30.23	16.57	13.17	29.74
1991-92	16.81	14.44	31.25	16.86	13.79	30.65
1992-93	16.45	15.77	32.22	16.78	14.51	31.29
1993-94	16.43	17.00	33.42	16.66	15.19	31.85
1994-95	17.76	18.46	36.22	18.01	16.45	34.46

टिप्पणी : सभी एल.पी.जी. और एस.के.ओ. बिक्री को खुदरा बिक्री के रूप में माना जाता है।

2.4.3 उपरोक्त से यह पता चलता है कि बेशक वास्तविक प्रत्यक्ष बिक्री एस पी ई से अधिक थी, फिर भी एस पी ई की तुलना में बिक्री में समग्र कमी के प्रति एस पी ई योगदान की तुलना में वास्तविक खुदरा बिक्री में तेजी से गिरावट हुई थी।

2.4.4 प्रबन्धन के अनुसार मोटर स्पिरिट और "हाई स्पीड डीजल आयल" के विपणन के लिए कम्पनी का खुदरा नेटवर्क इन उत्पादों के लिए खुदरा बिक्री हेतु इसकी बिक्री योजना हकदारी के सम्बन्ध में उच्च तौर पर अपर्याप्त था। आई ओ सी को नए खुदरा वहिर्गमन का आबंटन खुदरा बिक्री के लिए 56.8% के इसके एस पी ई के प्रति 1993 तक 40% पर स्थिर किया गया था। परिणामस्वरूप वर्षानुवर्ष खुदरा बिक्री में कमी आई जिससे बिक्री लक्ष्यों की उपलब्धि प्रभावित हुई।

2.5 बिटुमैन की बिक्री

2.5.0 बिटुमैन कूड आयल के आंशिक आसवन का अवशेष होता है। इसके बढ़िया जमाने वाले और वाटरप्रूफ होने के गुणों को ध्यान में रखते हुए इसका सड़क विनिर्माण में तत्काल उपयोग किया जाता है।

2.5.1 बिटुमैन का पैक किए गए ड्रमों और थोक में विपणन किया जाता है। 1985-86 से 1994-95 तक की अवधि के लिए कम्पनी और उद्योग के लिए लक्ष्यों की तुलना में थोक और पैक किए गए बिटुमैन की प्रवृत्ति को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है :-

	(प्रमात्रा 000 मी ट में)					
	थोक			पैक की गयी		
	लक्ष्य	वास्तविक	निष्पादन	लक्ष्य	वास्तविक	निष्पादन
	बिक्री		(%)	बिक्री		(%)
1985-86 उद्योग	390.0	391.0	100.3	710.0	726.4	102.3
आई ओ सी	169.1	188.8	111.6	301.9	315.6	104.5
1986-87 उद्योग	470.0	524.6	111.6	780.0	764.7	98.0
आई ओ सी	208.0	261.6	125.8	338.0	326.6	96.6
1987-88 उद्योग	639.0	641.9	100.5	781.0	738.0	94.5
आई ओ सी	287.0	325.2	113.3	344.0	329.7	95.8
1988-89 उद्योग	830.0	732.0	88.2	750.0	753.7	100.5
आई ओ सी	378.0	356.8	94.4	333.0	340.1	102.1
1989-90 उद्योग	862.0	968.1	112.3	778.0	729.7	93.8
आई ओ सी	393.0	456.8	116.2	357.0	344.7	96.6
1990-91 उद्योग	1108.0	946.3	85.4	738.0	636.8	86.3
आई ओ सी	528.2	501.8	95.0	345.8	306.8	88.7
1991-92 उद्योग	1112.0	1118.8	100.6	625.0	600.9	96.1
आई ओ सी	524.0	550.4	105.0	288.0	280.3	97.3
1992-93 उद्योग	1248.0	1243.4	99.6	587.0	584.0	99.5
आई ओ सी	597.0	587.1	98.3	271.0	274.8	101.4
1993-94 उद्योग	1410.0	1262.9	89.6	551.0	575.7	104.5
आई ओ सी	682.0	613.9	90.0	256.0	278.3	108.7
1994-95 उद्योग	1432.0	1373.9	95.9	548.0	519.0	94.7
आई ओ सी	695.0	722.0	103.9	255.0	271.4	106.4

2.5.2 1988-89 के दौरान थोक बिटुमैन की बिक्री लक्ष्यों से कम थी। ऐसी ही स्थिति पुनः 1990-91, 1992-93 और 1993-94 में उत्पन्न हुई। दूसरी ओर पैक किए गए बिटुमैन की बिक्री के लिए लक्ष्य 1990-91 तक न्यूनाधिक उसी स्तर पर रखे गए थे और उसके बाद इनमें कमी आई। यह निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए थोक में बिटुमैन की बिक्री को बढ़ाने हेतु सरकारी नीति के अनुपालना में था:-

- क) बिटुमैन पैक करने के लिए उपयोग की गई मूल्यवान इस्पात की शीट के अपव्यय को रोकना, जिसका अंशतः आयात किया जा रहा है।
- ख) इस्पात की शीटों के आयात पर खर्च की गयी विदेशी मुद्रा के वहिर्गमन को कम करना।
- ग) पैकेजिंग की लागत पर परिहार करते हुए उपभोक्ता को सस्ती दर पर बिटुमैन उपलब्ध कराना।

2.5.3 बिटुमैन की थोक बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने शोधनशाला के 350 कि मी के अर्द्धव्यास घेरे के अन्दर पैक किए गए बिटुमैन की आपूर्ति न करने की प्रणाली लागू की (3.6.85)। इस नयी प्रणाली से उत्पन्न कुछ कठिनाइयों के कारण मंत्रालय ने 19 दिसम्बर 1986 से अपना कार्यान्वयन रोक दिया। बाद में अप्रैल 1987 में मंत्रालय ने तेल कम्पनियों को इस नयी प्रणाली को इस शर्त के अधीन समाप्त करने की सलाह दी कि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तेल उद्योग द्वारा निर्धारित अनुपात में पैक किए गए और थोक बिटुमैन को खरीदने के लिए अपेक्षा करनी चाहिए।

2.5.4 1985-86 से 1993-94 तक की अवधियों के लिए तेल उद्योग द्वारा तैयार किए गए और ओ सी सी (प्रतिवर्ष अप्रैल में) को प्रस्तुत किए गए बिक्री मूल्यांकन से ऐसा देखा गया था कि कम्पनी ने अपने लक्ष्यों से अधिक पैक किया गया बिटुमैन आपूर्त किया था; परन्तु थोक आपूर्तियों में इसने कुछ राज्यों के मामले में अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए थे। कम्पनी द्वारा पैक किए गए बिटुमैन की अधिक आपूर्तियों के करने के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

पैक की गयी आपूर्तियां वर्ष	राज्यों की संख्या	लक्ष्य		थोक	वास्तविक पैक किया गया	(मी ट में)	
		थोक	पैक किया गया			थोक में कमी	पैक किए गए में आधिक्य
1985-86	6	89700	96000	59600	126900	30100	30900
1986-87	1	3300	28000	2200	29000	1100	1000
1987-88	2	33000	19500	27500	22200	5500	2700
1988-89	6	155400	127200	124600	137200	30800	10000
1989-90	3	89000	71300	78300	72900	10700	1600
1990-91	2	59900	29700	54900	29900	5000	200
1992-93	4	267400	66300	241100	67800	26300	1500
1993-94	5	218900	79300	194800	80000	24100	700
							48600

1991-92 और 1994-95 वर्षों के दौरान थोक बिटुमैन की बिक्री में कोई कमी नहीं थी।

2.5.5 यद्यपि पैक किए गए के प्रति थोक अनुपात एक समग्र आधार पर रखा गया था, फिर भी कुछ राज्यों में पैक किए गए बिटुमैन की अधिक आपूर्तियों के मामले थे। प्रबन्धन ने बताया (जून 1989) कि थोक खपत में कमी मुख्यतया उपभोक्ताओं के पास भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण थी।

2.5.6 पैक की गई अवस्था में बिटुमैन बेचने में ड्रम लागत और भराई प्रभारों के रूप में अतिरिक्त लागत का घटक होता है। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि बेशक पैक किए गए बिटुमैन का अन्तिम बिक्री मूल्य थोक बिटुमैन से अधिक था, फिर भी मूल्य अन्तर बिटुमैन पैक करने में अन्तर्ग्रस्त अतिरिक्त लागत के अनुरूप नहीं था। उदाहरण के लिए 1.10.1986 को पैक किए गए बिटुमैन की मूल्य संरचना और परिकल्पित ड्रम की लागत (सी.शु. सहित) और भराई प्रभार प्रति मी ट 945.00 रु. था। इसके प्रति उस तारीख को थोक बिटुमैन की तुलना में पैक किए गए बिटुमैन की मूल्य संरचना, (उत्पाद शुल्क और विपणन मार्जिन को छोड़कर) में इनबिल्ट आर्थिक सहायता पैक किए गए बिटुमैन का प्रति मी ट 417.24 रु. थी। तेल कम्पनियों को प्रदत्त ड्रम की लागत और भराई प्रभारों में अनुवर्ती वृद्धि पर विचार करते हुए 1994-95 में आर्थिक सहायता तकरीबन प्रति मी ट 1000 रु. बनती थी। 1986 से 1995 तक की अवधि के दौरान पैक किए गए बिटुमैन की

मूल्य संरचना में ड्रमों की लागत में कोई संशोधन नहीं किया गया था। पैक किए गए बिटुमैन पर यह आर्थिक सहायता पैक किया गया उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है।

2.5.7 थोक बिटुमैन भंडारण सुविधा के निर्माण हेतु तेल उद्योग के माध्यम से ओ आई डी बी द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता की एक योजना पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जून 1985 में प्राधिकृत की गयी थी। कम्पनी को आबंटित 8 राज्यों में से केवल दो राज्य सरकारों अर्थात् कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने इस प्रयोजन हेतु वित्तीय सहायता का लाभ उठाया था।

2.5.8 पैक किए गए बिटुमैन पर आर्थिक सहायता अनुमत करने के पीछे तर्काधार स्पष्ट नहीं है तथा आर्थिक सहायता के जारी रहने का औचित्य नहीं बनता था जबकि सरकार थोक में बिटुमैन की बिक्री को प्रोत्साहित करना चाहती थी और सरकार ने थोक बिटुमैन भंडारण के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की योजनाएं भी लागू की थीं। आर्थिक सहायता थोक में बिटुमैन की बिक्री को प्रोत्साहित करने की सरकारी नीति के भी विपरीत थी।

2.6 आयातों/तटीय संचरणों में एवियेशन टर्बो फ्यूल (ए टी एफ) का डाउन ग्रेडेशन: हानि अन्तर्ग्रस्त

2.6.0 एवियेशन टर्बो फ्यूल (ए टी एफ) के आयात और तटीय संचरण के दौरान उत्पाद को कभी-कभी आंशिक रूप से अथवा पूरी प्रमात्रा में बढ़िया मिट्टी के तेल (एस के ओ) में डाउनग्रेड कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में डाउनग्रेड की गयी ए टी एफ की प्रमात्रा की लागत और एस के ओ के पूर्व शोधनशाला मूल्य के बीच अन्तर को ओ सी सी द्वारा कम्पनी को प्रतिपूरित किया जाता है। यदि ए टी एफ का एस के ओ डाउनग्रेडेशन कम्पनी की गलती के कारण होता है तो "ओ सी सी" पर ऐसे दावे तर्कसंगत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, एस के ओ (डाउनग्रेडिड ए टी एफ), जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के माध्यम से बाजार में बेचा गया तो इस पर सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है जिसे भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

2.6.1 ए टी एफ के आयातों/तटीय संचरण में एस के ओ में ए टी एफ के डाउनग्रेडेशन के कारण ओ सी सी/सरकार पर अनावश्यक भार अथवा परिहार्य हानि को निर्धारित करने के विचार से कारणों के साथ विवरण भी मंगाए गए थे और उनकी समीक्षा की गई। 1985-86 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान ए टी एफ के 45 आयात लदानों में ए टी एफ का 79,651 मी ट एस के ओ के रूप में प्राप्त किया गया था। इस डाउनग्रेड

की गई प्रमात्रा के लिए ए टी एफ और एस के ओ की लागत में अन्तर 288.64 लाख रु. बनता था। इसी प्रकार उसी अवधि के दौरान ए टी एफ के 101 तटीय संचरणों में ए टी एफ के 47,737 मी ट को डाउनग्रेड किया गया था और इस प्रमात्रा के लिए लागत में अन्तर 190.93 लाख रु. बनता था। विवरण भेजते समय कम्पनी ने बताया कि प्रचालनात्मक/गुणवत्ता नियंत्रण कारणों के कारण ए टी एफ की कुछ प्रमात्रा को सदैव उतारने वाले पत्तनों पर एस के ओ टैकों में लिया जाएगा। आगे इसने बताया कि ए टी एफ एक बहुत ही नाजुक गुणवत्ता नियंत्रण का उत्पाद था और इस प्रकार विभिन्न पत्तनों पर जहां लाईन अवयवों, पाइपलाईन की लम्बाई, अन्य प्रचालनात्मक आवश्यकता घटकों और गुणवत्ता नियंत्रण अपेक्षओं के कारण प्रचालनात्मक परिस्थितियों में अन्तर हो, डाउनग्रेडेशन की प्रमात्रा के लिए कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किया जा सकता।

2.6.2 मुख्य तथ्य कि प्रचालनात्मक कारणों को कारण डाउनग्रेडेशन अपरिहार्य है, कम्पनी की ओर से इसे आवश्यक बनाता है कि वह पिछले अनुभव और प्रत्येक पत्तन पर उपलब्ध सुविधाओं पर आधारित ऐसी डाउनग्रेडेशनों के लिए प्रतिमानों को स्थापित करे। 1985-86 से 1988-89 तक चार वर्षों के दौरान कुल आयातों में से डाउनग्रेडिड ए टी एफ की प्रमात्रा 5.39 प्रतिशत से 28.40 प्रतिशत के बीच रही। उस अवधि के दौरान तटीय संचरणों में वार्षिक डाउनग्रेडेशन 11.83 प्रतिशत से 15.89 प्रतिशत के बीच रहा। इससे पता चला कि डाउनग्रेड की गयी प्रमात्राओं में काफी अधिक अन्तर थे।

2.6.3 1984-85 में "नंधारी" (अगस्त 1984) और "नन्द किशोर" (अक्टूबर 1984) दो टैकरों को संरोच (एक इटली का पत्तन) और मद्रास पर बम्बई में उतारने के लिए ए टी एफ के साथ लादा गया था। उतारने के पत्तन पर प्राप्ति पर इन दो टैकरों में लादी गयी 23,352 मी ट की समस्त प्रमात्रा को डिस्पोर्ट किए गए जैट फ्यूल आक्सीडेशन परीक्षणों पर आधारित होने के कारण डाउनग्रेड किया गया था। इस डाउनग्रेडेशन की जांच के लिए गठित (नवम्बर 1984) समिति ने पाया कि टैकरों की पिछली समुद्री यात्राओं के दौरान ए टी एफ के 500 मी ट के साथ टैकरों नेफथा एच एस डी/एल एस एच एस, आदि को ले जाने की निर्बाधता जैसी कतिपय पद्धतियों और लदान पत्तनों पर अन्य प्रचालनात्मक पद्धतियों के अनुपालन में चूके थीं। तथापि दिसम्बर 1984 और अक्टूबर 1985 में कम्पनी द्वारा किए गए 106.25 लाख रु. के कुल दाबों का टैक मालिकों द्वारा जून 1991 में मात्र 15.45 लाख रु. के लिए निपटान किया गया।

2.6.4 इसके अतिरिक्त एस के ओ के रूप में ए टी एफ के इस डाउनग्रेडेशन के परिणामस्वरूप भी एस के ओ की बिक्री पर आर्थिक सहायता के रूप में 305.72 लाख रु. का वहिर्गमन हुआ।

2.7 सुपीरियर केरोसीन आयल का समानान्तर विपणन

2.7.0 सरकार ने दिसम्बर 1993 में केरोसीन का समानान्तर विपणन अनुमत किया। प्राइवेट पार्टियों को बाजार अवधारित मूल्यों पर देश में कहीं भी केरोसीन का आयात और बिक्री करने के लिए अनुमत किया गया था। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को संचालित मूल्य पर, जिसे अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की गयी थी, केरोसीन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताएं पूरी करनी थीं।

2.7.1 1993-94 (4 महीने) और 1994-95 दो वर्षों के दौरान प्राइवेट समानान्तर विपणनकर्ताओं ने केरोसीन का क्रमशः 1,03,300 मी ट और 5,37,000 मी ट का आयात किया। ये आयात सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा किए गए थे क्योंकि प्राइवेट पार्टियों के पास आयात करने की कोई अवसरचना नहीं थी। समानान्तर विपणनकर्ताओं द्वारा आयात किए गए कुल 6,40,300 मी ट में से आई ओ सी ने 4,11,500 मी ट का आयात किया जबकि शेष का बी पी सी और एच पी सी द्वारा आयात किया गया। परन्तु समय आधार पर ऐसे आयात केरोसीन के कुल आयातों का थोड़ा प्रतिशत (194-95 के दौरान 12.7%) था।

2.7.2 सा. वि. प्र. के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को आसानी से पता लगाने के लिए और केरोसीन का दुरुपयोग रोकने के लिए नीले रंग के साथ केरोसीन की आपूर्तियां करनी अपेक्षित हैं। तथापि, ऐसी सूचना मिली थी कि मुक्त व्यापार केरोसीन के साथ सा वि प्र केरोसीन मिलाने को प्रयोजनार्थ निहित स्वार्थों द्वारा यह रंग आसानी से हटाया गया है। लेखापरीक्षा बोर्ड के साथ चर्चाओं में सचिव (पी) द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि सा वि प्र केरोसीन को दुरुपयोग के लिए मुख्य कारण आर्थिक सहायता प्रदान किए गए और खुला बाजार केरोसीन के बीच अधिक मूल्य अन्तर था।

2.8 लम्बित निपटान रेलवे दावे

2.8.0 रेलवे दावे निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होते हैं :-

1. जब पेट्रोलियम उत्पादों को साथ प्रेषित वैगन अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचते और प्राप्तकर्ताओं से कोई पावती प्राप्त नहीं होती।
2. जब प्रेषित वैगन, वैगनो में रिसाब और उठाई गिरी के कारण दर्ज की गयी प्रमात्रा की तुलना में उत्पाद की कम प्रमात्रा के साथ अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचते हैं।
3. जहां रेलवे भाड़ा चार्ट के अनुसार कम्पनी द्वारा दर्ज किए गए विशेष उत्पाद के लिए प्रभार्य भाड़ा दर के प्रति अलग ऊंची भाड़ा दर प्रभारित करता है।

2.8.1 रेलवे पर कम्पनी द्वारा किए गए बकाया दावे मार्च 1990 के अन्त में 1547 लाख रु. से बढ़कर मार्च 1995 के अंत में 4143 लाख रु. हो गए। 31 मार्च 1995 का बकाया 4143 लाख रु. का अवधिवार विवरण नीचे दिया गया है :-

(लाख रु. में)

वर्ष	एन आर	इ आर	डब्ल्यू आर	एस आर	जोड़
1988 तक	140.43	370.30	40.16	16.06	566.95
1988-89	4.98	43.49	5.45	0.27	54.19
1989-90	15.35	57.97	50.91	18.35	142.76
1990-91	46.96	74.70	174.00	12.58	308.24
1991-92	46.84	201.64	200.18	24.84	473.50
1992-93	95.69	141.79	89.60	37.64	364.72
1993-94	232.22	196.51	66.30	80.90	575.93
1994-95	922.37	340.47	340.69	53.65	1657.18
	1504.84	1426.87	967.29	244.47	4143.47

2.8.3 इन दावों के विश्लेषण से निम्नलिखित बातों का पता चला:-

- 1988 तक बकाया दावों में 1982 से पूर्व अवधि के लिए बकाया दावे शामिल थे।
- 31 मार्च 1995 को 4143 लाख रु. के कुल बकाया दावों में से, 3172 लाख रु. गैर सुपर्दगी, 582 लाख रु. रिसाव/कमियों और शेष 389 लाख रु. भाड़ा प्रतिदायों के लिए है।
- बकाया दावों की राशि प्रतिवर्ष बढ़ रही है।

2.8.4 बकाया रेलवे दावों की समीक्षा के लिए गठित और कम्पनी के प्रतिनिधियों वाली "टास्क फोर्स कमेटी" द्वारा किए गए अध्ययन से निम्नलिखित के संदर्भ में बकाया रेलवे दावों को निपटाने में सभी क्षेत्रों द्वारा एक समान प्रणाली तथा क्रियाविधि के अननुपालन का पता चला :-

- कमी, गुम वैननों और भाड़े के प्रतिदाय के संबंध में किए जाने वाले दावे की प्रमात्रा/मूल्य/राशि का अवधारण।
- सम्बन्धित विषय पर कार्रवाई करने वाले विभागों द्वारा विशेष तारीख को किए गए, वापस लिए गए और बकाया दावों से सम्बन्धित आंकड़ों की सूचना और उनका आदान-प्रदान। रेलवे पर दावे करने,

जहां पर वे किए जाने हैं, को सुनिश्चित करने तथा दावों के प्रभावी निपटान को सुविधाजनक बनाने हेतु क्षेत्रों में कोई फूल प्रूफ सिस्टम नहीं है।

2.8.5 उपरोक्त अवलोकनों पर आधारित, टास्क फोर्स समिति ने अप्रैल 1987 में सुझाव दिया :

- 1) दावों को प्रस्तुत करने और उन पर रिपोर्ट आदि करने के सम्बन्ध में सभी क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक तर्क संगत समान प्रणाली को विकसित करना, और
- 2) विभिन्न श्रेणियों के बकायों के लिए प्रत्येक क्षेत्र द्वारा अनुसरण किया जाने वाला एक समयबद्ध कार्यक्रम और रेलवे दावों के तेजी से निपटान के लिए प्रभावी कार्रवाई करने हेतु विशेष कक्षा/बाह्य एजेंसियों को निर्धारित करना।

2.8.6 उपरोक्त अनुशंसाओं के आधार पर दावे प्रस्तुत करने, उनकी सूचना देने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के सम्बन्ध में एक तर्क संगत समान प्रणाली पहली अक्टूबर 1990 से सभी क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की गई थी और रेलवे दावों के परिनिर्धारण के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की सभी क्षेत्रों को सलाह दी गयी थी। परिनिर्धारण की प्रगति पर आवधिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के दौरान समीक्षा की जानी थी।

2.8.7 इसके बावजूद, कम्पनी के बकाया दावे 31 मार्च 1990 को 1,547 लाख रु. से बढ़कर 31 मार्च 1995 को 4,143 लाख रु. हो गए।

2.8.8 कम्पनी ने दावों के परिनिर्धारण में विलम्ब के निम्नलिखित कारण बताए :

- (i) पूर्वोत्तर में कानून एवं व्यवस्था स्थिति जिसके परिणामस्वरूप उ. पू. रेलवे के साथ दावों का निपटान नगण्य रहा तथा जो अकेले ही 300 लाख रु. मूल्य के दावे बने।
- (ii) पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बी पी टी एन (बोगी टाईप टैंक वैगन) को शुरू किए जाने के कारण रेलवे द्वारा अवरुद्ध किया गया प्रत्येक वैगन/बोगी हेतु दावों का मूल्य पर्याप्त रूप से अधिक बढ़ना।

2.8.9 कम्पनी ने यह भी बताया कि 31 मार्च 1995 को 4,143 लाख रु. के बकाया दावों के प्रति कम्पनी ने 5,426 लाख रु., जिसका वसूल न किए गए दावों के प्रति समायोजन नहीं किया गया था, मूल्य के न जोड़े गए टैंक वैगनों का निस्तारण किया था।

3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

3.1 प्रस्तावना

3.1.0 इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग कूड आयल और घाटे वाले पेट्रोलियम उत्पादों के आयात तथा नेफ्था, एन जी एल आदि जैसे बेशी पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए एक केनालाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता रहा है। शक्ति प्राप्त स्थायी समिति (ई एस सी), ऐसे मामलों में तेजी से निर्णय लेने हेतु सरकार द्वारा गठित एक निकाय, द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद विभाग ठेकाओं को अंतिम रूप देने में आगामी कार्रवाई करता है।

3.2 समग्र आयोजना एवं सामान्य पद्धति

तेल मितव्ययिता बजट/नीति

3.2.0 वर्ष के लिए एक "तेल मितव्ययिता बजट" (ओ ई बी) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तेल समन्वय समिति (ओ सी सी) द्वारा संकलित किया जाता है और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ओ ई बी कूड आयल की प्रमात्राओं, आयात के लिए घाटे के उत्पादों तथा निर्यात के लिए पेट्रोलियम उत्पादों, देशी कूड उपलब्धता और देशी परिष्करण क्षमता का वार्षिक मांग पर आधारित उपलब्ध बेशी उत्पादों का पता लगाता है।

3.2.1 ओ ई बी पर आधारित, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा एक नीति सम्बन्धी पेपर संकलित किया जाता है जो भारत की परिष्करण क्षमता के लिए उपयुक्त आपूर्ति के सभी उपलब्ध तथा संभाव्य स्रोतों तथा अन्य वाणिज्यिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय धारणाओं को ध्यान में रखने के बाद कूड आयल के आयात हेतु नीति का पता लगाता है। "टर्म" ठेकाओं पर तथा "स्पार्ट" बाजार से खरीद की जाने वाली प्रमात्राएं भी निरूपित की जाती हैं। भारत सरकार तेल उत्पादकों से सीधे "टर्म" आधार पर कूड आयल की आयात का अनुमोदन करती है।

3.2.2 कूड आयल के आयात के लिए सभी "टर्म" ठेकाओं को सरकारी बिक्री मूल्यों, जहां कहीं लागू हों, पर और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए निविदाओं का आश्रय लिए बिना तेल उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ वार्ता के आधार पर अन्तिम रूप दिया जाता है।

3.2.3 ई एस सी के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आयात या निर्यात सिद्धांत से सिद्धांत आधार पर किए जाते हैं तथा कम्पनी किसी भारतीय अथवा विदेशी एजेंट से सम्पर्क में नहीं आती है।

3.2.4 निर्यात किए जाने वाले उत्पाद एफ ओ, नेफ्था और एन जी एल है। 1993-94 के दौरान हाई एरोमैटिक नेफ्था के 787 टी एम टी, एन जी एल के 782 टी एम टी, लो एरोमैटिक नेफ्था के 838 टी एम टी और फ्यूल आयल के 1264 टी एम टी का निर्यात किया गया था। जबकि 1994-95 में नेफ्था और एन जी एल के निर्यातों ने मात्र 2249 टी एम टी और 585 टी एम टी को हिसाब में लिया एफ ओ को उसी वर्ष में देश में घाटे में पाया गया।

3.3 कूड तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

3.3. नीचे दी गई तालिका मार्च 1995 को समाप्त पिछले सात वर्षों के लिए तेल मितव्ययिता बजट (ओ ई बी) और उनके प्रति वास्तविक आयात के अनुसार आयात करने हेतु योजनाबद्ध कूड पेट्रोलियम उत्पादों की प्रमात्रा दर्शाती है। एक समग्र सापेक्ष महत्व के प्रयोजन के लिए कूड के देशी उत्पादन, भारतीय शोधनशालाओं के कुल कूड धूपुट और इन प्रत्येक वर्षों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत के आंकड़े भी दिए गए हैं :

(प्रमात्रा/एम एम टी)

वर्ष	ओ ई बी के अनुसार प्रमात्रा	आयातित प्रमात्रा	कूड का देशी उत्पादन	भारतीय शोधनशालाओं का कुल कूड धूपुट	पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत
1988-89					
कूड	17.560	17.332	32.04	48.80	
उत्पाद	6.388	6.385			50.09
1989-90					
कूड	19.359	19.857	34.09	51.94	
उत्पाद	7.14	6.494			54.10
1990-91					
कूड	20.783	20.697	33.02	51.77	
उत्पाद	8.722	8.515			55.04

1991-92				
कूड	23.791	24.028	30.35	51.42
उत्पाद	9.100	9.201		56.97
1992-93				
कूड	26.660	29.243	26.95	53.48
उत्पाद	11.564	10.701		58.90
1993-94				
कूड	28.900	30.820	27.03	54.30
उत्पाद	15.137	11.820		60.81
1994-95				
कूड	24.230	27.348	32.23	56.45
उत्पाद	14.773	13.373		65.62

3.3.1 उपरोक्त से ऐसा पता चलता है कि पेट्रोलियम उत्पादों का आयात 1988-89 में 6.385 एम एम टी से बढ़कर 1994-95 में 13.373 एम एम टी हो गया (109.44 प्रतिशत की वृद्धि)। कूड आयल का आयात 1988-89 में 17.332 एम एम टी से बढ़कर 1993-94 में 30.820 एम एम टी हो गया और 1994-95 में कुछ कम हो कर 27.348 एम एम टी हो गया। देश में सभी शोधनशालाओं का कूड थ्रूपुट 1988-89 में 48.80 एम एम टी से बढ़कर 1994-95 में 56.45 एम एम टी हो गया। कूड आयल का आयात देश में उपलब्ध कुल परिष्करण क्षमता तक सीमित कर दिया गया था जिसके कारण हाल के वर्षों के दौरान उत्पादों का पर्याप्त आयात हुआ।

3.3.2 मार्च 1995 को समाप्त हुए पिछले सात वर्षों के लिए आयात किए गए कूड आयल और पेट्रोलियम उत्पादों की वास्तविक प्रमात्राओं का ब्यौरा तथा "टर्म" और "स्पाट" खरीदों के लिए अलग से उनका मूल्य निम्न प्रकार है :-

वर्ष	प्रमात्रा/एम एम टी मूल्य/करोड रु. में								
	टर्म			स्पाट			जोड		कुल खरीद से स्पाट खरीद की प्रतिशतता
	प्रमात्रा	मूल्य	औसत लागत प्रति एम एम टी	प्रमात्रा	मूल्य	औसत लागत प्रति एम एम टी	प्रमात्रा	मूल्य	
1988-89									
कूड	10.636	1621	152.4	6.696	1030	153.8	17.332	2651	38.63
उत्पाद	3.659	863		2.726	694		6.385	1557	42.69
1989-90									
कूड	12.076	2447	202.6	7.781	1587	203.9	19.857	4034	39.19
उत्पाद	4.794	1559		1.700	643		6.494	2202	26.18
1990-91									
कूड	12.634	3416	270.4	8.063	2484	308.1	20.697	5900	38.96
उत्पाद	3.374	1480		5.141	3075		8.515	4555	60.38
1991-92									
कूड	10.605	3331	341.1	13.423	4280	318.9	29.028	7611	55.86
उत्पाद	3.001	1545		6.200	3516		9.201	5061	67.38
1992-93									
कूड	14.301	4885	341.6	14.942	5628	376.7	29.243	10513	51.10
उत्पाद	5.127	2865		5.574	3295		10.701	6160	52.09
1993-94									
कूड	16.653	5328	319.94	14.167	5095	359.64	30.820	10423	45.97
उत्पाद	6.471	3759	*	5.349	3077		11.820	6836	45.25
1994-95									
कूड	16.806	6079	361.72	10.542	3980	377.54	27.348	10059	38.55
उत्पाद	5.899	3065		7.474	4096		13.373	7161	55.89

3.3.3 उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि "कूड" की स्पाट खरीद 1988-89 के दौरान 38.63 प्रतिशत से बढ़कर 1991-92 के दौरान 55.86 प्रतिशत हो गयी और उसके बाद अगले 3 वर्षों के दौरान इसमें प्रगामी रूप से कमी हुई जो 1994-95 में 38.55 प्रतिशत तक पहुंच गयी। उत्पादों के सम्बन्ध में "स्पाट" खरीदे 1989-90 में 26.18 प्रतिशत की कमी से 1991-92 में 67.38 प्रतिशत के उच्च तक बढ़ गई और उसके बाद अगले 3 वर्षों के दौरान यह 45 प्रतिशत 56 प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती रही। सम्पूर्ण प्रमात्राओं में 1990-91 से 1994-95 (1993-94 को छोड़कर) तक की अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों और 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान कूड आयल की "स्पाट" खरीद "टर्म" ठेकाओं के अन्तर्गत की गयी खरीदों से अधिक थी।

3.3.4 जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है, कूड के लिए "स्पाट" मूल्य सामान्यतया "टर्म" मूल्यों से अधिक होते हैं। इस प्रकार "स्पाट" बाजार के और अधिक प्रमात्राओं की खरीद में अधिक लागत तथा विदेशी मुद्रा पर अपक्षय अन्तर्ग्रस्त था।

3.3.5 प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर 1995) कि 1991-92 और 1992-93 के दौरान कूड आयल के "स्पाट" आयातों में क्रमशः 4.155 एम एम टी और 3.985 एम एम टी की अतिरिक्त प्रमात्राएं शामिल थीं जिन्हें टर्म आपूर्तिकर्ताओं से उन शर्तों के अधीन खरीदा गया था जो शर्तें उनके "टर्म" ठेकाओं के लिए लागू होती हैं।

3.3.6 "स्पाट" प्रमात्राओं से उपरोक्त को निकाल देने पर भी 1991-92 और 1992-93 की शेष स्पाट आयातें 1991-92 और 1992-93 में कुल आयातों की क्रमशः 38.57% और 37.47% बनती थी। तथापि, तथ्य यह था कि "स्पाट" मूल्य सामान्यतया "टर्म" मूल्यों से अधिक थे।

3.3.7 मूल्यों के सम्बन्ध में प्रबन्धन ने बताया (मई 1994) कि औसत टर्म ठेका मूल्य के प्रति औसत स्पाट मूल्य की तुलना करना निम्नलिखित कारणों से उचित नहीं था :

- (i) टर्म ठेकाओं के अन्तर्गत खरीदे अधिकतर साउर कूड के लिए थीं तथा स्पाट निविदाओं के अन्तर्गत खरीदे स्वीट तथा साउर कूड दोनों के लिए थीं ;

- (ii) टर्म ठेकाओं के अन्तर्गत खरीद किया गया कूड अधिकतर सरकारी बिक्री मूल्यों द्वारा संचालित होता था तथा इसका सामान्यतया स्पॉट बाजार में व्यापार नहीं हुआ था ; और
- (iii) कूड के मूल्यों को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक कूड की विशेषताएं, उपज प्रकार, कतिपय विशेष अन्त उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयुक्तता है।

3.3.8 उपरोक्त के होते हुए भी ऐसा देखा गया था (अगस्त 1994) कि कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं, जो "स्पॉट" आधार पर खरीदे करने के लिए कम्पनी के साथ पंजीकृत थे, से निविदाएं आमंत्रित करके "टर्म" आधार पर कूड आयल की खरीदों को अंतिम रूप देने के लिए शक्ति प्राप्त स्थायी समिति को अनुमत करने हेतु अप्रैल 1992 में सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद मार्च 1994 से पंजीकृत डीलरों से प्रतियोगी निविदाएं आमंत्रित करके 3 महीने से एक वर्ष तक टर्म आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद करने के लिए एक वैसी ही प्रणाली को भी अनुमोदित किया गया है। कम्पनी के अनुसार इस परिवर्तन के मुख्य लाभ इस प्रकार थे :-

- (i) 12 महीनों के लिए टर्म निविदा मौसमी विभिन्नताओं का प्रभाव दूर करेगी।
- (ii) 12 महीनों के लिए टर्म निविदा के प्रति प्राप्त सर्वोत्तम मूल्य दीर्घावधि बाजार अवगम के बारे में लाभकारी सूचना उपलब्ध कराएगा तथा राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ वार्ताओं हेतु मूल्य पर एक महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराएगा।
- (iii) उत्पाद के लिए टर्म निविदा अन्य व्यापारियों/ आपूर्तिकर्ताओं तथा राष्ट्रीय तेल कम्पनियों, जो दीर्घावधि आधार पर प्रतियोगी बोलियां प्रस्तुत करने के लिए लाजिस्टिक्स के कारण अपने देशी स्रोत से आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं, को भी सुअवसर प्रदान करेगी।

3.3.9 नीति सम्बन्धी पेपर के संदर्भ में की गई कूड आयल की "टर्म" और "स्पॉट" खरीदों, सरकारी अनुमोदन और वास्तव में आयात की गई प्रमात्रा के आगामी विश्लेषण से निम्नलिखित बातों का पता चला :

(प्रमात्रा/एम एम टी)

वर्ष		टर्म	स्पाट	जोड़	(3) की (4) से प्रतिशतता
1		2	3	4	5
1989-90	एस पी	13.5	4.7	18.2	25.8
	जी ए	13.5	4.3	17.8	24.2
	ए आई	12.1	7.8	19.9	39.2
1990-91	एस पी	14.0	3.7	17.7	21.0
	जी ए	15.8	2.8	18.6	15.1
	ए आई	12.6	8.1	20.7	39.1
1991-92	एस पी	14.5	4.1	18.6	22.0
	जी ए	14.5	4.1	18.6	22.0
	ए आई	10.6	13.4	24.0	55.8
1992-93	एस पी	20.8	7.0	27.8	25.2
	जी ए	20.5	7.0	27.0	25.9
	ए आई	14.3	15.0	29.3	51.2
1993-94	एस पी	16.5	10.3	26.8	38.4
	जी ए	22.0	6.9	28.9	23.9
	ए आई	16.7	14.2	30.8	46.0
1994-95	एस पी	23.0	1.4	24.4	5.7
	जी ए	17.0	11.9	28.9	41.2
	ए आई	16.8	10.5	27.3	38.6

एस पी = नीति सम्बन्धी पेपर के अनुसार

जी ए = मूल सरकारी अनुमोदन के अनुसार

ए आई = वास्तविक आयात

3.3.10 "टर्म" ठेकाओं के अन्तर्गत कूड आयल की वास्तविक आयतों "टर्म" व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आयत के लिए परिकल्पित प्रमात्राओं से सदैव ही कम थी इस तथ्य के बावजूद आयतित कुल प्रमात्राएं 1994-95 के दौरान को छोड़कर या तो नीति सम्बन्धी पेपर अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित में दर्शायी गयी प्रमात्राओं से अधिक थीं। इस प्रकार अध्ययन के पहले पांच वर्षों के दौरान "स्पाट" खरीदों पर अधिकाधिक भरोसा किया गया था।

3.3.11 प्रबन्धन ने बताया (मई 1994) कि ऐसा नीति सम्बन्धी पेपर में परिकल्पित कुछ "टर्म" ठेकाओं को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कुछेक "टर्म" ठेकाओं में सहमत हुई प्रमात्राओं से कम उपलब्धता के कारण था।

3.4 1988 के दौरान एस एन ई (यू.एस.एस.आर.) से बसराह लाईट कूड के आयत पर 120 मिलियन डालरों की हानि

3.4.0 येन्बु से बसराह लाईट कूड के चार मिलियन टन की कुल प्रमात्रा और/अथवा अन्य कूड, जिनपर समय-समय पर पार्टियों द्वारा सहमति प्रदान की जाए की आपूर्ति के लिए आल यूनियन, फारेन ट्रेड एसोसिएशन "सोजूजनेफ्ट एक्सपोर्ट" (एस एन ई), मास्को और इंडियन आयल कारपोरेशन के बीच 29 जनवरी 1988 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

3.4.1 ठेके में मूल्य निर्धारण खंड में बताया गया कि यू एस एस आर से इतर स्रोतों से कूड आयल/आयल के लिए लागू मूल्य पेट्रोलियम निर्यातक देशों (ओ पी ई सी) के संगठन के संकल्पों और निर्णयों को लागू करने में आपूर्ति से सम्बन्धित देशों को सरकारों द्वारा निर्धारित सरकारी बिक्री मूल्य (ओ एस पी) होने चाहिए थे। सोवियन एक्सपोर्ट ब्लैंड से इतर कूड आयल की आपूर्ति हेतु क्रेताओं द्वारा बिक्रेताओं को 0.05 अमरीकी डालर प्रति बेरल का सेवा प्रभार अदा करना अपेक्षित था।

3.4.2 पार्टियां इस बात पर सहमत हो गईं कि अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में किसी प्रकार के असामान्य परिवर्तन के मामले में बसराह कूड के लिए मूल्य निर्धारण आधार की समीक्षा की जाएगी तथा संशोधित मूल्य निर्धारण आधार पर सहमति की जाएगी। मूल्य निर्धारण खंड में आगे बताया गया था कि यदि मूल्य में परिवर्तन के लिए अनुरोध करने के नोटिस की तारीख से 15 दिनों के अन्दर संशोधित मूल्य निर्धारण आधार पर कोई समझौता नहीं होता तो ठेका निलम्बित कर दिया जाएगा। तथापि, नोटिस की तारीख से पहले पार्टियों द्वारा

सहमति प्रदान किए गए मौजूदा सुपुर्दगी कार्यक्रम के पूरा होने तक उपरोक्त, मूल्यों पर बिक्रेता कूड आयल की सुपुर्दगी करने और क्रेता कूड आयल को उठाने के लिए बाध्य होंगे।

3.4.3 वर्ष 1988 के दौरान कम्पनी ने एस एन ई से \$ 17.30 / बरेल पर बसराह लाईट के सरकारी बिक्री मूल्य पर 4.025 एम एम टी कूड आयल का आयात किया। उसी कूड के लिए ईराक की मैसर्ज स्टेट आयल मार्किटिंग आरगनाइजेशन (सोमो) द्वारा विस्तारित बाजार सम्बन्धित मूल्य ओमान और दुबई के मासिक औसत थे जिस पर जनवरी से सितम्बर 1988 के लिए 22 सेंट/ बी बी एल, अक्टूबर से नवम्बर 1988 के लिए 42 सेंट/ बी बी एल तथा दिसम्बर 1988 के लिए 52 सेंट/ बी बी एल तक कूट दी गयी थी।

3.4.4 एस एन ई ठेके के अन्तर्गत बसराह लाईट के सरकारी बिक्री मूल्य तथा बाजार सम्बन्धित मूल्य के बीच 1988 में अन्तर 120 मिलियन डालर आंका गया।

3.4.5 बार-बार प्रयास करने के बावजूद कम्पनी बाजार सम्बन्धित मूल्यों का लाभ नहीं उठा सकी, जिसके परिणामस्वरूप 120 मिलियन अमरीकी डालर (प्रति अमरीकी डालर 14.70 रु. की दर पर 176.4 करोड़ रु.) की बचत हो गई होती क्योंकि यह इस बात का सबूत नहीं दे सकी कि इसने वास्तव में सरकारी बिक्री मूल्य से किसी इतर मूल्य पर ईराक की सोमो से बसराह लाईट कूड आयल प्राप्त किया।

3.4.6 प्रबन्धन ने इस प्रकार बताया (मई 1994) :-

"समय-समय पर मामला मूल्यों की समीक्षा के लिए एस एन ई के साथ उठाया गया था क्योंकि बाजार मूल्य प्रकाशनों के अनुसार बाजार सम्बन्धित मूल्य कम थे। एस एन ई ने बताया कि उन्होंने (एस एन ई) आई ओ सी के अनुरोध के आधार पर मूल्य में संशोधन करने के लिए सोमो से सिफारिश की थी जो कि ठेके के अनुसार ईराकी कूड आयल के लिए ओ एस पी पर निर्धारित किया गया था और सोमो ने औपचारिक रूप से एस एन ई को उत्तर दिया कि वे मात्र ओ एस पी पर टर्म आधार पर अपने कूड के मूल्यों पर प्रभाव डाल रहे थे तथा उन्हें मूल्य संशोधन हेतु कोई आधार ध्यान में नहीं आया।

एस एनई के साथ लम्बे साहचर्य और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि उनसे आयात "ट्रेड प्रोटोकॉल" के तहत था, जिसमें भारतीय रु. में भुगतान अन्तर्ग्रस्त था, ऐसा करना विवेकपूर्ण माना गया था कि फेस आउट खंड का प्रयोग करने की बजाय मात्र चर्चाओं के माध्यम से मामले पर कार्रवाई की

जाए। आपूर्तियों में किसी विघटन से हमारी आयात योजनाओं पर प्रभाव पड़ा होता तथा इसकी परिणति एस एन ई, मास्को, जो कूड /उत्पादों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता था, के साथ हमारे सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की बजाय यू एस एस आर के साथ व्यापार योजना के प्रति कमी भी हुई होती।"

3.4.7 प्रबन्धन का उत्तर मामले के तथ्यों का विकल्प नहीं देता बल्कि इस बात का उल्लेख करता है कि वे आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वीकृत कम बाजार सम्बन्धित मूल्य क्यों नहीं प्राप्त कर सके।

3.5 परिवहन

3.5.0 कूड आयल सामान्यतया एफ ओ बी आधार पर ठेकागत किया जाता है। एफ ओ बी आधार पर आयातित कूड आयल के परिवहन के लिए व्यवस्था कान्ट्रेक्ट आफ अफ्रेटमेंट (सी ओ ए), जोकि ओ सी सी शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया (एस सी आई) के साथ वार्षिक आधार पर करती है, के माध्यम से की जाती है। जब कभी एस सी आई के जलयान उपलब्ध नहीं होते तो एस सी आई अन्यत्र से जलयान चार्टर करती है। एफ ओ बी आयातों, जहां पोतों की "ट्रांसचार्टर", जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय के एक विंग द्वारा व्यवस्था की जाती है, के अन्य मामलों में असमान रूप से कूड आयल के आयात को मामले में एस सी आई को एक सामान्य प्रबन्धन दिया गया है ताकि यदि इसके अपने पोत उपलब्ध नहीं हों तो वह पोतों का ठेका कर सके।

3.5.1 उत्पादों के मामले में आयाते एफ ओ बी तथा लागत एवं भाड़ा दोनों आधारों पर होती है। एफ ओ बी सुधारों के मामले में कम्पनी सबसे पहले इस बात का पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या कोई इसका टाईम चार्टर्ड पोत उपलब्ध है। कम्पनी के पास टाईम चार्टर पर एस सी आई और प्राइवेट शिपिंग कम्पनियों के कुछेक पोत हैं जिनका उपयोग मुख्यतया तटीय संचरणों के लिए किया जाता है। अन्यथा, बोयेज चार्टर आधार पर उपयुक्त पोत का नामांकन करने के लिए "ट्रांसचार्ट" से अनुरोध किया जाता है।

3.5.2 भारत पत्तन पर कूड/उत्पादों का लदान आपूर्तिकर्ता और कम्पनी के बीच आपसी सहमति अथवा कम्पनी द्वारा स्वतंत्र रूप से एक इंस्पैक्टर द्वारा किया जाता है। आयातों की उतराई का उत्तरदायित्व कम्पनी का होता है।

3.6 आयात/निर्यात पर खर्च हुआ विलम्ब शुल्क

3.6.0 पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात के दौरान तेल उद्योग पल्लन विलम्ब शुल्क पर भारी खर्चा करता है। उद्योग की ओर से कूड/पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात के लिए केनालाइजिंग एजेंसी के रूप में आई ओ सी प्रारंभ में विलम्ब शुल्क व्यय करती है और ओ सी सी से प्राधिकरणों पर आधारित तेल पूल लेखा से प्रतिपूर्ति प्राप्त करती है। तकरीबन समस्त विलम्ब शुल्क की पूल द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है क्योंकि तेल कम्पनियों का कम से कम अल्पावधि में विलम्ब शुल्क पर कोई नियंत्रण नहीं होता।

3.6.1 1984-85 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान अदा किया गया विलम्ब शुल्क निम्न प्रकार था:-

(लाख रु. में)

नाम	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95
आयात											
कूड	1245.3	1313.4	208.3	301.2	440.0	691.0	327.3	682.6	263.37	2310.92	1646.01
उत्पाद	1715.0	800.1	775.0	1280.8	1030.0	2153.6	2068.1	5744.5	6469.08	6189.13	18180.58
ल्यूब	180.8	197.0	153.0	200.0	445.0	418.9	647.2	541.0	327.36	172.78	183.15
निर्यात	3148.3	106.1	214.4	286.9	179.5	249.4	302.8	598.3	1149.48	1180.50	984.80
जोड़	6289.4	2416.6	1350.7	2068.9	2094.5	3512.9	3345.4	7566.4	8209.29	9853.33	20994.54

3.6.2 ऐसा पता चलता है कि कुल विलम्ब शुल्क वर्षानुवर्ष बढ़ रहा है। यदि टाईम चार्टर्ड वैसल पर प्रदत्त अवरोधन प्रभारों, जो कि वस्तुतः विलम्ब शुल्क के स्वरूप के हैं और जिनके सम्बन्ध में विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, पर विचार किया गया होता तो विलम्ब शुल्क आंकड़े अभी भी ज्यादा होंगे। 1994-95 में उत्पादों के आयात पर प्रदत्त (181.80 करोड़ रु.) विलम्ब शुल्क 1993-94 में अदा किए गए विलम्ब शुल्क के तीन गुणा थे।

आमतौर पर और 1994-95 में विशेष तौर पर पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भारी विलम्ब शुल्क का मुख्य कारण अपर्याप्त पल्लन सुविधाओं से प्रोद्भूत पोतों का लम्बा अवरोधन समय था। कुल टैंकर

अवरोधन समय 1993-94 में 1560 दिनों से बढ़कर 1994-95 में 4513 दिन हो गए। 1994-95 के दौरान आयात लदान के 177 मामलों की लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा से पता चला कि 107 मामलों में अवरोधन समय 10 दिनों से अधिक था तथा 13 मामलों में यह 30 दिनों से अधिक था।

3.6.3 प्रमुख पत्तन प्रतिबन्ध जेट्टी की अपर्याप्त संख्या, ड्राफ्ट रुकावटें, रात्रि नौवहन सुविधाओं का अभाव, पुरानी तथा कम व्यास वाली डिस्चार्ज पाइपलाईन्स आदि हैं। यद्यपि कूड आयल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात (सकल) वर्षानुवर्ष 1989-90 में 26.054 एम एम टी से 1993-94 में 42.898 एम एम टी तक बढ़ा है, फिर भी पत्तन सुविधाओं में तदनुरूपी सुधार नहीं हुए। जबकि आदर्श जेट्टी अधिभोग 60 प्रतिशत बताया गया था, सभी प्रमुख पत्तनों पर वास्तविक जेट्टी अधिभोग 80 से 97 प्रतिशत की रेंज में था।

3.6.4 पत्तन संभलाई सुविधाओं के कुछ पहलुओं को वित्तपोषित करने के लिए तेल उद्योग के पास निधियों का कोई अभाव नहीं है। लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई एक आपत्ति, कि समग्र राष्ट्रीय हित तथा उनके अपने हित को भी ध्यान में रखते हुए तेल उद्योग रात्रि नौवहन, पायलट शिपों आदि जैसी कुछ सुविधाओं को वित्तपोषित कर सकता था, के उत्तर में मंत्रालय इस बात पर सहमत हुआ (नवम्बर 1995) कि तेल उद्योग ऐसी संभावना की जांच करेगा तथा इसका पता लगाएगा। आई ओ सी प्रबन्धन द्वारा यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि केवल आयल जेट्टी को अनुमोदित किया जाता है तो संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं के माध्यम से निजी निधियों को भी संचारित किया जा सकता था।

3.6.5 पत्तन संकुलन को कम करने की अन्य विधि समुद्र तट से दूर सिंगल पाइन्ट मूरिंग और वास्तविक जेट्टी की स्थापना है। इस सम्बन्ध में व्यवहार्य योजनाओं को अनुमोदन प्रदान करने और प्राथमिकता आधार पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। कांडला पत्तन से दूर एक वास्तविक जेट्टी के प्रतिष्ठापन के लिए आई ओ सी के एक हाल के प्रस्ताव से पता चला कि तकरीबन 14 लाख रु. की वार्षिक प्रचालन लागत के साथ 6.34 करोड़ रु. के एक बारगी निवेश के परिणामस्वरूप विलम्ब शुल्क में प्रतिवर्ष 9.07 करोड़ रु. की बचत होगी।

4. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का विपणन

4.1.0 द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी), जो बूटेन और प्रोपेन का एक मिश्रण है, का शुभारंभ कम्पनी द्वारा घरेलू ईंधन के रूप में केरोसीन आयल के अनुकूल्य के उद्देश्य से "इन्डेन" ब्राण्ड नाम से वर्ष 1965 में कलकत्ता में किया गया था।

4.4.1 सरकार/कम्पनी ने केरोसीन आयल के आयातों को घटाने के उद्देश्य से देश में घरेलू ईंधन के रूप में एल पी जी को केरोसीन आयल (आयातित सहित) की जगह धीरे-धीरे बदलने पर विचार किया। कम्पनी पर लोक उपक्रम समिति (लो उ स) ने अपनी 35वीं रिपोर्ट में (मार्च 1967) एल पी जी को लोकप्रिय बनाने की भी सिफारिश की थी क्योंकि यह सस्ती और सफाई रखने वाली थी तथा गैस, जो उस समय जलाई जा रही थी, की क्षति से बचत होगी। समिति द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया था कि घरेलू ईंधन के रूप में केरोसीन आयल के स्थान पर एल पी जी के प्रयोग द्वारा पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकेगी। समिति ने एल पी जी के लिए औद्योगिक मांग को सुनिश्चित करने तथा पता लगाने के लिए कम्पनी से भी अनुरोध किया था।

4.2 एल पी जी का विपणन

4.2.0 एल पी जी के लगभग 90 प्रतिशत की सिलिंडरों में कम्पनी द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को बिक्री की जाती है तथा शेष की व्यापारिक/औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिक्री की जाती है। कम्पनी के भरण संयंत्र एल पी जी सिलिंडरों में भरते हैं और अपने नेट वर्क के माध्यम से उनकी बिक्री करते हैं।

4.2.1 सभी सरकारी स्वामित्ववाली तीन आयात कम्पनियां जैसे, इंडियन आयल कारपोरेशन लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. केवल महाराष्ट्र राज्य को छोड़कर, जहां ऐतिहासिक रूप से बाजार में केवल हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के बीच हिस्सेदारी है, सभी क्षेत्रों में एल पी जी का विपणन कर रहे हैं।

4.3 एल पी जी बिक्री निष्पादन

4.3.0 नीचे दी गई तालिका 1988-89 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान एल पी जी (देशी उत्पादन एवं आयात) की उपलब्धता कम्पनी की बिक्रियां तथा उद्योग में इसका हिस्सा दर्शाती है:-

वर्ष	एल पी जी उपलब्धता			उद्योग की बिक्री	आई ओ सी की बिक्री	उद्योग की बिक्री से आई ओ सी की बिक्री की प्रतिशतता
	देशी	आयात	जोड़			
1988-89						
योजनागत	1830	262	2092	2027	970	47.85
वास्तविक	1755	240	1995	1994	972	48.75
1989-90						
योजनागत	1806	205	2221	2160	1066	49.35
वास्तविक	1941	293	2234	2260	1145	50.66
1990-91						
योजनागत	2161	401	2501	2326	1165	50.09
वास्तविक	2120	325	2454	2415	1233	51.06
1991-92						
योजनागत	2485	356	2741	2483	1264	50.91
वास्तविक	2573	332	2905	2873	1471	51.20
1992-93						
योजनागत	2649	370	2017	2743	1416	51.62
वास्तविक	2573	332	2905	2873	1471	51.20
1993-94						
योजनागत	2766	394	3169	3010	1490	49.50
वास्तविक	2647	307	3934	3113	1506	48.38
1994-95						
योजनागत	2874	655	3529	3303	1673	50.70
वास्तविक	2848	574	3441	3435	1736	50.54

4.3.1 1989-90 से ही कम्पनी की वास्तविक बिक्री एल पी जी की योजनागत बिक्री से अधिक थी तथा उसने वर्ष 1993-94 को छोड़कर कुल बाजार के 50 प्रतिशत से अधिक को पूरा किया। जबकि कम्पनी का

बाजार हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक था, उद्योग में उपलब्ध कुल भरण क्षमता के केवल 44 प्रतिशत पर इसका स्वामित्व था। कम्पनी कुल उत्पाद उपलब्धता के केवल 45 प्रतिशत पर नियंत्रण रखती है।

4.3.2 1994-95 तक सात वर्षों के दौरान मासिक औसत एवं शीर्ष मांगों की तुलना में प्रतिष्ठापित भरण क्षमता तथा एल पी जी का किया गया वास्तविक भरण इस प्रकार था :-

वर्ष	औसत मासिक मांग (टी एम टी)	शीर्ष मासिक मांग (टी एम टी)	प्रतिमाह प्रतिष्ठापित क्षमता (टी एम टी)	प्रतिमाह वास्तविक भरण (टी एम टी)
1988-89	78.92	84	72.20	77.64
1989-90	91.08	95	89.40	91.39
1990-91	96.33	100	90.38	96.19
1991-92	108.92	115	94.10	107.07
1992-93	118.00	125	95.92	115.83
1993-94	128.00	149	95.92	114.75
1994-95	141.00	162	99.33	122.75

नोट : प्रतिष्ठापित क्षमता तथा प्रतिमाह वास्तविक भरण में शोधनशाला प्रभाग के अन्तर्गत भरण संयंत्रों सहित कम्पनी के सभी भरण संयंत्रों से सम्बन्धित आंकड़े शामिल हैं।

4.3.3 जबकि अध्ययनाधीन सात वर्षों की अवधि के दौरान औसत मांग 78.7 प्रतिशत तक बढ़ी उसी अवधि के दौरान प्रतिष्ठापित क्षमता में वृद्धि केवल 37.6 प्रतिशत थी।

4.3.4 विशेष रूप से वर्ष 1991-92 से 1994-95 के दौरान शेष मांग एच पी सी और बी पी सी जैसी अन्य विपणन कम्पनियों के भरण संयंत्रों से सहायता लेकर पूरी की गई थी।

4.3.5 सितम्बर 1995 के अन्त तक थोक एल पी जी के लिए कम्पनी की कुल भंडारण क्षमता 30 दिनों की आवश्यकता के प्रति कम्पनी की भरण क्षमता के केवल 18 दिनों के लिए उपलब्ध थी। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1995) कि शताब्दी बदलने तक 30 दिनों की क्षमता प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

4.4. ग्राहक पंजीकरण

4.4.0 नया ग्राहक पंजीयन एक विशेष वर्ष के दौरान प्रत्याशित अतिरिक्त उत्पाद उपलब्धता के आधार पर ओ सी सी/ मंत्रालय के परामर्श से उद्योग आधार पर निश्चित किया जाता है। उद्योग के लिए अन्तिम रूप से कुल पंजीकरण का पचास प्रतिशत कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा नए पंजीयन के लिए कम्पनी का यही लक्ष्य है। चूंकि डबल बोतल कनेक्शन (डी बी सी) का जारी किया जाना ग्राहक सन्तुष्टि को बढ़ाता है और ग्राहक के घर में एल पी जी के भंडार में भी वृद्धि करता है, इसलिए डी बी सी का जारी किया जाना बांछनीय माना जाता है। तथापि चूंकि एक बारी आधार पर जारी करने के समय डी बी सी का जारी करना एक विशेष वर्ष में उत्पाद की मांग में बढ़ोतरी करता है, इसलिए डी बी सी को जारी करने की योजना समग्र उत्पाद उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। इसलिए नया ग्राहक पंजीयन के लिए लक्ष्य निर्धारित करते समय निम्नलिखित घटकों पर विचार किया जाना है :

- क) वर्तमान ग्राहकों की आवश्यकता को पूर्णरूप से पूरा करने के बाद बेशी बची वृद्धिशील उत्पाद उपलब्धता।
- ख) अतिरिक्त उपलब्धता को सिलिंडरों में भरने के लिए पर्याप्त भरण क्षमता।
- ग) उपलब्धता के अनुरूप उत्पाद को लाने ले जाने और भंडारण के लिए पर्याप्त परिवहन और भंडारण प्रबन्ध।
- घ) उपकरण उपलब्धता

4.4.1 लक्ष्य की तुलना में वास्तविक ग्राहक नामांकन और उसकी तुलना में प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रतीक्षा सूची में ग्राहकों की संख्या इस प्रकार थी :-

वर्ष	प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं की संख्या	ग्राहक पंजीयन		उपलब्धि
		लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशतता
		(आंकड़े लाख में)		
1989-90	30.04	5.70	5.76	101.05
1990-91	36.61	3.08	3.50	113.60.
1991-92	45.19	4.72	5.00	105.90
1992-93	52.00	3.55	4.06	114.36
1993-94	59.44	5.60	6.29	112.32
1994-95	61.10	9.60	11.51	119.90

4.4.2 एल पी जी कनेक्शन के लिए प्रतीक्षारत घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। जबकि ग्राहक पंजीयन वर्ष दर वर्ष लक्ष्यों से अधिक थी, वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक के दौरान लक्ष्य कम निर्धारित किया गया था।

4.4.3 प्रबन्धन ने बताया (मई 1994) कि सरकार ने देश में गैस के पिघले ढेर को कम करने हेतु एल पी जी की समानान्तर बिक्री अनुमत की है।

4.4.4 भारत सरकार, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त 1993 में एल.पी.जी. के समानान्तर विपणन को अनुमत किया जिसके अन्तर्गत एक प्राइवेट उद्यमी को बाजार निर्धारित मूल्यों पर सिलिंडरों में पैक अथवा थोक में एल पी जी विपणन तथा आयात करना अनुमत किया गया है।

4.4.5 प्रबन्धन ने बताया (जून 1994) कि केवल कुछ प्राइवेट विपणनकर्ताओं ने 1993-94 के दौरान एल.पी.जी. का आयात किया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियों की बल्क दरों की तुलना में कम कीमतों पर मौजूदा ग्राहकों को बल्क में बेचा। समानान्तर विपणनकर्ताओं द्वारा सिलिंडरों में बेची गई एल.पी.जी. की कीमत सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों द्वारा प्रभारित रियायती दरों की अपेक्षा अधिक था। कम्पनी ने आगे बताया (नवम्बर 1995) कि प्राइवेट पार्टियां अधिक एल.पी.जी. लाने में समर्थ नहीं थीं क्योंकि उन्होंने एल.पी.जी. के लिए कोई नई आयात सुविधाओं का विकास नहीं किया था। तथापि, प्राइवेट पार्टियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के पास उपलब्ध मौजूदा आयात सुविधाओं का उपयोग किया था तथा 1994-95 में 41,000 मी ट एल.पी.जी. का आयात किया था।

4.5 एल.पी.जी. टैंक वैगनों की अधिप्राप्ति

4.5.0 शोधनशालाओं/बन्दरगाहों से बोटलिंग प्लांट तक एल.पी.जी. के रेल परिवहन के लिए एल.पी.जी. टैंक वैगन उपयोग में लाए जाते हैं जो रेलवे के विनिर्देशनों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

4.5.1 तेल उद्योग ने 230 बोगी टाइप पेट्रोलियम गैस टैंक वैगनों की अधिप्राप्ति हेतु रेलवे को एक आदेश दिया तथा 1986-87 के दौरान रेलवे को 31.24 करोड़ रु. का अग्रिम दिया गया। टैंक वैगन कम्पनी, बी पी सी तथा एच पी सी के बीच वितरित किए जाने थे। रेलवे/फेब्रीकेटरों द्वारा टैंक वैगनों की सुपुर्दगी 1987 में आरंभ

की जानी थी और मार्च 1988 तक पूरी की जानी थी। रेलवे ने तेल उद्योग की 230 की आवश्यकता के प्रति केवल 174 टैंक वैगनों हेतु आदेश इस आधार पर दिया कि उनके पास जमा अग्रिम केवल 174 टैंक वैगनों के लिए पर्याप्त था। वास्तविक सुपुर्दगी केवल अप्रैल 1989 में आरंभ की गई थी तथा सितम्बर 1994 तक केवल 167 वैगनों की सुपुर्दगी की गई थी।

4.5.2 एल.पी.जी. (चरण IV-क) के लिए अन्तिम रूप से बनाई गई विपणन योजना के अनुसार तथा तेल उद्योग द्वारा बनाई गई घरेलू ग्राहक पंजीयन योजना पर आधारित तेल उद्योग ने रेलवे के माध्यम से खरीद के लिए 262 (चरण III के लिए 56 टैंक वैगनों सहित) बी टी पी जी एल वैगनों की आवश्यकता निर्धारित की। प्रति वैगन 22 लाख रु. की फैब्रीकेशन लागत के आधार पर तेल उद्योग को चरणबद्ध तरीके से 262 वैगनों के लिए 57.64 करोड़ रु. जमा करने अपेक्षित थे। तदनुसार तेल उद्योग ने पहली, दूसरी तथा तीसरी किश्तों के प्रति जुलाई 1992 तक रेलवे के पास 24.95 करोड़ रु. की राशि जमा की थी। रेलवे द्वारा निविदाओं को अन्तिम रूप देने में बताए गए विलम्ब के कारण 14 करोड़ रु. की चौथी किश्त का भुगतान नहीं किया गया था। रेलवे ने 25 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि की मांग की है (सितम्बर 1995) क्योंकि 262 वैगनों की कीमत में 26 लाख रु. - 27 लाख रु. प्रति वैगन की संशोधित दर पर 80 करोड़ रु. तक की वृद्धि हुई है।

4.5.3 262 टैंक वैगनों की निर्धारित सुपुर्दगी के अनुसार 15 टैंक वैगनों की पहली खेप अगस्त 1993 तक सुपुर्द की जानी थी और उसके बाद 30 वैगन प्रति माह सुपुर्द किए जाने थे। इस प्रकार सभी टैंक वैगन मई 1994 तक आपूर्त किए जाने चाहिए। इसके प्रति सितम्बर 1995 तक केवल 68 टैंक वैगन आपूर्त किए गए थे।

4.5.4 रेलवे के साथ आपूर्ति, प्राप्ति और इन टैंक वैगनों के रखरखाव पर इस विषय से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर रेलवे के साथ हुई विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्तों की प्रतियों को छोड़कर अलग से कोई अनुबन्ध नहीं था।

4.5.5 टैंक वैगनों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण काफी अधिक लागत पर बल्क एल.पी.जी. के सड़क परिवहन में वृद्धि हुई है। एल.पी.जी. के लिए रेलवे की मौजूदा टैंक वैगन क्षमता समग्र रूप से अपर्याप्त है। वर्तमान में कुल बल्क एल.पी.जी. का तीन चौथाई परिवहन सड़क द्वारा होता है। इसी समय के दौरान भरण संयंत्रों में बल्क एल.पी.जी. टैंक वैगनों को खाली करने के लिए बनाई गई रेलवे साइडिंगों का कम उपयोग हुआ था।

4.6 एल.पी.जी. आयातों के लिए अपर्याप्त सुविधाएं

4.6.0 एल.पी.जी. का मांग की अपेक्षा उत्पादन कम है तथा कमी को आयात किया जाता है। वर्तमान में लगभग 600 टी एम टी एल.पी.जी. प्रतिवर्ष के आयात कि लिए बम्बई (बी पी सी एल का स्वामित्व तथा 1979 में चालू) तथा विजाग (एच पी सी एल का स्वामित्व तथा 1987 में चालू) में केवल सीमित सुविधाएं हैं। निम्न तालिका गत तीन वर्षों के लिए देश में एल.पी.जी. की वास्तविक खपत, और देशी उत्पादन का हिस्सा तथा आयातें और आठवीं, नौवीं तथा दसवीं योजनाओं के आखिरी वर्षों के लिए अनुमान दर्शाती है।

(टी एम टी में)

वर्ष	खपत	देशी उत्पादन	आयातें
1992-93	2866	2538	328
1993-94	3113	2703	410
1994-95	3443	2849	594
1996-97	3989	2808	1181
2001-02	8049	4748	3301
2006-07	10213	4748	5465

4.6.1 एल.पी.जी. के लिए आयात सुविधाओं की कमी के कारण पूर्ण मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है तथा वास्तविक आयात की मात्रा को उपलब्ध सुविधाओं तक सीमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्तर्भूत बन्दरगाह अवरोधों के कारण वास्तविक आयात उपलब्ध प्रतिष्ठापित क्षमता की अपेक्षा अभी भी कम है जो इस तथ्य से देखा जाएगा कि 1993-94 में वास्तविक आयात केवल 410 टी एम टी था। जैसाकि घरेलू एल.पी.जी. कनेक्शनों के लिए लम्बी प्रतीक्षा सूची (31 मार्च 1994 को 114.17 लाख) से सुस्पष्ट है, देश में एल.पी.जी. हेतु एक लम्बी अनापूर्त मांग है।

4.6.2 एल.पी.जी. बाजार में लगभग 50% का एक मुख्य हिस्सा होने के बावजूद कम्पनी के पास एल.पी.जी. के आयात के लिए अपनी कोई सुविधा नहीं है।

4.6.3 एल.पी.जी. चरण IV के लिए विपणन तथा वितरण योजना तैयार करने के लिए ओ सी सी द्वारा गठित एक कार्यकारी ग्रुप ने हजिरा तथा हल्दिया में एल.पी.जी. आयात सुविधाओं को स्थापित करने की सिफारिश की (जनवरी 1987)। जबकि आई ओ सी को हल्दिया में स्वतंत्ररूप से आयात सुविधाएं विकसित

करनी चाहिए थी, हजिरा में एल.पी.जी. आयात सुविधा के लिए इसकी आवश्यकता तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लि. की आवश्यकता के साथ मोड़ दी गई थी जो कि प्राकृतिक गैस द्रवीकृत (प्रा गै द्र) के निर्यात के लिए हजिरा तट से दूर सिंगल बाय मूरिंग (एस बी एम) सुविधा प्रतिष्ठापित करने की प्रक्रिया में था। अनेक कारणों से ते प्रा गै नि का हजिरा में एस बी एम अभी तक विकसित नहीं हुआ है (नवम्बर 1995)। हल्दिया के सम्बन्ध में आयात सुविधाएं स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के कम्पनी के 1987 से प्रयास केवल दिसम्बर 1994 में फलीभूत हुए और परियोजना अब निष्पादनाधीन है (नवम्बर 1995)।

4.6.4 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1986 में एक निदेश दिया कि तेल उद्योग विस्तृत अध्ययन का समन्वय करे तथा एल.पी.जी. के आयात हेतु नई सुविधाएं स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थानों के लिए सुझाव प्रस्तुत करे। तथापि, कम्पनी ने सरकार के प्रथम चरण निर्बाधन हेतु 106 करोड़ रु. (जनवरी 1989 के मूल्य) की पूंजीगत लागत पर कांडला में लगभग 600 टी एम टी एल.पी.जी. प्रतिवर्ष के आयात हेतु आयात सुविधाओं के सृजन के लिए केवल 1989 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। निर्बाधन सितम्बर 1989 में मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था।

4.6.5 कम्पनी द्वारा विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (व्य.रि.) मार्च 1990 में प्रस्तुत की गई थी। पूर्व पी आई बी, जिसने अगस्त 1990 में व्य.रि. पर चर्चा की, ने चाहा कि कम्पनी को रेफ्रिजेटेड प्रणाली (कम्पनी द्वारा प्रस्तावित प्रेसराइज्ड प्रणाली के प्रतिकूल) के साथ एल.पी.जी. आयात सुविधाओं हेतु तकनीकी आर्थिक अध्ययन करना चाहिए लेकिन यह कम्पनी को केवल मार्च 1991 में सूचित किया गया था।

4.6.6 मंत्रालय द्वारा इच्छित प्रस्ताव, चरण II निर्बाधन के लिए कम्पनी द्वारा सितम्बर 1991 में प्रस्तुत किया गया था। अनुमानित लागत (जो प्रेसराइज्ड प्रणाली की तुलना में कम थी) 139 करोड़ रु. (अगस्त 1991 के मूल्य) थी। इसे पूर्व पी आई बी द्वारा नवम्बर 1991 में पारित किया गया था। तथापि, पी आई बी के लिए नोट केवल जुलाई 1992 में प्रस्तुत किया गया था तथा इस समय तक परियोजना लागत 149.86 करोड़ रु. (मार्च 1992 के मूल्य) तक बढ़ गई थी। पी आई बी/सी सी ई ए का अन्तिम अनुमोदन केवल अप्रैल 1993 में प्राप्त हुआ था।

4.6.7 केरोसीन और जलाऊ लकड़ी परम्परागत अन्य ईंधनों की तुलना में एल.पी.जी. एक शोधित्र, उपयोग में अच्छी ताप क्षमता के साथ प्रदूषण रहित घरेलू ईंधन है। एल.पी.जी. की घरेलू क्षमता सीमित होने के कारण पर्याप्त आयात सुविधाओं का सृजन देश में एल.पी.जी. की उपलब्धता में वृद्धि के लिए आवश्यक था। इसके

अतिरिक्त केरोसीन का भी उत्पादन कम है और 1993-94 के दौरान 3.946 मिलियन टन केरोसीन (कुल खपत का लगभग 45 प्रतिशत) आयात किया गया था। केरोसीन की तुलना में एल.पी.जी. की उच्च केलोरी मात्रा को ध्यान में रखते हुए पी आई बी को प्रस्तुत किए गए अपने नोट में मंत्रालय द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि 1.5 टन केरोसीन की जगह 1 टन एल.पी.जी. काम करेगी तथा इस प्रकार 0.9 मिलियन टन आयातित केरोसीन की जगह 0.6 मिलियन टन एल.पी.जी. का आयात करना होगा। मंत्रालय ने अनुमान लगाया कि मार्च 1992 के एल.पी.जी. और केरोसीन के ला बी भा मूल्य को हिसाब में रखकर कांडला में कम्पनी द्वारा एल.पी.जी. आयात सुविधाओं के सृजन द्वारा 80 करोड़ रु. प्रतिवर्ष की बचत होगी।

4.6.8 यद्यपि, मंत्रालय ने 1986 में एल पी जी के आयात हेतु आयात सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता का पता लगा लिया था तथा 1989 में कम्पनी द्वारा एक परियोजना की कल्पना कर ली गई थी, फिर भी 1993 तक उसे निर्बाधित नहीं किया जा सका। पी आई बी निर्बाधन से 42 महीनों की परियोजित समय अनुसूची के साथ परियोजना की केवल अक्टूबर 1996 तक पूरे हो जाने की प्रत्याशा है। यदि अगस्त 1990 में पूर्व पी आई बी द्वारा इच्छित प्रशीतित प्रणाली के साथ संशोधित प्रस्ताव में तेजी लाई गई होती तथा उस वर्ष के अन्त तक सरकार द्वारा निर्बाधन दिया गया होता तो एल पी जी आयात सुविधाएं लगभग 1994 के मध्य तक विकसित हो गई होतीं।

4.6.9 मूल्य वृद्धि तथा अन्तर ईंधन प्रतिस्थापन के अविस्तारण के अतिरिक्त जिनके परिणामस्वरूप कम से कम दो वर्षों के लिए केरोसीन के आयात पर 160 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त व्यय हुआ, तेल उद्योग अपर्याप्त संविरचनात्मक सुविधाओं के कारण एल पी जी के आयात पर भारी विलम्ब शुल्क का भुगतान भी कर रहा है। तीन वर्षों 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान एल पी जी के आयात पर तीन सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियों द्वारा खर्च किए गए विलम्ब प्रभार तथा आयल पूल एकाउंट से प्रतिपूर्त की गई राशि क्रमशः 7.27 करोड़ रु., 6.08 करोड़ रु. तथा 27.49 करोड़ रु. थी।

4.6.10 इसके अतिरिक्त, अप्रैल 1993 से सरकार ने निजी क्षेत्र को एल पी जी का आयात करने तथा समानान्तर विपणन के अन्तर्गत उसको उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए अनुमति दी है। लेकिन पर्याप्त आयात सुविधाओं के अभाव में निजी क्षेत्र भी मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है। यदि कम्पनी की सुविधाएं तैयार होती तो कम्पनी ने अपनी सुविधाओं को किराए पर देकर लाभ कमाया होता।

4.7 सहायता प्रबन्ध

4.7.1 नई दिल्ली में 23.12.1985 को आयोजित उद्योग समन्वय बैठक में पर्याप्त परिवहन लागत वाले एल. पी.जी. पेक्ड मर्चें के आड़े तिरछे लाने ले जाने से बचने के लिए उपाय करने हेतु सहमति हुई थी। एल.पी.जी. भरण संयंत्रों को उद्योग के भरण संयंत्र मानने और बाजार को सीधे भरण संयंत्रों से जोड़ने हेतु भी सहमति हुई थी। ऐसा करते रहने से यह प्रत्याशित था कि "आड़े तिरछे चक्कर" तथा "कम प्राप्तियों" का छुटकारा मिलेगा और एल पी जी विपणन में सुविधाओं के बेहतर उपयोग प्राप्त होंगे।

4.7.2 तथापि, इन सुझावों का तेजी से कार्यान्वयन नहीं किया गया था और सम्पूर्ण देश में एल.पी.जी. बल्क के आड़े तिरछे लाने ले जाने से सम्बन्धित विषय पर दो वर्ष पांच माह गुजर जाने के बाद 13.5.1988 को नई दिल्ली में हुई एल.पी.जी. आयोजना तथा मानीटरन ग्रुप की बैठक में विचार किया गया था। तब सभी भरण संयंत्रों में भरण क्षमता के "अन्तर कम्पनी विनिमय प्रबन्ध" को लागू करने तथा 1.10.1988 से एल.पी.जी. क्षमताओं के "सहायता प्रबन्धों" को आरंभ करने का निर्णय लिया गया था।

4.7.3 इस मामले पर 16.7.1991 को आयोजित उद्योग बैठक में मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक तेल कम्पनी द्वारा दी गई तथा ली गई निवल सहायता शून्य होगी। यह सिद्धांत तदनन्तर आपूर्ति योजना बैठकों के दौरान एल.पी.जी. की सहायता योजनाओं को निश्चित करते समय अपनाया गया था। तथापि, मंत्रालय ने यह माना था कि वास्तविक सहायता स्तर योजनागत लक्ष्यों से काफी नीचे थे। इस सम्बन्ध में, 24.11.1992 को ओ सी सी द्वारा आयोजित एक उद्योग बैठक के दौरान कार्यकारी निदेशक, तेल समन्वय समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि मौजूदा मानक कि प्रत्येक कम्पनी के लिए निवल सहायता असन्तुलन शून्य होना चाहिए, स्वीकार्य नहीं होगा। यह निर्णय एल.पी.जी. के परिवहन तथा आड़े तिरछे लाने लेजाने में हुई कम वसूलियों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया था क्योंकि तेल कम्पनियों के बीच निवल असन्तुलनों पर किन्हीं बाधाओं के बिना सहायता स्तरों में वृद्धि करते हुए कम से कम लागत विकल्प पाने के लिए कोई और विकल्प नहीं था। मंत्रालय द्वारा तेल उद्योग को संशोधित सिद्धांत के अनुपालन हेतु तथा बिना किसी विलम्ब के योजनागत स्तरों पर सहायता प्राप्त करने के लिए भी सलाह दी गई थी (जुलाई 1993)

4.7.4 क्योंकि कम्पनी की भरण क्षमता का हिस्सा (44%) इसके बाजारी हिस्से (50%) से कम था इसने अन्य तेल कम्पनियों के भरण संयंत्रों से उनको दी गई सहायता की अपेक्षा अधिक सहायता प्राप्त कर ली थी।

4.7.5 प्रबन्धन ने बताया (जून 1990) कि बिक्री आयोजना हकदारी योजना के अन्तर्गत कम भाड़ा वसुली के कारण कोई वित्तीय हानि नहीं थी तथा परिहार्य संचरण में कटौती से उत्पन्न सभी बचतें फ्रेट सरचार्ज पूल को प्राप्त होती थीं न कि किसी विशेष तेल कम्पनी को। उपरोक्त स्थिति उत्पादों के अनावश्यक परिवहन के परिहार हेतु इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है ताकि पूल एकाउंट पर अधिक बोझ न पड़े।

4.7.6 यदि आरंभिक स्तर पर ही तेल उद्योग आधार पर एकीकृत बिचार किया गया होता तो एल.पी.जी. विपणन के लिए योजना बनाते समय सुविधाओं जैसे एल पी जी भरण संयंत्र, रेलवे साइडिंग और क्षेत्रीय कार्यालयों, बिक्री कार्यालयों आदि की स्थापना करने जैसी अन्य सम्बद्ध सुविधाओं के दोहरापन पर निवेश बचाया जा सकता था।

4.7.7 प्रबन्धन ने आगे बताया (जुलाई 1994) कि उद्योग भरण संकल्पना को आरंभ करने के बाद उद्योग ने यह सुनिश्चित किया है कि महानगरों को छोड़कर देश में किसी भी स्थान पर भरण सुविधाओं का कोई दोहरापन नहीं है। तथापि, ग्राहक सन्तुष्टि के उद्देश्य हेतु तथा गुणवत्ता ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम्पनी के बाजार हिस्से की क्षति के बिना एल.पी.जी. विपणन का त्वरित विस्तार सुचारु रूप से किया गया है, प्रत्येक तेल कम्पनी के लिए अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालय अपेक्षित हैं। प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति में, जैसी कि भारत सरकार द्वारा एल.पी.जी. विपणन के उदारीकरण के कारण अब प्रकट हो रहा है, ऐसी अखिल भारतीय संविधानात्मक कम्पनी के एल.पी.जी. विपणन को बचाने/बढ़ाने में काफी आगे तक साथ देती।

4.8 एल.पी.जी. भरण संयंत्रों के प्रचालन निष्पादन :

भरण क्षमता

4.8.0 ते.सं.स. 5 वर्षों की अवधि के लिए पैक्ड एल.पी.जी. हेतु मांग को संदर्भ में पर्याप्त भरण क्षमता उपलब्ध कराने के कार्य करती है। क्षमता को परिकल्पित करते समय हिसाब में लिए जाने वाले मुख्य पूर्वानुमान निम्न प्रकार हैं :

- विचाराधीन गत वर्ष के लिए मांग को भरण क्षमता से मिलाना,
- मौजूदा क्षमता का अधिकतम संभावना तक पहले उपयोग होना चाहिए,
- मौजूदा संयंत्रों की भरण क्षमता बढ़ाने के लिए निहित सीमान्त लागत पर विचार

4.8.1 सभी उपरोक्त विकल्पों की समाप्ति के बाद क्षमता में कमी और कुछ तरह से 5 वर्षों की संभावित अनुमानित वृद्धि को हिसाब में लेकर नए भरण संयंत्रों के माध्यम से अतिरिक्त भरण क्षमता पर विचार किया जाता है। उपरोक्त घटकों को हिसाब में लेने के बाद भी इ.आ. कं. की मौजूदा भरण क्षमता तेजी से बढ़ती मांग के कारण आवश्यकता की अपेक्षा कम थी।

4.8.2 1985-86 से 1994-95 तक के वर्षों के लिए विपणन प्रभाग के अंतर्गत एल.पी.जी. संयंत्रों का संक्षिप्त प्रचालन निष्पादन नीचे वर्णित है:-

	वर्ष									
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
(अ) क्षमता उपयोग										
(क) टी एम टी पी ए में क्षमता	226.9	264.9	443.0	554.5	803.5	815.0	860.0	877.0	1002	1021
(ख) टी एम टी में वास्तविक	240.0	301.2	492.8	684.1	869.9	916.0	1081.7	1174.3	1272.97	1391.03
(ग) क्षमता उपयोग (%)	105.8	113.7	111.2	123.4	108.3	112.4	125.8	133.9	127.04	136.24
(ब) प्रचालन लागत										
(क) प्रचालन लागत (रु./एम टी)	406.77	505.78	562.20	512.07	505.68	543.90	507.45	520.00	514.58	563.47
(ख) ओ सी आर सी मानक (रु./एम टी)	310.00	310.00	454.00	454.00	454.00	495.50	495.50	495.50	495.50	495.50
(ग) अन्तर (क-ख)	96.77	195.78	108.20	58.07	51.68	48.40	11.95	24.50	19.08	67.97
(घ) (ख) से अन्तर की %	31.22	63.15	23.83	12.79	11.38	9.77	2.41	4.94	3.85	13.72
(ड.) कम प्राप्ति (लाख रु. में)	232.25	589.69	533.21	397.26	449.56	443.34	129.26	287.70	242.88	945.48
(अ) की मद (ख) X उपरोक्त (ब) की (ग)										
(ए) एल पी जी स्टॉक हानियाँ *										
(क) मात्रा (मी ट में)	284962	365418	418666	588206	750018	795752	929527	1097885	1100024	1224190.60
(ख) हानि (मी ट में)	2224	1261	2447	2174	1910	483	(1352)	(3589)	(2239)	(3049)
(ग) हानि की प्रतिशतता	0.78	0.35	0.58	0.37	0.25	0.06	(0.15)	(0.35)	(0.20)	(0.25)
(घ) ओ सी आर सी मानक	0.25	0.25	0.25	**	**	**	**	**	**	**
(ड.) अन्तर	0.53	0.10	0.33							
(घ) ओ सी आर सी मानक से अन्तर की प्रतिशतता	212	40	132							
(छ) प्रबन्धन लक्ष्य	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25
(ज) अन्तर (ग-छ)	0.28	(0.15)	0.18	(0.03)	(0.15)	(0.24)	(0.45)	(0.65)	(0.45)	(0.50)
(झ) कम प्राप्ति/ (अधिक प्राप्ति) (लाख रु. में)	ला.न.	ला.न.	76.92	43.26	14.89	(45.06)	(162.61)	(170.55)	(77.27)	(106.78)

* मथुरा एवं हजीरा पाइपलाइन द्वारा पूर्ण किए गए संयंत्रों को छोड़कर ब्यौरे

टिप्पणी i) कोष्ठक के आंकड़े लाभ दर्शाते हैं

** ii) 1988-89 से 1994-95 तक के वर्षों के लिए एल पी जी स्टॉक हानियों हेतु ओ सी आर सी मानक 7.88 रु./ मी ट था।

क्षमता उपयोग

4.8.3 डिजायन क्षमता, व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, ते.स.स. रिपोर्ट, उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना (पी एल बी एस) इन्टर डिवीजनल कमेटी रिपोर्ट (आई डी सी) प्रतिस्थापित, प्रबन्धन द्वारा प्राप्त करने योग्य क्षमता में अपनाई गई क्षमता आंकड़ों में कोई एकरूपता नहीं थी और अतः किसी विशिष्ट मानक आधार पर क्षमता उपयोग पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

4.8.4 इसके अतिरिक्त अन्य वर्षों की तुलना में 1989-90 में उपयोगिता की कम प्रतिशतता मुख्यतः 1988-89 में चालू किए गए फेस-॥ संयंत्र के स्थिरीकरण के कारण थी।

प्रचालन लागत

4.8.5 यह देखा गया था कि समय-समय पर निर्देशित मूल्य निर्धारण तंत्र के अन्तर्गत कम्पनी को अनुमत प्रचालन लागत की अपेक्षा भरण संयंत्र के लिए प्रति मी.ट. प्रचालन लागत हमेशा काफी अधिक थी। वृद्धि 2.41 प्रतिशत से 63.15 प्रतिशत के बीच थी। इसके परिणामस्वरूप 1991-92 में 129.26 लाख रु. से 1994-95 में 945.48 लाख रु. तक के बीच प्रचालन लागतों की कम प्राप्ति हुई।

4.8.6 प्रबन्धन ने बताया (जून 1994) कि समय के साथ निर्माण लागतें बढ़ गईं। अनियंत्रणीय लागत के तत्व जैसे वेतन, बोनस आदि प्रतिवर्ष बढ़ गए। ओ सी आर सी द्वारा प्रचालन लागत के बीच मार्जिन पूर्ण रूप से सभी संयंत्रों के लिए निर्धारित किए गए थे न कि अलग-अलग वोटलिंग संयंत्रों के लिए। ओ सी आर सी द्वारा दिए गए मार्जिन स्फीतिकारी प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं थे। प्रबन्धन ने यह भी बताया कि व्ययों की नियमित मानीटरिंग की जाती है।

स्टॉक हानियां

4.8.7 प्रबन्धन ने 1985-86 से 1987-88 तक के दौरान ओ सी आर सी के 0.25 प्रतिशत के मानक के प्रति एल पी ज़ि फिलिंग संयंत्रों में स्टॉक हानि के लिए 0.5 प्रतिशत के लक्ष्य निर्धारित किए थे। वास्तविक हानियां ओ सी आर सी द्वारा निर्धारित 0.25 प्रतिशत के मानक से काफी अधिक थीं। अन्तर की प्रतिशतता अर्थात् ओ सी आर सी के मानकों से अधिक हानियां 1985-86 और 1987-88 के दौरान क्रमशः 212 और 132 बनती थीं। वास्तविक हानियां प्रबन्धन के 0.5 प्रतिशत के मानक के प्रति वर्ष 1985-86, 1986-87 और

1987-88 में क्रमशः 0.78, 0.35 और 0.58 प्रतिशत थीं। तथापि, प्रबन्धन ने अपने मानक 1988-89 में 0.4%, 1990-91 में 0.3% और 1993-94 से आगे के लिए 0.25% संशोधित किये।

4.8.8 कम्पनी (विपणन डिवीजन) के विभिन्न एल पी जी बोटलिंग संयंत्रों में वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के लिए एल पी जी स्टाक हानि/लाभ की स्थिति दर्शाने वाले विवरण से यह देखा गया था कि हानि/लाभ में संयंत्र से संयंत्र तथा प्रत्येक संयंत्र में वर्ष दर वर्ष काफी अन्तर थे। पूर्व क्षेत्र (पू.क्षे.) के कल्याणी बोटलिंग संयंत्र में हानि की प्रतिशतता 1985-86, 1986-87 और 1987-88 में क्रमशः 0.828, 1.488 और 1.585 थी। यह इन वर्षों के दौरान स्टाक हानियों पर नियंत्रण की कमी दर्शाता है।

4.8.9 प्रबन्धन ने बताया (जून 1994) कि पूर्व वर्षों के दौरान एल पी जी बोटलिंग के लिए नये कर्मचारी थे। इसके अतिरिक्त, रेल फीड बोटलिंग संयंत्र के मामले में हानियां पाई गई थी और हानियों को कम करने/हानियों के कारणों का पता लगाने के लिए नियमित मानीटरिंग और विश्लेषण किया जा रहा है।

4.8.10 प्रबन्धन के अनुसार गत वर्षों में स्टाक हानियों को कम करने के कुछ उपाय जैसे प्रीसैट प्रेसर स्विचों सहित वैपोर कम्प्रेसर की व्यवस्था, 30 एम टी से 50 एम टी तक सेतु तुलाओं में परिवर्तन और इलैक्ट्रॉनिक तुलना सेतु, में होर्टन स्फेयर में सर्वो गेज का निर्धारण आदि किये गये थे।

4.9. एल पी जी वितरकों से दावें

4.9.0 एल. पी.जी. वितरकों से एल पी जी उपस्कर/साज सामानों की कमी से संबंधित वसूली योग्य राशि को 31.3.1992 में 4.91 करोड़ रु. के प्रति 31.3.95 को 6.61 करोड़ रु. बनी।

4.9.1 31.3.1995 को शोध्य और संदिग्ध दावों की स्थिति नीचे दी गई है :-

	1.4.94 को	परिनिर्धारित	शेष	वर्ष के दौरान उत्पन्न	परिनिर्धारित	शेष	31.3.95 को जोड़
शोध्य	432.15	193.22	238.93	465.85	381.02	84.83	323.76
संदिग्ध	262.19	23.47	238.72	98.73	-	98.73	337.45
जोड़	694.34	160.04	477.65	564.58	381.02	183.56	661.21

4.9.2 अगस्त, 1987 और मार्च 1992 के बीच की अवधि को शामिल करके पूर्वी क्षेत्र में एल.पी.जी. उपस्कर की हानियों के संबंध में 1.48 करोड़ रु. उपरोक्त दावों में शामिल नहीं है। यह शास्ति दरों पर वसूली न किए जाने से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप 950 रु. प्रति सिलेंडर और 175 रु. तक प्रति रेगुलेटर की कम वसूली हुई। यह प्रबन्धन नीति संबंधी परिपत्र दिनांक 20.10.1987 में बताये गये दिशा निर्देशों का उल्लंघन है और छोड़ी गई राशि अनुचित और अनधिकृत थी।

4.10 ग्राहकों से प्राप्त एल.पी.जी. सिलेंडर की धरोहरें

4.10.0 प्रत्येक एल.पी.जी. उपभोक्ता को कम्पनी द्वारा उसको जारी एल.पी.जी. सिलेंडर की लागत के प्रति धरोहर जमा करना अपेक्षित है। यह जमा कम्पनी द्वारा लगभग स्थाई रूप से रखा जाता है।

4.10.1 1985-86 से 1994-95 तक के दौरान कम्पनी द्वारा अपने पास रखी गई ऐसी जमा राशि और 12 प्रतिशत की दर से इस राशि पर ब्याज को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

वर्ष	जमा की राशि (करोड़ रु. में)	ब्याज की राशि (करोड़ रु. में)
1985-86	255.86	30.70
1986-87	316.74	38.00
1987-88	358.91	43.07
1988-89	425.42	51.05
1989-90	491.42	58.97
1990-91	532.06	63.85
1991-92	604.40	72.53
1992-93	662.02	79.44
1993-94	747.00	89.64
1994-95	853.05	<u>102.37</u>
		<u>629.62</u>

4.10.2 वर्तमान निर्देशित मूल्य निर्धारण तंत्र के अंतर्गत तेल कम्पनियों को, उनके द्वारा प्राप्त एल.पी.जी. सिलिंडरों की लागत की पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाती है। जबकि कम्पनियां एल.पी.जी. उपभोक्ताओं से जमा एकत्रित करती हैं वहां वास्तव में वे एल.पी.जी. सिलिंडरों पर कोई धन निवेश नहीं करती हैं। तथापि, उपभोक्ताओं से ब्याज मुक्त जमा की उपलब्धता से तेल कम्पनियों को इस राशि पर ब्याज की मात्रा का अतिरिक्त लाभ मिलता है।

4.10.3 प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 1992) कि तेल कम्पनी को प्रत्येक ग्राहक के लिए 1.5 सिलिंडर और एक प्रेशर रेगुलेटर पर निवेश करना पड़ता है जिनकी कुल कीमत एक सिलिंडर और रेगुलेटर के लिए प्राप्त जमा प्रतिपूर्ति से अधिक बनती है। तेल कम्पनियां उपभोक्ताओं से सिलिंडर और रेगुलेटर के लिए कोई किराया वसूल नहीं करती हैं तथा उपभोक्ताओं से उनकी बदलाई लागत वसूल नहीं करती हैं।

4.10.4 प्रबन्धन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सिलिंडर की लागत ओ सी सी पूल एकाउन्ट से वसूल की जाती है और उपभोक्ताओं से प्राप्त जमा तेल कम्पनियों द्वारा रखा जाता है।

5 उत्पाद हानियां

5.1.0 उत्पाद हानि वह हानि है जो पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन, संभलाई, भंडारण और वितरण के दौरान होती है।

5.1.1 उत्पाद हानियों को मानीटरन और नियंत्रण के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित वर्गों में मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है :-

- (i) सामुद्रिक हानियां जिन्हें इसके अतिरिक्त क) आयात ख) तटीय आदान-प्रदान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- (ii) पाईपलाइन की हानियां और
- (iii) प्रचालन की हानियां अर्थात् प्रतिस्थापन और डिपो पर हानियां

5.1.2 निर्देशित मूल्य निर्धारण तंत्र के अंतर्गत तेल कम्पनियों को क्षतिपूर्ति के उद्देश्य के लिए तेल मूल्य निर्धारण समिति 1976 द्वारा समुद्री हानियों और स्टांक हानियों के लिए मानक निर्धारित किए गए थे। इसके बाद इन मानकों को संशोधित नहीं किया गया है। निर्धारित मानकों की अपेक्षा वास्तविक हानियों में कोई कमी वेशी अलग-अलग तेल कम्पनियों द्वारा वहन की जाती है। अगर वास्तविक हानियां अधिक हैं तो कम्पनी की हानि है और यदि कम है तो लाभ प्राप्त होता है।

5.1.3 मूल्य निर्धारण तंत्र के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अलावा कम्पनी ने भी नियंत्रण और मानीटरन के उद्देश्य से उत्पाद हानियों के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित किये हैं। इस उद्देश्य के लिए उत्पादों को तीन श्रेणियों, अर्थात् खतरनाक उत्पाद (डी पी), निरापद उत्पाद (एन डी पी) और भारी उत्पाद (एच पी) में साधारणतया वर्गीकृत किया गया है। समय-समय पर डिपो और प्रतिस्थापन की स्टांक हानियों के लक्ष्य निम्नानुसार थे :-

श्रेणी	विवरण	प्रतिशतता के रूप में अखिल भारतीय लक्ष्य			
		83-84 से 88-89	89-90	90-91 से 93-94	1994-95
1. डी पी	खतरनाक पेट्रोलियम (नैफ्था, ए वी गैस, एन जी एल को छोड़कर, जिसके लिए अलग से मानक निर्धारित किए गए हैं, 93 ओक्टेन सहित)	0.35	0.11	0.10	0.08
2. ए डी पी	निरापद पेट्रोलियम (ए टी एफ, एस के ओ, एच एस डी और एम टी ओ सहित)	0.15	0.00	0.00	0.00
3. एच पी	भारी पेट्रोलियम (एल डी ओ, एफ ओ और आर एफ ओ सहित)	0.10	0.00	0.00	0.00

5.1.4 कम्पनी ने लांग रेंज प्लान (एल आर पी) के उपाय के रूप में खतरनाक उत्पादों के लिए लक्ष्य 1988-89 के लिए 0.35 प्रतिशत से 1989-90 के लिए 0.11 प्रतिशत और 1990-91 से 1993-94 तक के वर्षों के लिए 0.10 प्रतिशत और 1994-95 के लिए 0.08 प्रतिशत संशोधित किये और एन डी पी के लिए लक्ष्य 1988-89 तक 0.15 प्रतिशत से 1989-90 से 1994-95 तक की अवधि के लिए शून्य (0.00) तक संशोधित किये गए थे।

5.1.5 यद्यपि 1990-91 से 1994-95 तक के वर्षों के दौरान डिपो और प्रतिस्थापन के संबंध में निवल स्टॉक हानियां डिपो और प्रतिस्थापन दोनों के लिए साथ-साथ प्रबन्धन द्वारा निर्धारित अखिल भारतीय लक्ष्य के अन्तर्गत थे परन्तु डी पी, एन डी पी और एच पी के लिए सभी वर्षों में सभी क्षेत्रों में डिपो पर स्टॉक हानियां काफी अधिक थीं, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	उत्पाद डिपो	उत्तरी क्षेत्र				पूर्वी क्षेत्र				पश्चिमी क्षेत्र			दक्षिणी क्षेत्र		समस्त भारत	
		प्रति.	क्षेत्रीय	डिपो	प्रति.	क्षेत्रीय	डिपो	प्रति.	क्षेत्रीय	डिपो	प्रति.	क्षेत्रीय	डिपो	प्रति.	क्षेत्रीय	
1990-91	डी पी	0.35	(0.23)	(0.10)	0.43	0.02	0.11	0.50	0.01	0.13	0.31	(0.04)	0.02	0.40	(0.08)	
	एन डी पी	0.03	(0.28)	(0.16)	0.11	(0.07)	(0.04)	0.22	(0.14)	(0.04)	0.19	(0.08)	0.00	0.13	(0.14)	
	एच पी	0.15	(0.13)	(0.12)	(0.20)	(0.54)	(0.52)	0.04	0.06	0.06	(0.13)	(0.12)	(0.12)	(0.09)	(0.12)	
	सभी उत्पाद	0.06	(0.26)	(0.15)	0.13	(0.10)	(0.06)	0.25	(0.09)	(0.01)	0.19	(0.08)	(0.01)	0.15	(0.13)	
1991-92	डी पी	0.47	(0.16)	(0.02)	0.29	0.06	0.10	0.55	0.09	0.19	0.28	(0.10)	(0.03)	0.42	(0.05)	
	एन डी पी	0.11	(0.28)	(0.13)	0.08	(0.06)	(0.04)	0.16	(0.14)	(0.06)	0.26	(0.12)	0.00	0.16	(0.15)	
	एच पी	0.57	0.39	0.40	(0.07)	(0.48)	(0.44)	0.29	0.25	0.25	0.04	(0.11)	(0.10)	0.11	0.00	
	सभी उत्पाद	0.14	(0.23)	(0.10)	0.09	(0.08)	(0.05)	0.20	(0.07)	(0.01)	0.25	(0.11)	(0.02)	0.18	(0.12)	
1992-93	डी पी	0.44	(0.21)	(0.06)	0.28	0.07	0.12	0.72	0.06	0.20	0.34	(0.10)	(0.02)	0.46	(0.07)	
	एन डी पी	0.04	(0.22)	(0.12)	0.11	(0.07)	(0.04)	0.23	(0.10)	(0.02)	0.31	(0.10)	0.02	0.17	(0.12)	
	एच पी	0.05	0.44	0.42	0.10	(0.50)	(0.45)	0.91	0.06	0.08	0.22	(0.08)	(0.06)	0.26	(0.07)	
	सभी उत्पाद	0.07	(0.20)	(0.10)	0.12	(0.09)	(0.05)	0.28	(0.07)	0.01	0.31	(0.10)	0.01	0.19	(0.11)	
1993-94	डी पी	0.52	(0.20)	(0.02)	0.33	0.00	0.13	0.70	0.03	0.16	0.34	(0.08)	0.00	0.48	(0.08)	
	एन डी पी	0.05	(0.28)	(0.14)	0.09	(0.15)	(0.13)	0.25	(0.14)	(0.05)	0.21	(0.13)	(0.03)	0.17	(0.15)	
	एच पी	0.78	(0.00)	0.05	0.28	(0.48)	(0.41)	0.62	(0.27)	(0.22)	0.31	(0.10)	(0.07)	0.40	(0.19)	
	सभी उत्पाद	0.09	(0.25)	(0.12)	0.23	(0.21)	(0.05)	0.52	(0.12)	(0.05)	0.22	(0.12)	(0.03)	0.20	(0.15)	
1994-95	डी पी	0.45	(0.14)	0.00	0.40	0.14	0.00	0.67	(0.03)	0.13	0.49	0.04	0.13	0.50	(0.06)	
	एन डी पी	0.07	(0.26)	(0.13)	0.08	(0.09)	(0.06)	0.16	(0.12)	(0.06)	0.22	(0.18)	(0.06)	0.13	(0.15)	
	एच पी	0.55	(0.07)	(0.04)	0.19	(0.39)	(0.36)	0.64	(0.21)	(0.17)	0.26	(0.11)	(0.08)	0.36	(0.19)	
	सभी उत्पाद	0.10	(0.23)	(0.11)	0.11	(0.11)	(0.07)	0.22	(0.12)	(0.15)	0.25	(0.14)	(0.04)	0.17	(0.15)	

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े लाभ दर्शाते हैं।

5.1.6 तालिका प्रदर्शित करती है कि 1990-91 से 1994-95 तक के सभी वर्षों में, सभी क्षेत्रों के डिपुओं में स्टाक हानियां डी पी में 0.28 प्रतिशत और 0.72 प्रतिशत, एन डी पी में 0.03 प्रतिशत और 0.31 प्रतिशत और एच पी में 0.04 प्रतिशत और 0.91 प्रतिशत के बीच रहीं। पश्चिमी क्षेत्र के डिपुओं में डी पी और एच पी में हानियां अन्य क्षेत्र की अपेक्षा हर समय अधिक थीं और दक्षिणी क्षेत्र में एन डी पी पर हानि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक थी। यह जानकर अच्छा लगा था कि प्रतिस्थापना में हमेशा स्टाक लाभ हुआ और स्टाक हानि नहीं हुई। फिर भी डिपुओं में भारी स्टाक हानि का प्रतिस्थापना में दर्ज लाभ द्वारा समंजन हुआ था और कुल स्टाक हानियां अखिल भारतीय लक्ष्य की सीमा के अन्दर थीं।

5.1.7 कम्पनी द्वारा पुष्ट स्टाक हानियों के मूल्य के विश्लेषण और 1984-85 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान मूल्य निर्धारण तंत्र के माध्यम से इन हानियों के प्रति वसूल की गई राशि से पता चलता है कि कम्पनी को स्टाक में कमी के कारण 59.57 करोड़ रु. का लाभ हुआ। कम्पनी ने समुद्री हानियों में कमी के कारण 1988-89 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान 13.04 करोड़ रु. का भी लाभ अर्जित किया।

6. सुविधा आयोजना

6.1. तेल उद्योग की विपणन और वितरण अवसंरचना

6.1.0 भारत में सम्पूर्ण देश में 29 स्थानों पर लगभग 80 टर्मिनल/अधिष्ठान हैं। कम्पनी ए ओ डी के 3 टर्मिनलों को शामिल करके 39 टर्मिनलों का प्रचालन करती है। केवल चार ऐसे स्थान हैं जहां आई ओ सी के अलावा तेल विपणन कम्पनियों के टर्मिनल हैं और 17 स्थानों पर आई ओ सी एक मात्र प्रचालक है। एच पी सी और बी पी सी क्रमशः 19 और 18 टर्मिनलों का तथा शेष चार का आई बी पी प्रचालन करती है।

6.1.1 कम्पनी प्रचालित 250 डिपुओं में से 124 का आई ओ सी प्रचालन करता है। आई बी पी के चार डिपो हैं। शेष डिपुओं को एच पी सी (64) और बी पी सी (59) के बीच बांटा गया है। आई ओ सी का पूर्वोत्तर में 19 डिपुओं पर एकाधिकार है।

6.1.2 सात उत्पाद पाइपलाइनों में से छः और देश में कच्चे तेल की सभी लाइन आई ओ सी के पास हैं। शेष एक उत्पाद पाइपलाइन पर एच पी सी का अधिकार है।

6.1.3 31 मार्च 1995 को, पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के उद्देश्य के लिए देश में लगभग 18,000 रोड टैंकर चलाये जा रहे थे। इनमें से मात्र 5 प्रतिशत तेल कम्पनियों के स्वामित्व में हैं शेष ग्राहकों या सड़क परिवहकों के स्वामित्व में हैं। आई ओ सी का पुनः सड़क यातायात में प्रमुख हिस्सा है जो 14450 टैंकर चलाती है और 418 की स्वामी है।

6.1.4 लगभग 16000 रिटेल प्रोडक्ट आउटलेट (आर पी ओ) से आई ओ सी का लगभग 38 प्रतिशत और एच पी सी तथा बी पी सी प्रत्येक का 25 प्रतिशत और आई बी पी का 9 प्रतिशत हिस्सा है।

6.1.5 निम्नलिखित तालिका कम्पनी के लिए 31 मार्च 1988 और 31 मार्च 1995 को कुल प्रतिष्ठापनों/टर्मिनलों, डिपुओं आदि की संख्या तथा गत 7 वर्षों में सुविधाओं में वृद्धि को भी दर्शाती है:-

(टैकेज क्षमता: लाख कि. ली. में)

क्र.सं.	श्रेणी	31.3.88 को		31.3.95 को		निवल वृद्धि	
		संख्या	टैकेज	संख्या	टैकेज	संख्या	टैकेज
1.	पत्तन प्रतिष्ठापन	18	12.02	18	16.10	-	4.08
2.	पाइपलाइन प्रतिष्ठापन	12	10.14	11	10.54	(-) 1	-
3.	अन्तर्देशीय प्रतिष्ठापन	5	1.19	7	2.30	2	1.11
4.	बल्क डिपो	105	7.46	117	12.21	12	4.75
5.	उपभोक्ता डिपो	161	0.56	199	0.81	38	0.25
6.	टी के डी (तालुका केरोसीन डिपो)	29	-	30	-	1	-
7.	फुटकर निकास द्वार	5250	-	5995	-	745	-
8.	एस के ओ/एल डी ओ डीलर	2580	-	2898	-	318	-
9.	बहुउद्देश्यीय वितरण केन्द्र (एम पी डी सी)	231	-	231	-	-	-
10.	उपभोक्ता पम्प	3393	-	4379	-	986	-
11.	टैक टक्स	419	-	418	-	(-) 1	-

6.2 विपणन और वितरण अवसंरचना के लिए योजना परिव्यय और आवश्यकता के बीच अन्तराल

6.2.0 आठवीं योजना (1992-97) में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 6.9% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने की आशा की गई थी जो 1996-97 तक 79.37 मिलियन टन तक पहुंच जायेगी। योजना आयोग द्वारा शोधन और विपणन प्रचालनों के लिए स्थापित उप-ग्रुप ने सम्पूर्ण उद्योग के लिए विपणन और वितरण में निवेश के लिए 13806.25 करोड़ रु. (एल पी जी जमा निवल) का परिव्यय आरंभ में प्रस्तावित किया। तथापि, संसाधन क्रन्च की दृष्टि से निम्नतम आवश्यकताओं की प्राप्ति के उद्देश्य से परियोजनाओं की प्राथमिकता पर एक प्रयोग किया जिसकी 1832 करोड़ रु. के आई ओ सी (एम.डी.) के शेयर सहित 3300 करोड़ रु. की परियोजना तैयार की गई थी। योजना आयोग के साथ कम्पनीवार विचार-विमर्श के दौरान, बड़ी परियोजनाओं के लिए केवल नाम मात्र की व्यवस्था करके इस परिव्यय में और आगे कांट छांट की गई थी। आई ओ सी (विपणन)

के लिए आठवीं योजना का स्वीकृत परिव्यय इस अवधि के दौरान योजना व्यय के लिए कम्पनी के 2449.97 करोड़ रु. के अनुमान के प्रति 341.41 करोड़ रु. कम हो गया। इस प्रकार स्वीकृत परिव्यय एक वर्ष के खर्च के लिए भी पर्याप्त नहीं था। यह इस तथ्य के बावजूद है कि कम्पनी लगातार अपने आंतरिक संसाधनों को जुटा रही थी जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रु. में)

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
प्रतिधारित लाभ	489	650	703	746	628	723	914
मूल्याह्रास	202	228	206	74	232	296	396
कुल अतिरिक्त संसाधन	691	878	909	820	860	1019	1310

6.2.1 कम्पनी की लाभप्रदता बहुत कम ईक्वटी बेस के साथ-साथ कम ऋण ईक्वटी अनुपात को ध्यान में रखते हुए कम्पनी को सार्वजनिक इश्यू या अतिरिक्त उधारी द्वारा अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए अनुमत नहीं किया गया, यह स्पष्ट नहीं था।

6.2.2 प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर 1995) कि कम्पनी को वर्ष दर वर्ष वार्षिक योजना परिव्यय पर आधारित स्वीकृत आठवीं योजना के मूल परिव्यय की अपेक्षा अधिक व्यय की अनुमति दी गई थी। संपूर्ण आठवीं योजना अवधि (1992-97) के लिए 341.41 करोड़ रु. के कुल स्वीकृत परिव्यय के प्रति कम्पनी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 489.52 करोड़ रु. खर्च कर चुकी थी। तथापि, यह सरकार द्वारा निर्धारित योजना परिव्यय की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसके अतिरिक्त, यह व्यय आई ओ सी के परियोजना गत कम से कम आवश्यकताओं के निकट भी नहीं है।

6.3 अतिरिक्त उत्पाद टैकेज (ए पी टी)

6.3.0 तेल उद्योग ने आपूर्ति में बाधाओं के प्रति सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त भंडारण सुविधाएं बनाने का प्रस्ताव (अप्रैल 1979) किया। यह निर्णय लिया गया था कि देश में भंडारण क्षमता तैयार उत्पाद की 45 दिनों की आवश्यकताओं के बराबर बढ़ायी जानी चाहिए। अतिरिक्त उत्पाद टैकेज (ए पी टी) आवश्यकताओं पर 147.49 करोड़ रु. की कुल लागत पर 28.39 लाख कि.ली. की क्षमता के साथ एक अतिरिक्त उत्पाद टैकेज की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव कर एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार (जून 1981)की गई थी। सार्वजनिक

निवेश बोर्ड (पी आई बी) ने रिपोर्ट पर विचार किया और सुझाव दिया (दिसम्बर 1981) कि योजना को संसाधन बाधाओं के कारण चरणों में विभक्त कर दिया जाय।

6.3.1 तदनुसार, उद्योग ने सार्वजनिक निवेश बोर्ड को परियोजना के फ़ैस-1 के लिए 59 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 10 लाख कि.ली. टैकेज के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अगस्त, 1982)। पी आई बी ने इस शर्त पर कि लागत अनुमान छः माह की अवधि में अद्यतन किया जाय, प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। फ़ैस -1 के लिए संशोधित प्रस्ताव 69 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत पर 9.61 लाख कि.ली. के लिए पी आई बी को भेजा गया था। सरकार ने इस प्रस्ताव को नवम्बर 1993 में स्वीकृति दी। ए पी टी फ़ैस-1 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) 1985-86 की 45 दिनों की आवश्यकता की मांग को पूरा करने के लिए 81.56 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 9.7 लाख कि.ली. के टैकेज का संशोधित प्रस्ताव करते हुए सरकार को दिसम्बर 1984 में प्रस्तुत की गई थी।

6.3.2 रेलवे साइडिंग से संबंधित मामलों के संबंध में देरी से बचने के लिए फ़ैस-11 के प्रस्ताव को दो उप-फ़ैसों में अर्थात् फ़ैस -11 क और फ़ैस -11 ख में विभक्त किया गया था। फ़ैस-11 क के प्रस्ताव में उन स्थानों को शामिल किया जाना था जो रेलवे द्वारा मंजूर किए गए थे। तदनुसार, 30.58 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर लगभग 3.6 लाख कि.ली. की वृद्धि के लिए प्रस्ताव सरकार द्वारा मार्च 1985 में स्वीकृत किया गया था। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 3.46 लाख कि.ली. के संशोधित टैकेज के साथ दिसम्बर 1986 में प्रस्तुत की गई थी। परियोजना की अधिकतर मर्दों को 1986-87 तक पूरा किये जाने का अनुमान लगाया गया था।

6.4 कम्पनी द्वारा अपनी ए पी टी फ़ैस-1 परियोजना का कार्यान्वयन

6.4.0 परियोजना, जिसमें 26.77 करोड़ रु. की लागत पर 1984-85 से पहले कम्पनी द्वारा 5.09 लाख कि.ली. की टैकेज क्षमता निर्मित करने के लिए मूल रूप से परिकल्पना की गई (जून 1981) को लागत अनुमानों तथा परिकल्पित क्षमता में और संशोधन करने के साथ मई 1983 में सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई थी। 49 स्थानों पर स्थित परियोजना 4.79 लाख कि.ली. टैकेज क्षमता के लिए 31.50 करोड़ रु. की लागत पर मार्च 1988 में पूरी की गई थी।

6.4.1. ए पी टी फ़ैस-1 टैकेज को पूरा करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट लक्ष्य मार्च 1985 था। 23 स्थानों

पर 2.26 लाख कि.ली. की टंकी एफ आर रिपोर्ट लक्ष्य के अनुसार मार्च 1985 में पूरी की गई थी। शेष 2.53 लाख कि.ली. की टंकी 26 स्थानों पर डी पी आर लक्ष्य के अनुसार मार्च 1987 में पूरा करने के लिए निर्धारित की गई थीं। यह देखा गया था कि इस संशोधित तारीख का भी तीन स्थानों अर्थात् जलगांव, राजकोट और रक्सोल में रेलवे द्वारा रेलवे साइडिंग तथा पुलिया की सुविधाएं उपलब्ध कराने में देरी के कारण पालन नहीं किया गया था।

6.5 ए पी टी - फैस ॥ क परियोजना का कार्यान्वयन

6.5.0 तेल उद्योग ने 32.67 करोड़ रु. की लागत पर 3.46 लाख कि.ली. तक टैकेज क्षमता में संशोधन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ओ सी सी को प्रस्तुत की (दिसम्बर 1986)। सितम्बर 1986 के मूल्यांकन के आधार पर 16.23 करोड़ रु. की लागत पर कम्पनी की हिस्से की टंकी को भी 1.82 लाख कि.ली. तक संशोधित किया गया था जो 1986-87 में पूरा किये जाने के निर्धारित समय सहित भारत सरकार द्वारा (जून 1987) स्वीकृत की गयी थी।

6.5.1 तीस स्थानों पर 1.82 लाख कि.ली. के परिकल्पित कम्पनी के हिस्से में से दो स्थानों (मुरादाबाद और इटारसी) को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और अन्य पांच स्थानों पर टंकी का कुछ हिस्सा ही प्रस्तावित किया गया था। तथापि, निष्पादन के दौरान एक स्थान अर्थात् विलासपुर, जहां टंकी का कुछ हिस्सा ही प्रस्तावित किया गया था, को भी रेलवे द्वारा भूमि आवंटन में देरी के कारण बन्द कर दिया गया था। अतः 30 स्थानों पर डी पी आर में स्वीकृत की गई 1.82 लाख कि.ली. के प्रति 27 स्थानों पर कुल 1.80 लाख कि.ली. की टंकी उपलब्ध कराई गई थी। सभी स्थानों पर समग्र पूर्णता 15.56 करोड़ रु. की कुल लागत पर मई 1987 में प्राप्त की गयी थी।

6.6 टंकी क्षमता के प्रति वास्तविक ध्रुपट

6.6.0 निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 1995 को समाप्त विगत 12 वर्षों के लिए उपलब्ध टंकी क्षमता और वास्तविक ध्रुपट टर्न ओवर दर्शाती है।

(लाख कि.ली. में)

वर्ष	टंकी क्षमता	थ्रूपुट	कुल बिक्री (समय की संख्या)
1983-84	24.25	274	11
1984-85	26.51	315	12
1985-86	28.80	336	12
1986-87	30.77	350	11
1987-88	30.81	380	12
1988-89	32.10	426	13
1989-90	32.67	463	14
1990-91	34.29	507	15
1991-92	34.88	559	16
1992-93	37.68	593	16
1993-94	40.17	635	16
1994-95	41.15	675.7	16

6.6.1 जबकि 1983-84 से 1994-95 तक थ्रूपुट 146.61 प्रतिशत बढ़ गया, परन्तु कम्पनी की टंकी क्षमता 69.69 प्रतिशत तक बढ़ी हुई थी। जबकि ए पी टी फैस-1 और फैस-11-क कार्यक्रमों का उद्देश्य 45 दिनों का लक्ष्य पूरा करने का था, परन्तु 1994-95 में कम्पनी की टंकी क्षमता केवल 22 दिनों के लिए थ्रूपुट को पूरा करने के लिए ही काफी थी।

6.6.2 प्रबन्धन ने बताया (जून 1994) कि शुरु में 45 दिनों का लक्ष्य था जो बाद में थ्रूपुट की वृद्धि और प्रचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संशोधित (1990) किया गया। अब पत्तन स्थानों, शोधनशाला स्थानों, टेप आफ पाइंट (टी ओ पी) और डिपो आदि के लिए मानक भिन्न भिन्न है। कम्पनी ने आगे बताया (नवम्बर 1995) कि सरकार ने पुनः 45 दिनों तक के लिए अनुकूल मात्रा में स्टॉक रखने का निर्णय लिया और कार्यकारी ग्रुप को आवश्यकता के अनुरूप कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है।

6.6.3 कम्पनी अन्य तेल कम्पनियों या तीसरी पार्टी के साथ संयुक्त रूप से भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने की संभावना की जांच पड़ताल कर रही थी। कम्पनी ने टंकी अवसंरचनाओं के लिए संयुक्त जोखिम कम्पनी की स्थापना के लिए निम्नलिखित कम्पनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये (नवम्बर, 1994)।

- क) मैसर्स आई बी पी कम्पनी लि., पी एस यू तेल कम्पनी
 ख) मैसर्स तेल टैकिंग, जी एम बी एच, हम्बर्ग, जर्मनी

6.7 खुदरा बाजार (आर/ओ)

6.7.0 31 मार्च 1995 को कम्पनी के एम एस और एच एस डी की बिक्री के लिए 5995 खुदरा बाजार थे। खुदरा बाजार में 1985-86 में 5165 से 1994-95 में 5995 तक की वृद्धि हुई।

पश्चिमी क्षेत्र में खुदरा बाजारों का निष्पादन

6.7.1 निम्न तालिका कम्पनी के पश्चिमी क्षेत्र में मार्च 1995 को समाप्त विगत दस वर्षों के दौरान वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में आर ओ के निष्पादन दर्शाती है।

(आंकड़े 000 टनों में)

(प्रति आर ओ औसत बिक्री)

वर्ष	बाजारों की संख्या	लक्ष्य		वास्तविक आंकड़े		उपलब्धि की %	
		एम एस	एच एस डी	एम एस	एच एस डी	एम एस	एच एस डी
1985-86	1017	0.18	0.76	0.22	0.75	122	99
1986-87	1059	0.19	0.81	0.25	0.82	131	101
1987-88	1063	0.22	0.79	0.20	0.88	91	111
1988-89	1173	0.25	0.95	0.20	0.89	80	94
1989-90	1203	0.22	1.03	0.23	0.99	105	96
1990-91	1238	0.25	1.01	0.22	1.00	88	99
1991-92	1238	0.26	1.03	0.23	1.09	88	106
1992-93	1238	0.29	1.46	0.28	1.43	97	98
1993-94	1255	0.31	1.59	0.30	1.54	97	97
1994-95	1312	0.33	1.72	0.32	1.70	98	99

6.7.2 प्रबन्धन ने बताया (जून 1994) कि एम एस की बिक्री में उपलब्धि संतोषजनक नहीं थी क्योंकि बम्बई नगर, में खुदरा बाजारों की संख्या पर्याप्त नहीं है जहां पश्चिमी क्षेत्र एम एस संभाव्य केन्द्रीकृत था और जहां कम्पनी का प्रतिनिधित्व केवल 17 प्रतिशत था।

6.8 एस के ओ/एल डी ओ डी डीलरों की नियुक्ति

6.8.0 निम्न तालिका मार्च 1995 को समाप्त 10 वर्षों के लिए नये डीलरों की नियुक्ति के संबंध में लक्ष्यों, वास्तविक आंकड़ों और गिरावट को दर्शाती है:-

वर्ष	लक्ष्य	(आंकड़े संख्या में)	
		वास्तविक आंकड़े	गिरावट (आधिक्य)
1985-86	94	87	7
1986-87	138	108	30
1987-88	107	75	32
1988-89	80	60	20
1989-90	65	78	(13)
1990-91	78	83	(5)
1991-92	26	10	16
1992-93	11	8	3
1993-94	1	13	(12)
1994-95	34	24	10

6.8.1 कम्पनी एस के ओ/ एल डी ओ डी डीलरशिप की पर्याप्त संख्या निर्मित नहीं कर सकी जैसाकि 1985-86 से 1988-89 तक तथा 1991-92 से 1992-93 तक के वर्षों में लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्ष्यों के अनुसार चालू न किये जाने का कारण भंडारण के लिए उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता बताया गया था। 1991-92 और 1992-93 में गिरावट के लिए यह कहा गया था कि तेल चयन बोर्ड नवम्बर 1990 से दिसम्बर 1992 तक कार्यरत नहीं था जिसका प्रोग्राम को चालू करने में प्रभाव पड़ा था। बाद में जनवरी 1993 में दो वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ओ एस बी गठित किया गया था।

7. वित्तीय निष्पादन

7.1 वित्तीय स्थिति

7.1.0 मार्च 1995 को समाप्त सात वर्षों के लिए सम्पूर्ण कम्पनी की वित्तीय स्थिति नीचे संक्षेप में

दी जाती है :-

	(करोड़ रु. में)						
	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
देयताएं							
क) i) प्रदत्त पूंजी	123.27	123.27	123.27	123.27	123.27	123.27	369.80
ii) शेयर आवेदन धन	-	-	-	-	-	-	19.54
ख) आरक्षित एवं बेगी							
i) मुक्त आरक्षित एवं बेगी	1868.24	2517.82	3220.44	3966.25	4593.63	5316.02	6122.16
ii) बचनबद्ध आरक्षित एवं बेगी	232.35	232.67	232.97	233.97	233.57	233.87	95.37
	2100.59	2750.49	3453.41	4199.52	4827.20	5549.89	6217.53
ग) निम्न से उधार							
i) भारत सरकार	6.83	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य							
दीर्घकालिक ऋण	16.75	349.42	458.51	1064.78	1271.31	799.53	1236.43
अल्पकालिक ऋण	2008.72	5085.93	6662.70	2555.81	4864.25	5449.45	3554.54
सार्वजनिक जमा	54.58	5.78	6.48	6.22	81.05	250.92	575.74
	2086.88	5441.13	7127.69	3626.81	6216.61	6499.90	5366.71
घ) चानू देयताएं और प्रावधान	2322.63	2925.75	3535.54	6006.84	4898.59	5070.93	6049.36
जोड़	6633.37	11240.64	14239.91	13956.44	16065.67	17243.99	18022.94
परिसम्पत्तियां							
ड.) निवल ब्लाक	852.61	966.97	1091.23	1348.93	1914.82	2577.52	2879.64
च) चानू पूंजी कार्य	307.66	438.19	706.42	1134.79	1147.79	1326.07	2628.59
छ) निवेश	2516.13	5310.48	6465.96	4153.34	3721.79	3857.63	3856.89
ज) चानू देयताएं, ऋण एवं अग्रिम	2956.97	4525.00	5976.30	7319.38	9281.27	9482.77	8657.82
जोड़	6633.37	11240.64	14239.91	13956.44	16065.67	17243.99	18022.94
झ) कार्यचालन पूंजी (ज-घ)	634.35	1599.25	2440.76	1312.54	4382.68	4411.84	2608.46
ञ) नियोजित पूंजी (ड.+ ज-घ)	1486.95	2566.22	3531.99	2661.47	6297.50	6989.36	5488.10
ट) निवल सम्पत्ति (क+ख(i))	1991.51	2641.09	3343.71	4089.52	4716.90	5439.29	6491.96
ठ) इक्विटी पूंजी के प्रति रु. निवल सम्पत्ति	16.16	21.43	27.13	33.18	38.26	44.13	17.56*
* 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के बाद							

प्रदत्त पूंजी

7.1.1 1976-77 से कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 150.00 करोड़ रु. थी जो 1994-95 में बढ़कर 2500 करोड़ रु. हो गई थी। 1994-95 जब यह प्रत्येक शेयर के लिए 2 बोनस शेयर के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के कारण तिगुनी हो गई थी, के अलावा समीक्षाधीन वर्षों के दौरान प्रदत्त पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं था। वर्ष 1994-95 के दौरान कम्पनी ने अपने शेयरों को 1000 रु. के प्रत्येक शेयर को 10 रु. के 100 शेयरों में विभक्त कर दिया।

1994-95 के दौरान भारत सरकार ने प्रत्येक 10 रु. के 1,43,63,150 इक्विटी शेयरों का निवेश वापस ले लिया। औसत मूल्य जिस पर शेयर वापस लिए गए थे, 712 रु. था। भारत के राष्ट्रपति को जारी किए गए बोनस शेयरों को हिसाब में लेने पर वापस लिया गया, निवेश 3.88% बनता था। वर्ष 1994-95 के दौरान कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को 100 रु. प्रतिशेयर के हिसाब से 600 शेयरों (एक्स-बोनस) का भी प्रस्ताव दिया। आवंटन 6.4.1995 को किया गया था।

आरक्षित और बेशी

7.1.2 पिछले वर्षों में आरक्षित और बेशी में स्थिर गति से वृद्धि हुई थी और 31 मार्च 1995 को 1994-95 के दौरान कम्पनी द्वारा 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के बाद मुक्त "आरक्षित और बेशी" प्रदत्त पूंजी (शेयर आवेदन धन को शामिल करके) के 16 गुना हो गये थे।

7.1.3 बचनबद्ध आरक्षितों में मुख्यतः विशेष आरक्षित जैसे "निवेश छूट आरक्षित" और "निर्यात लाभ आरक्षित" शामिल हैं जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाये गये थे। लेखापरीक्षा में उठायी गयी आपत्ति के बाद कम्पनी ने 1994-95 के दौरान इन आरक्षितों की समीक्षा की और 138.80 करोड़ रु. की राशि को निवेश छूट आरक्षित से सामान्य आरक्षित में अन्तरित किया।

पूंजी व्यय की वित्तीय व्यवस्था (निवल ब्लाक और चालू पूंजी कार्य)

7.1.4 कम्पनी अपने पूंजीगत व्यय का लगभग 81 से 83 प्रतिशत तक वित्त पोषण निर्मित संसाधनों के माध्यम से कर रही थी। शेष राशि को अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण एवं विकास बैंक और अन्य एजेंसियों से ऋण लेकर पूरा किया था। सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिली थी।

निवेश

7.1.5 कम्पनी के पास निवेश संसाधनों का विशाल पूल था। यह अंशतः कम्पनी द्वारा अपने प्रचालनों से निर्मित बेशी और अंशतः सम्पूर्ण तेल उद्योग के बावत कच्चे तेल और अन्य केनालाइज्ड उत्पादों के आयात को वित्त पोषित करने के लिए अपने द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट और विदेशी मुद्रा में प्राप्त ऋणों के कारण था। इस निवेश में मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी बांडों, यू टी आई के यूनितों और अन्य म्युचुअल फंडों के शेयर समाविष्ट हैं। निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 1995 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान निवेशपर औसत प्रतिफल और उधार की औसत दर दर्शाती है :

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
निवेश पर	9.52%	9.66%	9.56%	9.55%	9.98%
औसत प्रतिफल					
उधार की	9.39%	9.70%	7.38%	5.97%	7.34%
औसत लागत					

कम्पनी ने ओ सी सी को आपूर्तिकर्ता के क्रेडिट आदि और ऐसे ऋण/क्रेडिट पर उठाई गई वास्तविक ब्याज लागत जमा ब्याज लागत पर 0.2 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार सहित विदेशी मुद्रा में ऋण के अन्तर्गत प्राप्त धन में से निवेशों पर प्राप्त की गई ब्याज की आय के बीच अन्तर को अभ्यर्पित किया। कम्पनी ने 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस बावत ओ सी सी को क्रमशः 182.46 करोड़ रु., 212.88 करोड़ रु. और 171.55 करोड़ रु. की राशि अभ्यर्पित की।

7.1.6 वर्ष 1991-92 के दौरान कम्पनी ने 2312.61 करोड़ रु. के निवेश बेचे और बैंक एवं अन्य से 3500.88 करोड़ रु. की उधारी को भी कम किया।

7.1.7 "रेडी फ़ारवर्ड डीलर्स" और "पोर्ट फोलियो मनेजमेंट स्कीम" आदि में 1991-92 तक कम्पनी द्वारा किए गए अल्पावधि निवेशों की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) 1994 (संख्या 3) में उन पर टिप्पणियां की गई हैं।

कार्यचालन पूंजी

7.1.8 कम्पनी की कार्यचालन पूंजी मुख्यतया अल्पावधि ऋणों से वित्तपोषित की जाती है। कार्यचालन पूंजी का अन्य स्रोत ग्राहकों से प्राप्त एल पी जी सिलिंडरों के लिए धरोहर है जिसे लेखाओं में चालू देयता के रूप में दर्शाया जाता है किन्तु उसे सामान्यतया वापस किया जाना अपेक्षित नहीं है। यदि एल पी जी धरोहर को चालू देयताओं से बाहर रखा जाता है तो कम्पनी की कार्यचालन पूंजी पैरा 7.1.0 में दर्शाई गई कार्यचालन पूंजी से काफी अधिक होगी। मुख्यतया ओ सी सी से वसूली योग्य बकाया के संचय, जो 31 मार्च 1989 को 151.37 करोड़ रु. से बढ़कर 1990-91 के अन्त में 2073.60 करोड़ रु. हो गया था, के कारण पूर्व वर्षों में 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान कार्यचालन पूंजी आवश्यकता में तेजी से वृद्धि हुई थी। इन वर्षों के दौरान कार्यचालन पूंजी की बढ़ी हुई आवश्यकता को मुख्यतया अल्पावधि ऋणों द्वारा किया गया था। तथापि मुख्य पूर्तिकार के क्रेडिट के अल्पावधि ऋणों से कच्चे तेल और पेट्रोलियम के आयातों के वित्त पोषण की विधि में परिवर्तन के कारण 1991-92 के अन्त तक कार्यचालन पूंजी में 1312.54 करोड़ रु. तक की पर्याप्त कमी हुई थी। जबकि अल्पावधि ऋण "उधार" के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए जाते हैं, "पूर्तिकार का क्रेडिट" चालू देयता का भाग होता है। जैसा कि "निवेश" के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है कम्पनी ने उधारों को कम करने के लिए 1991-92 के दौरान बैंकों से 2312.61 करोड़ रु. तथा अन्य से 3500.88 करोड़ रु. का निवेश भी वापस लिये थे। इससे कम्पनी के नकद संसाधनों पर भी दबाव पड़ा था। लेकिन ओ सी सी से वसूली योग्य पर्याप्त बकायों और आयातों के वित्तपोषण के स्रोत में फिर पूर्तिकारों के क्रेडिट से अल्पावधि विदेशी ऋणों में परिवर्तन के साथ कम्पनी की कार्यचालन पूंजी 1993-94 के अन्त में बहुत अधिक 4411.84 करोड़ रु. पर थी। तथापि, कार्यचालन पूंजी ओ सी सी बकायों, जिसे ऋणों के पुनर्भुगतान में उपयोग में लाया गया था, में कमी के कारण मार्च 1995 के अन्त में 2608.46 करोड़ रु. कम हो गई। उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि कम्पनी को प्राप्य राशियों को देने में तेल समन्वय समिति द्वारा विलम्ब का कम्पनी की नकदी स्थिति पर पर्याप्त प्रभाव है।

निवल लागत

7.1.9 मुख्यतया वर्ष दर वर्ष लाभ की प्राप्ति के कारण निवल सम्पत्ति 1988-89 में 1991.51 करोड़ रु. से बढ़कर 1994-95 के अन्त में 6491.96 करोड़ रु. हो गयी। 31 मार्च 1995 को निवल लागत प्रदत्त पूंजी के

17.56 गुना थी। 31 मार्च 1995 को निवल लागत नियोजित पूंजी से अधिक थी जो यह दर्शाती है कि कम्पनी को अपने धन का अपने कारोबार में पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया था।

लाभांश

7.1.10 कम्पनी ने 1988-89 से 1994-95 के दौरान निम्नलिखित दरों पर लाभांश का भुगतान किया :

	1988-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95
लाभांश प्रतिशतता	20	20	22	33	40	40	40
प्रदत्त लाभांश	24.65	24.65	27.12	40.68	49.31	49.31	104.69
की कुल राशि (करोड़ रु. में)							
दिया गया लाभांश	4.79	3.65	3.71	5.17	7.28	6.39	10.28
अनुपात (अर्थात कर के भुगतान के बाद निवल लाभ से लाभांश की %)							

7.2 कार्यचालन परिणाम

7.2.0 1994-95 को समाप्त सात वर्षों के लिए सम्पूर्ण कम्पनी के कार्यचालन परिणाम नीचे तालिकाबद्ध किए जाते हैं :-

		(करोड़ रु. में)						
		1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
क.	आय							
i)	उत्पादों एवं कच्चे							
	तेल की बिक्री	15172.80	17499.58	19578.80	20745.06	24319.88	23731.91	28489.78
ii)	अन्य आय	230.81	(138.40)	454.64	(53.28)	366.32	401.08	80.50
	जोड़	15403.61	17361.18	20033.44	20691.78	24686.20	24132.99	28570.28
ख.	व्यय							
i)	उत्पादों एवं कच्चे							
	तेल की खरीद	7051.86	8192.40	9797.92	10195.35	13632.91	12408.66	14257.12
ii)	विनिर्माण खर्च	5447.19	5900.41	6631.33	6964.28	7213.26	7441.85	8352.87
iii)	कर्मचारियों को							
	भुगतान	185.84	214.09	244.62	272.93	317.85	341.71	424.84
iv)	कार्यालय प्रशा.							
	विक्रय तथा अन्य							
	व्यय	149.24	181.89	194.41	247.15	290.12	345.67	428.91
v)	शुल्क	1846.68	1925.60	2211.08	2101.30	2201.40	2281.20	3570.70
vi)	मूल्यहास एवं							
	परिशोधन	209.24	228.20	234.92	177.16	240.14	322.78	417.47
vii)	घटाएँ: पूंजी लेखा							
	को अन्तरण	13.33	19.58	12.07	22.51	23.11	58.96	115.39
	जोड़	14877.28	16623.01	19302.21	19936.16	23872.56	23082.91	27336.52
ग.	प्रचालन लाभ							
	(लामांश, ब्याज,							
	असाधारण और							
	पूर्वावधि समायोजनों							
	एवं कर के पूर्व)	526.33	738.17	731.23	755.62	813.64	1050.08	1233.76
	प्रदत्त ब्याज	142.92	372.23	665.57	605.21	377.51	418.92	475.24
घ.	निवल लाभ							
	(प्रचालन लाभ-							
	प्रदत्त ब्याज)	383.41	365.94	65.66	150.41	436.13	631.16	758.52
	ब्याज आय	140.14	289.33	599.66	613.49	386.17	351.69	346.43
	लामांश आय	49.54	123.93	214.82	164.47	36.53	37.30	55.95
ङ.	असाधारण/पूर्वावधि							
	समायोजनों से पूर्व							
	लाभ	573.09	779.20	880.14	928.37	858.83	1020.15	1160.90
च.	कर पूर्व लाभ	103.32	60.62	26.90	156.42	76.16	(56.04)	208.94
	कर (निवल)	676.41	839.82	907.04	1084.79	934.99	964.11	1369.84
छ.	कर बाद लाभ	162.08	165.28	177.00	298.00	258.00	192.11	350.98
	(निवल लाभ)	514.33	674.54	730.04	786.79	676.99	772.00	1018.86
ज.	प्रतिशेयर (1000 रु.							
	का) आय रु.	4172.53	5472.24	5922.49	6382.87	5492.20	6262.89	27.55*
झ.	निवल सम्पत्ति							
	पर लाभ (निवल							
	लाभ: निवल सम्पत्ति							
	* 100)	25.83	25.54	21.83	19.24	14.35	14.19	15.69
*	पूर्व में 1000 रु. प्रति शेयर के प्रति 10 रु. प्रति के अंकित मूल्य के शेयरों पर पञ्च बोनस ई पी एस निर्दिष्ट करता है।							


उपरोक्त तालिका में "अन्य आय" ब्याज तथा लामांश आय के निवल पर ली गई है और इन मदों को नीचे अलग से दर्शाया गया है। 1989-90 तथा 1991-92 के दौरान "अन्य आय" के ऋणात्मक आंकड़े हैं कि उन वर्षों के दौरान अन्तःस्टाक में कमी हुई थी और अन्तःस्टाक में कटौती का मूल्य अन्य आय की अपेक्षा अधिक था।

उत्पादों की बिक्री

7.2.1 जबकि 1988-89 से 1994-95 तक बिक्री में प्रगामी रूप से 87.77 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, उसी अवधि में बेचे गए पेट्रोलियम उत्पाद की मात्रा में केवल 24.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार बिक्री के मूल्य में वृद्धि प्रमुख रूप से समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में ऊर्ध्वगामी संशोधन और केनलाइजिंग एजेंट के रूप में अन्य तेल कम्पनियों को बेचे गए कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि के कारण थी।

प्रदत्त ब्याज बनाम अर्जित लाभ

7.2.2 1992-93 तक प्रदत्त ब्याज और अर्जित ब्याज (लाभांश आय के रूप में भी) के बीच लगभग सीधा सम्बन्ध था जैसा कि नीचे के ग्राफ में दर्शाया गया है।



7.2.3 गत पांच वर्षों के दौरान प्रदत्त ब्याज तथा अर्जित ब्याज के और ब्यौरे निम्नानुसार थे :-

(करोड़ रु. में)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
क. आय					
i) निवेशों पर अर्जित					
ब्याज (निवल)	500.48	416.98	164.10	311.24	315.87
ii) ओ सी सी से प्राप्य					
ब्याज	62.38	189.92	221.50	x	x
iii) अन्य से प्राप्य ब्याज	36.80	6.59	0.57	40.45	30.56
	599.66	613.49	386.17	351.69	346.43
ख. व्यय					
i) ओ सी सी को देय				*	*
ब्याज	18.00	25.44	30.49	10.08	101.77
ii) ओ आई डी बी को					
देय ब्याज	8.13	41.87	41.01	0.06	0.04
iii) विदेशी मुद्रा ऋणों/ पूर्तिकारों के क्रेडिट आदि पर ब्याज	639.44	537.90	306.01	408.78	373.43
	665.57	605.21	377.51	418.92	475.24

* 1993-94 तथा 1994-95 के लिए ते स स को देय ब्याज ते स स से प्राप्य ब्याज को हिसाब में लेने के बाद है।

7.2.4 तेल समन्वय समिति के निदेशों के अनुसार कम्पनी को ब्याज आय में से विदेशी मुद्रा ऋणों आदि के अन्तर्गत प्राप्त धन में से निवेशों पर अर्जित ब्याज आय और ऐसे ऋणों पर खर्च की गई वास्तविक ब्याज लागत/क्रेडिट जमा ब्याज लागत पर 0.2 प्रतिशत का सेवा प्रभार के बीच अन्तर को अभ्यर्पित करना था। अभ्यर्पित राशि 566.89 करोड़ रु. (1992-93- 182.46 करोड़ रु., 1993-94-212.88 करोड़ रु. तथा 1994-95 171.55 करोड़ रु.) बनती थी।

7.2.5 जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है कि अधिकांश ब्याज भुगतान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए विदेशी मुद्रा ऋणों तथा अल्पावधि उधारों/पूर्तिकार के उधार से सम्बन्धित थे। 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान प्रदत्त ब्याज की राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्यतः इस तथ्य के कारण हुई कि कम्पनी को कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा संसाधनों को अपने स्वयं के बल पर जुटाना था। लेकिन चूंकि आयात तेल उद्योग की ओर से किए गए थे इसलिए कम्पनी को इसके लिए पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति की गई थी। इसने फालतू रुपया निधि का निवेश किया और विदेशी मुद्रा ऋणों/पूर्तिकारों के उधार पर प्रदत्त ब्याज की अपेक्षा उच्च दर पर ब्याज अर्जित की। वस्तुतः जैसाकि पैरा संख्या 7.2.4 में पहले ही उल्लेख किया गया है, कम्पनी ने 1992-93 से 1994-95 तक के दौरान ओ सी सी पूल लेखे को 566.89 करोड़ रु. अभ्यर्पित किए जो विदेशी मुद्रा ऋणों तथा पूर्तिकार के उधार के अन्तर्गत प्राप्त धन में से निवेशों पर अर्जित ब्याज आय और ऐसे ऋणों/उधारों पर उठाई गई वास्तविक ब्याज लागत के बीच अन्तर है।

7.2.6 अर्जित ब्याज आय की प्रवृत्ति का समर्थन पैरा 7.1.5 में दर्शाए गए निवेशों के आंकड़ों के द्वारा भी होता है। 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान निवेशों में पर्याप्त वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुवर्ती वर्षों अर्थात् 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान ब्याज आय में तदनुरूपी वृद्धि हुई। इसी प्रकार 1991-92 में बड़ी संख्या में निवेशों को वापस लेने, जैसा कि उपरोक्त पैरा 7.1.6 में चर्चा की गई, से 1992-93 के दौरान ब्याज आय चरमसीमा तक कम हो गई।

7.3 लाभप्रदता विश्लेषण

7.3.0 कम्पनी का प्रचालन लाभ 1988-89 से 1989-90 में 40.25 प्रतिशत बढ़ गया जो 1990-91 के दौरान लगभग स्थिर रहा और 1991-92 के दौरान 3.3 प्रतिशत तक तथा 1992-93 के दौरान 7.7 प्रतिशत तक सीमान्त वृद्धि हुई। इसमें पुनः 1993-94 में 29.06 प्रतिशत तक और 1994-95 में 17.49 प्रतिशत तक की पर्याप्त वृद्धि हुई।

7.3.1 असाधारण/पूर्वावधि समायोजन, पूर्व लाभ और निवल लाभ दोनों ही 1988-89 से 1991-92 तक की चार वर्ष की अवधि में लगातार बढ़ने के बाद वर्ष 1992-93 के दौरान घट गए। यह बाद के दो वर्षों 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान फिर बढ़ गए।

7.3.2 निवल सम्पत्ति पर अभिलाभ वर्ष 1988-89 (1994-95 में कुछ सुधार को छोड़कर) के बाद लगातार कमी दर्शा रहा था। यह, बढ़ती हुई निवल सम्पत्ति पर अर्जित लाभ निम्न वृद्धि दशति हुए वर्ष दर वर्ष घट रहा था, के कारण था।

7.3.3 कम्पनी ने बताया (जुलाई 1994) कि कार्यचालन परिणामों और लाभप्रदता में अनेक प्रकार की विकृतियों के कारण निम्नलिखित कारणों से नियंत्रित मूल्य निर्धारण तंत्र थे।

- क) धारण लाभ तीन वर्षों के मूल्य निर्धारण चक्र के लिए निर्धारित किए गए थे और धारण लाभ के संशोधन में विलम्ब तथा तदर्थता हुई थी जिसने वर्षानुवर्ष कार्य परिणामों को प्रभावित किया,
- ख) उत्पादन में सुधार के लिए प्रोत्साहन दावे तेल समन्वय समिति द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से स्वीकार किए गए थे और लेखाकरण नीति के अनुसार केवल अनुमोदन के वर्ष में लेखाबद्ध किए गए थे, और
- ग) पूर्व व्यापी तारीखों से मूल्य निर्धारण पैरामीटरों में संशोधन हुए थे जिससे पर्याप्त समायोजनों की आवश्यकता हुई।

7.3.4 कम्पनी ने यह भी बताया (नवम्बर 1995) कि निवल सम्पत्ति पर प्रति लाभ में कमी के लिए उत्तरदायी एक अन्य कारक ओ सी सी से प्राप्य थे जो 1990-91 से 1992-93 तक के वर्षों के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़ गए। जबकि ओ सी सी ने 10.5% की दर पर ब्याज अदा किया, वहां आई ओ सी को उच्च दरों पर धन उधार लेना पड़ा।

7.3.5 "निवल लाभ" तथा "असाधारण/पूर्वावधि समायोजनों से पूर्व लाभ" में 1992-93 के दौरान गिरावट के मुख्य कारण 1991-92 के दौरान बड़े पैमाने पर निवेशों को रोक कर रखने के कारण यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की यूनिटों से लामांश आय में पर्याप्त कमी (127.94 करोड़ रु.) थे।

7.4 असाधारण आय और व्यय की मुख्य मदों का विश्लेषण

असाधारण आय और व्यय की मुख्य मदों का एक विश्लेषण अनुबन्ध IV में दिया गया है।

7.5 अनुपात विश्लेषण

7.5.0 निम्न तालिका 1994-95 को समाप्त सात वर्षों के दौरान कम्पनी के कुछ मूल वित्तीय अनुपातों और निष्पादन संकेतकों की प्रवृत्ति दर्शाती है।

अनुपात	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
डेट इक्विटी अनुपात (दीर्घावधि ऋण/ शेयर धारकों का धन)	0.03:1	0.12:1	0.14:1	0.26:1	0.29:1	0.19:1	0.27:1
चालू अनुपात (चालू देयताओं से चालू परिसम्पत्तियां)	1.27:1	1.55:1	1.69:1	1.22:1	1.89:1	1.87:1	1.43:1
नकदी अनुपात (चालू देयताओं से द्रुत परिसम्पत्तियां)	0.46:1	0.94:1	1.04:1	0.80:1	1.43:1	1.10:1	0.74:1
लाभांश प्रदत्त अनुपात प्रतिशतताएं	0.05:1	0.04:1	0.04:1	0.05:1	0.07:1	0.06:1	0.10:1
बिक्री से प्रचालन लाभ	3.47	4.22	3.73	3.64	3.35	4.42	4.33
बिक्री से सकल लाभ	2.53	2.09	0.34	0.73	1.79	2.66	2.66
निवल सम्पत्ति से कर बाद लाभ	25.83	25.54	21.83	19.24	14.35	14.19	15.69
बिक्री से विविध देनदार	2.35	2.87	2.69	4.46	4.46	5.05	4.48

डेट इक्विटी अनुपात कम था, जो कम्पनी की परियोजनाओं के लिए अधिक धन, यदि अपेक्षित हो, उधार लेने की उसकी क्षमता दर्शाता है।

7.6 प्रभागवार लाभ

7.6.0 निम्न तालिका में लाभांश आय, ब्याज (निवल), असाधारण/पूर्वावधि मदे तथा कर पूर्व प्रभागवार लाभ दर्शाती है:-

(करोड रु. में)

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
रिफाइनरी	190.30	334.73	350.91	345.03	296.08	450.32	554.70
विपणन	271.77	314.60	306.57	335.37	460.55	568.37	667.24
पाइपलाइन्स	55.16	71.14	65.46	65.89	38.07	20.89	21.35
अ एवं वि केन्द्र	1.58	0.86	(2.62)	(0.08)	(0.44)	(0.66)	1.24
असम तेल प्रभाग	9.51	16.09	10.84	7.04	6.42	7.38	(3.67)
पंजीकृत कार्यालय (*)	(2.00)	0.75	(0.79)	1.92	7.33	(8.80)	(7.10)
निगम कार्यालय	526.32	738.17	730.37	754.97	808.01	1037.50	1233.76
समग्र लाभ में							
विपणन प्रभाग	51.63	42.62	42.00	44.42	57.00	54.78	54.08
का शेयर (%)							

(*) यह अन्य प्रभागों को आबंटनीय मदों के सम्बन्ध में पंजीकृत कार्यालय में किए गए समायोजनों का द्योतक है।

7.6.1 कम्पनी के समग्र लाभ के लिए मुख्य योगदानकर्ताओं में से विपणन प्रभाग एक है। जबकि विपणन प्रभाग का लाभ 1991-92 से 1992-93 में 37.3 प्रतिशत, 1992-93 से 1993-94 में 24.11 प्रतिशत और 1993-94 से 1994-95 में 16.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है वहां 1992-93 के दौरान शोधनशाला प्रभाग के लाभ में और 1992-93 से पाइपलाइन्स प्रभाग के लाभ में कमी हुई थी। यह मुख्यतया निम्नलिखित के कारण थी:-

- 1) मानक उत्पाद प्रतिमान में संशोधन;
- 2) निवल सम्पत्ति के अन्तर के अभ्यर्पण के कारण मार्जिन में संशोधन और मूल्य वृद्धि दावे में कटौती;
- 3) प्रचालन खर्चों में वृद्धि;
- 4) वर्ष के दौरान असाधारण/पूर्व वर्ष के व्यय और ब्याज के अन्तर में वृद्धि।

7.6.2 विपणन प्रभाग की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणामों का विस्तृत विश्लेषण क्रमशः 7.7 तथा 7.8 अनुवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

7.7 विपणन प्रभाग की वित्तीय स्थिति

7.7.0 1994-95 को समाप्त गत सात वर्षों के लिए कम्पनी के विपणन प्रभाग की वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित आंकड़े संक्षेप में नीचे दिए जाते हैं:-

(करोड़ रु. में)							
धन के स्रोत	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1. आबंटित शेयर पूंजी	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	-*
2. आरक्षित एवं वेशी	962.98	1178.18	1494.28	1879.19	2274.01	3076.50	3626.16
3. कुल शेयरधारक धन	980.44	1195.64	1511.74	1896.65	2291.47	3093.96	3626.16
4. उधार (अन्तर क्षेत्र बकाया सहित)	2034.02	5385.95	6808.69	3382.54	5922.47	0.43	1.76
जोड़	3014.46	6581.59	8320.43	5279.19	8213.94	3094.39	3627.92
धन का विनियोग							
1. क. सकल ब्लाक	1113.67	1391.43	1651.47	1855.78	2197.76	2578.54	3086.16
ख. घटाएं: मूल्यह्रास	732.49	884.21	1041.97	1117.32	1277.84	1479.73	1770.32
निवल ब्लाक (क)	381.18	507.22	609.50	738.46	919.92	1098.81	1315.84
ग. चालू कार्य एवं स्टाक में पूंजी माल	189.88	185.07	207.12	288.68	275.19	342.64	440.61
2. निवेश	2516.63	5310.46	6465.81	4153.20	3721.78	--	--
उपजोड़ (ख)	3087.69	6002.75	7282.43	5180.34	4916.89	1441.45	1756.45
3. क. चालू परिसम्पत्तियां	1463.92	1558.02	2097.99	2325.69	2730.00	3187.06	3248.23
ख. कर्ज एवं उधार	321.21	1112.44	2384.09	3207.84	4394.69	3284.24	2038.73
जोड़	1785.13	2670.46	4482.08	5533.53	7124.69	6471.30	5286.96
घटाएं: चालू देयताएं एवं प्रावधान	1858.35	2091.61	3444.08	5434.67	3827.64	4818.36	3415.49
कार्यचालन पूंजी (ग)	(73.22)	578.85	1038.00	98.86	3297.05	1652.94	1871.47
जोड़ (ख + ग)	3014.47	6581.60	8320.43	5279.20	8213.94	3094.39	3627.92

* अब पंजीकृत कार्यालय को अन्तर्गत कर दिया गया है।

7.7.1 विपणन तथा रिफाइनरिज एवं पाइपलाइन प्रभागों के बीच शेयर पूंजी का आबंटन तत्कालीन इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड और इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड के सितम्बर 1964 में उनके विलय के समय मौजूदा शेयर पूंजी के आधार पर था। सम्बन्धित प्रभागों के रिजर्व और सरप्लस उनके द्वारा दर्ज लाभ से बने हैं। तथापि सम्बन्धित प्रभागों के लाभ प्रदत्त लाभांश और वर्ष के लिए उनके कर पूर्व लाभों के आधार पर कम्पनी द्वारा दर्ज आयकर के लिए समायोजित किए जाते हैं। कम्पनी के निवेश पोर्ट फोलियो का कामकाज विपणन प्रभाग द्वारा संभाला गया था और उसकी बहियों में लेखाबद्ध किया गया था। कार्यचालन पूंजी में उतार-चढ़ाव के कारणों पर पैरा 7.1.8 में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

7.8 विपणन प्रभाग के कार्यचालन परिणाम

7.8.0 1994-95 को समाप्त गत सात वर्षों के लिए विपणन प्रभाग के कार्यचालन परिणाम नीचे दर्शाए गए हैं:-

(करोड़ रु. में)

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	*1993-94	*1994-95
क. आय:							
i) उत्पादों की बिक्री	14662.61	16835.02	18367.83	19447.88	23037.36	22311.96	26248.67
ii) अन्य आय (समायोजित)	423.34	173.32	666.37	248.19	674.93	826.13	416.76
जोड़							
आय: (क)	15085.95	17008.34	19034.20	19696.07	23712.29	23136.09	26665.43
ख. व्यय							
i) उत्पादों एवं कच्चे तेल की खरीद	11983.51	13567.61	15224.12	15827.19	19332.36	18270.85	20736.35
ii) विनिर्माण व्यय	1133.43	1272.74	1383.21	1555.86	1741.10	1953.88	1727.25
iii) कर्मचारियों को भुगतान	84.37	106.81	123.27	138.14	158.38	173.64	216.54
iv) कार्यालय प्रशासन विक्रय एवं अन्य खर्च	88.97	106.35	117.46	151.68	184.35	197.19	222.23
v) शुल्क	1407.91	1482.96	1706.03	1567.13	1671.48	1748.74	2795.90
vi) मूल्यहास घटाएं: पूंजी लेखा को अन्तरण	119.35	159.79	176.32	123.58	167.31	227.24	307.56
	3.36	2.52	2.79	2.88	3.24	5.02	7.64
जोड़ (ख)	14814.18	16693.74	18727.62	19360.70	23251.74	22566.52	25998.19
ग. प्रचालन लाभ (क-ख)							
(अर्थात् लाभान्श, व्याज, असाधारण एवं पूर्वावधि समायोजन एवं कर पूर्व)	271.77	314.60	306.58	335.37	460.55	571.57	667.24
प्रदत्त व्याज	132.12	334.12	660.47	597.51	369.03	0.36	0.61
घ. सकल लाभ							
(प्रचालन लाभ प्रदत्त व्याज)	139.65	(19.52)	(353.89)	(262.14)	91.52	571.21	666.63
व्याज आय	117.54	231.34	542.32	555.81	400.76	31.42	20.15
लाभान्श आय	49.54	123.92	214.82	164.47	36.53	--	--
ड. असाधारण/पूर्वावधि समायोजनों पूर्व लाभ	306.73	335.74	403.25	458.14	528.81	602.63	686.78
असाधारण/पूर्वावधि समायोजन	61.62	40.66	24.27	118.57	127.24	69.91	172.84
च. कर पूर्व लाभ	368.35	376.40	427.52	576.71	656.05	672.54	859.62

* उपरोक्त आंकड़े केवल विपणन प्रभाग से सम्बन्धित लेनदेनों पर आधारित हैं और विपणन प्रभाग द्वारा निगमित प्रभाग के किए गए लेन देन/मदों का प्रभाव शामिल नहीं है।

गत वर्षों में विपणन प्रभाग के लाभ में तेजी से वृद्धि हुई थी।

विपणन लागत

7.8.1 निम्नलिखित तालिका 1994-95 को समाप्त पांच वर्षों के लिए विपणन लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाती है।

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
विपणन लागत					
स्थापना लागत	123.21	144.60	165.41	173.64	216.54
(करोड़ रु. में)					
कार्यालय प्रशासन, विक्रय एवं वितरण तथा अन्य (*)	158.00	197.06	235.98	275.83	320.85
(करोड़ रु. में)					
कुल लागत	287.21	341.66	401.39	449.47	537.39
पूर्व वर्षों से वृद्धि की प्रतिशतता	--	18.96	17.48	11.87	19.56
बिक्री (000 मी ट)	33244	34451	33829	36676	38629
पूर्व वर्षों से वृद्धि प्रतिशतता (%)	--	3.63	4.00	--	5.33
विक्रय मूल्य	18367.83	19447.88	23037.36	22311.96	26248.67
(करोड़ रु. में)					
पूर्व वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता (%)	--	5.88	18.46	--	17.64
प्रति टन बिक्री मूल्य (रु.)	5525.15	5645.08	6429.81	6083.53	6795.07
प्रति टन विपणन लागत	86.39	99.17	112.03	122.55	139.12
(रु./मी ट)					

* बचनबद्धता प्रभारों एवं पी डी पर प्रदत्त दलाली को छोड़कर

टिप्पणी: विपणन लागत में स्थापना लागत, उपभोज्य भण्डार, मरम्मत एवं रखरखाव, पानी, विद्युत एवं ईंधन और अन्य कार्यालय प्रशासन, विक्रय व्यय शामिल है। इसमें कर्मचारियों को भुगतान, विनिर्माण खर्च और कार्यालय प्रशासन, पैरा 7.8.0 में उल्लिखित विक्रय तथा अन्य खर्च आते हैं।

7.8.2 उपरोक्त तालिका से यह देखने में आया कि जबकि बिक्री में वृद्धि 1990-91 की तुलना में 1991-92 में सीमान्त थी वहां विपणन लागत में वृद्धि काफी अधिक थी (1990-91 से 1991-92 के दौरान

18.89 प्रतिशत)। 1990-91 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान बिक्री की मात्रा (मात्रा) में वृद्धि 16.20 प्रतिशत थी जबकि लागत 86.93% तक बढ़ी है।

7.8.3 विपणन लागत में वृद्धि स्थापना लागत, किराया आदि में वृद्धि के कारण हुई बताई गई थी।

7.8.4 विभिन्न मदों, जिन पर व्यय साधारण कारोबार के दौरान किया जाता है और जो गत कुछ वर्षों से तीव्र वृद्धि दर्शाता है, के अतिरिक्त कम्पनी की लाभप्रदता कई प्रकार के अमान्य/परिहार्य व्यय से प्रभावित हुई थी। ऐसे खर्चों को कम वसूली माना जाता है और कम्पनी के लिए अप्रत्यक्ष हानियां बनते हैं।

7.8.5 1994-95 को समाप्त सात वर्षों के लिए कम वसूली के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रु. में)

1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
32.21	77.37	98.29	61.98	49.94	64.55	93.21

7.8.6 1994-95 को समाप्त गत सात वर्षों के लिए प्रमुख कम वसूली के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रु. में)

	1988-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95
1. सुपुर्दगी प्रभारों पर हानि	(1.31)	4.36	11.98	17.64	32.57	46.70	60.28
2. गुजरात विद्युत बोर्ड को एल एस एच एस की पूर्ति	20.41	21.52	21.74	20.59	(6.24)*	--	--
3. असम राज्य बिजली बोर्ड को एफ ओ/एल एस एच एस की पूर्ति	3.51	5.52	5.43	4.28	4.39	3.73	5.68
4. एल पी जी सिलिंडर स्थानीय परिवहन	0.93	1.42	2.84	4.09	5.48	6.18	6.91
5. सड़क पर पुल बनाने की लागत	(3.00)	--	(2.40)	1.70	6.38	3.12	7.94
6. विलम्ब शुल्क	3.31	2.40	0.79	4.51	3.31	--	--
7. तटीय भाड़ा	--	--	--	--	--	2.19	7.56

* 1.1.1992 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गुजरात बिजली बोर्ड को 1.1.1991 से संशोधित कोयला सादृश्य मूल्य पर बिल भेजे जा रहे हैं। संशोधित कोयला सादृश्य मूल्य एक्स रिफाइनरी मूल्य जमा 90.26 रु. प्रति टन तक अनुमत विपणन अंश है। इसलिए मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के लिए 6.24 करोड़ रु. की अधिक वसूली लेखाबद्ध की गई है।

7.8.7 उपरोक्त से यह देखा जा सकेगा कि मुख्यतः कम वसूली सुपुर्दगी प्रभारों पर हानि के कारण थी। मूल्य निर्धारण मानक मुक्त सुपुर्दगी जोन (एफ डी जेड) के अन्तर्गत आपूर्तियों पर 7 रु. प्रति कि.ली. और एफ डी जेड से आगे आपूर्तियों के लिए 25 पैसे प्रति किली/ कि मी की वसूली अनुमत करता है। तथापि सड़क परिवहन की वास्तविक लागत काफी अधिक है और तेल कम्पनियों को प्रतिपूर्त सुपुर्दगी प्रभार 1984 से संशोधित नहीं किए गए हैं।

7.8.8 आपूर्ति प्रवाह को बनाए रखने और उपभोक्ताओं को उत्पाद मिलना सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्धन ने बताया (जून 1994) कि अतिरिक्त लागत उठाकर सतत आपूर्तियाँ करने और सरकार द्वारा या तो पुल लेखे से ऐसी कम वसूली की प्रतिपूर्ति करने या वर्तमान परिवहन लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए सहमत होने तक विभेदक कम वसूली का अवशोषण करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।

7.8.9 सड़क पुल बनाने के प्रभारों के अन्तर्गत कम वसूली ते स स द्वारा प्राधिकृत न किए गए पुल संचलन के कारण थी।

7.8.10 गुजरात बिजली बोर्ड को एल एस एच एस की बिक्री के सम्बन्ध में कम वसूली मुख्यतया मूल्य में विवाद जो कुछ समय से लगातार उठ रहे थे, के कारण थी। कम्पनी द्वारा मन्त्रालय के साथ मामला उठाने के बाद मूल्य 1.1.1991 तथा 1.1.1994 से संशोधित किए गए थे। बढ़ाए गए संशोधन कम वसूलियों के विलोपन के लिए थे।

7.8.11 असम राज्य बिजली बोर्ड को ईंधन तेल/एल एस एच एस की बिक्री के मामले में सरकार ने 29.2.1986 तक 634.7 रु. प्रति मी ट और 1.3.1986 से 872 रु. प्रति मी ट की अनन्तिम दर निर्धारित की। कम्पनी को कम वसूली हुई क्योंकि इन उत्पादों के लिए निर्धारित एक्स रिफाइनरी मूल्य सरकार द्वारा इस मामले में निर्धारित मूल्य की अपेक्षा अधिक था। मूल्य का संशोधन किया जा चुका है और कम वसूली का विलोपन करने के लिए असम राज्य बिजली बोर्ड 1 जनवरी 1994 से 2130.78 रु. प्रति मी ट का भुगतान कर रहा है।

8. सामग्री प्रबन्धन और माल सूची नियन्त्रण

8.1 सामग्री प्रबन्धन

8.1.0 कम्पनी का विपणन प्रभाग पेट्रोलियम उत्पादों का भण्डारण करने और विपणन करने के लिए कुछ भण्डारण सुविधाओं का निर्माण करता है। निर्माण कार्य की योजना पूंजीगत मदों की खरीद, पूंजीगत कार्यों के निर्माण के लिए कार्य आदेश देने आदि के कार्य बम्बई के प्रधान कार्यालय के सामग्री विभाग/इंजीनियरी विभाग द्वारा किए जाते हैं।

8.1.1 सितम्बर 1991 में तैयार की गई नियम पुस्तक के अनुसार निम्नलिखित मामलों को छोड़कर 10 लाख रु. से अधिक की खरीदों/ठेकाओं के लिए खुली निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं :-

- क) स्वाम्य मदें/एकाधिकार मदें।
- ख) मदें जिनके मूल्य सांविधिक रूप से नियन्त्रित हैं (सीमेंट, इस्पात आदि)।
- ग) म नि आ नि दर करारों के अन्तर्गत आने वाली मदें।
- घ) मदें, जिनके लिए पूर्तिकारों की अनुमोदित सूची से सीमित उद्घरण आमन्त्रित करने का निर्णय लिया गया है।

8.1.2 प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निविदाएं खोली तथा स्वीकार की जाती हैं। विभिन्न कार्यकारी प्रबन्धकों/उपमहाप्रबन्धकों/महाप्रबन्धकों/कार्यकारी निदेशकों/निदेशकों तथा निदेशक बोर्ड द्वारा निविदाओं को स्वीकार करने के लिए प्राधिकार के प्रत्यायोजन (प्रा के प्र) द्वारा धन सम्बन्धी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। अप्रैल 1984 से ठेकाओं/आदेशों, जिनके लिए बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है, को आदेश देने के अनुमोदन के लिए निदेशक बोर्ड की ठेका उप समिति को प्रस्तुत किया जाता है, और बाद की बैठक में सूचनार्थ पूर्ण निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है।

8.2 प्रक्रिया

8.2.0 प्रधान कार्यालय का सामग्री प्रबन्धन विभाग कार्यात्मक विभागों से विशेष मांगपत्रों के प्रति परियोजनाओं के लिए पूंजीगत मदों की खरीद करता है। मार्च 1986 से एल पी जी योजनाओं के लिए सामग्री की खरीद स्वयं एल पी जी विभाग को सौंपी गई है। क्षेत्रीय कार्यालयों के सामग्री विभाग भी पूंजीगत मदों और राजस्व मदों की खरीद करते हैं।

8.2.1 1987 के दौरान कम्पनी के "कार्यचालन पूंजी प्रबन्धन" पर अध्ययन करने के लिए सनदी लेखाकारों की एक व्यावसायिक फर्म को नियुक्त किया गया था जिसमें कम्पनी की सभी यूनिटों के सामग्री प्रबन्धन तथा मालसूची नियंत्रण शामिल हैं। बोर्ड को प्रस्तुत रिपोर्ट में सामग्री प्रबन्धन पर विस्तार पूर्वक निरूपण नहीं किया गया और न ही विपणन प्रभाग के मालसूची नियंत्रण के लिए कोई सिफारिश की गई।

8.2.2 माल सूची नियंत्रण करने वाले चार क्षेत्रों में से प्रत्येक में चार केन्द्रीय मालसूची केन्द्र (के मा के) हैं।

8.3 फालतू सामग्री

8.3.0 सी आई पी से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों का क्षेत्रीय स्तर पर विश्लेषण किया जाता है ताकि फालतू/अप्रयोज्य/कम उपयोगी/अनुपयोगी मर्च आदि का पता लगाया जा सके। बोर्ड ने 1984 में भण्डार एवं फालतू पुर्जों, कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों की माल सूची के लिए मात्रा सम्बन्धी मानक अनुमोदित किए। इसप्रकार एक नियमित अन्तराल पर फालतू भण्डार निश्चित करने की एक प्रणाली मौजूद है और ऐसे भण्डार का निपटान अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता की समीक्षा करने के बाद किया जाता है। इस प्रयोजन हेतु विभिन्न स्थानों पर धारित विभिन्न पूंजीगत मर्च की मालसूची के मनीटरन के लिए एक साफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है।

8.3.1 निम्न तालिका 31 मार्च 1995 को समाप्त आठ वर्षों के लिए विपणन प्रभाग की मदवार मालसूची धारिता की तुलनात्मक स्थिति और विपणन प्रभाग की कुल बिक्री से कुल मालसूची की प्रतिशतता दर्शाती है।

	(लाख रु. में)									
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	31 मार्च को 1995
1. कच्चा माल	7388	6983	7539	7274	7419	9906	12147	13913	21335	19522
2. भण्डार एवं फालतू पुर्जे	2078	1270	2001	1293	1776	1615	1514	2210	1969	2229
3. मार्गस्थ भण्डार	164	47	75	160	52	64	202	36	5	8
4. खाली बैरलों एवं टिनो का स्टॉक	287	225	217	479	548	443	438	536	534	495
5. स्थायी माल (तेल स्टॉक)	72357	79775	81153	93878	82157	118020	104297	122344	150738	147497
6. कुल मालसूची	82274	88300	90985	103084	91952	130048	118598	139039	174581	169751
7. कुल बिक्री	1059488	1202204	1384084	1466261	1683502	1836783	1944788	2303736	2231196	2624867
8. उपरोक्त 7 से 6 की प्रतिशतता	7.77	7.34	6.57	7.03	5.46	7.08	6.10	6.04	7.82	6.47

8.3.2 यद्यपि विपणन प्रभाग की मालसूची धारिता 1985-86 में बिक्री के 7.77 प्रतिशत से 1989-90 में 5.46 प्रतिशत तक कम हो गई है, 1993-94 में यह फिर बढ़कर 7.82 प्रतिशत हो गई तथा 1994-95 में 6.47 प्रतिशत तक घट गई।

8.4 नए एल पी जी सिलिंडरों की निष्क्रियता और रद्दगी - 247.01 लाख रु. की राशि का अवरोधन और 43.23 लाख रु. की ब्याज की परिणामिक हानि

8.4.0 एल पी जी भरण संयंत्र कल्याणी (कलकत्ता) में 25.11.1987 को 72,650 नए खाली एल पी जी सिलिंडरों का स्टॉक था। इसमें 18.12.1986 से स्टॉक में पड़े 63,653 नए सिलिंडर शामिल थे। ये सिलिंडर लगभग एक वर्ष से खुले में पड़े थे। परिणामस्वरूप चट्टा की निचली पंक्तियों के सिलिंडर जमीन में धंस गए और उनमें जंग लग गई थी। चट्टाओं की दोहरी पंक्ति होने के कारण 50 प्रतिशत सिलिंडरों में नीचे जंग लग जाने की आशंका थी।

8.4.1 इन नए सिलिंडरों का एक वर्ष से उपयोग न किए जाने के कारण 340 रु. प्रति सिलिंडर की दर पर अवरुद्ध कार्यचालन पूंजी 247.01 लाख रु. बनती थी और इस पूंजी पर ब्याज की हानि 17.50 प्रतिशत की दर पर 43.23 लाख रु. बनती थी।

8.4.2 चूंकि संयंत्र के उत्पादन की दैनिक दर वितरकों से वापस प्राप्त खाली सेवा योग्य सिलिंडरों और परिचालन में पड़े सिलिंडर जो लगभग बिना बदले हुए पड़े थे की अपेक्षा कम थी, प्रबन्धन को चाहिए था कि आवश्यकता वाले स्थानों को नए सिलिंडरों के स्थानान्तरण का शीघ्र निर्णय ले। यदि ऐसा किया गया होता तो कंपनी को प्रतिवर्ष 43.23 लाख रु. की बचत हो सकती थी।

8.4.3 प्रबन्धन ने (जून 1994) नए सिलिंडरों की मालसूची में वृद्धि के निम्नलिखित कारण बताए:-

- 1) नए कनेक्शन/डी बी सी जारी करने के लिए और बदलाई के लिए सिलिंडरों की भराई के लिए।
- 2) 1986-87 के दौरान डी बी सी कम जारी किए गए थे जिसने मालसूची बढ़ाने में योगदान दिया।
- 3) वितरण में से सिलिंडरों की मालसूची स्थिति में 4.44 प्रतिशत से 3.23 प्रतिशत तक सुधार जिससे पहले से चल रहे सिलिंडरों के अन्तर्गत सिलिंडर उत्पन्न किए जिससे नए सिलिंडरों का प्रवेश कम हुआ।
- 4) पूर्वी क्षेत्र के संयंत्रों के कारण अतिरिक्त सिलिंडर की प्राप्ति।

- 5) दुर्गापुर में मुख्य संयंत्र और जमशेदपुर तथा बालासौर में अन्य संयंत्र निर्माणाधीन थे और इस तरह सम्बन्धित राज्यों के लिए नए कनेक्शनों और डी बी सी जारी करने के लिए सिलिंडर आवश्यकताओं को कल्याणी में ही भण्डार किया गया था।
- 6) अन्य संयंत्रों में पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्धों के अभाव में इन सिलिंडरों का अन्यत्र भंडार नहीं किया जा सका।

8.4.4 उपरोक्त से यह पता चल सकेगा कि सिलिंडरों की अधिप्राप्ति और संयंत्रों, जिनके लिए सिलिंडरों की अधिप्राप्ति और संयंत्रों, जिनके लिए सिलिंडरों की अधिप्राप्ति की गई थी, के निर्माण की अनुसूची को उचित योजना तथा तुल्यकालिक नहीं बनाया गया था। परिणामस्वरूप भरण संयंत्रों के पूरा होने से काफी पहले सिलिंडरों को प्राप्त किया गया था। इसके अलावा प्रबन्धन ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि सिलिंडरों का भण्डार उचित रूपसे नहीं किया गया था।

9. श्रमबल विश्लेषण

9.1 श्रमबल

9.1.0 समय रूप से कम्पनी द्वारा नियोजित कुल श्रमबल (अधिकारी तथा कर्मचारी) और विपणन प्रभाग (ए ओ डी को छोड़कर) में नियोजित तुलनात्मक संख्या 1995 तक प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को गत आठ वर्षों के लिए नीचे दी गई है।

पहली जनवरी	अधिकारी	कर्मचारी	जोड़
1985			
निगमित विपणन	6465	24329	30794
	3064	11126	14190
	(47.39)	(45.73)	(46.08)
1986			
निगमित विपणन	6690	24494	31184
	3255	11655	14910
	(48.65)	(47.58)	(47.81)
1987			
निगमित विपणन	7004	24804	31808
	3426	11998	15424
	(48.91)	(48.37)	(48.49)
1988			
निगमित विपणन	7426	25158	32584
	3700	12399	16099
	(49.82)	(49.04)	(49.41)
1989			
निगमित विपणन	7858	25281	33139
	3991	12666	16657
	(50.79)	(50.10)	(50.26)

1990			
निगमित विपणन	8139	25185	33324
	4263	12734	16997
	(52.38)	(50.56)	(51.00)
1991			
निगमित विपणन	8282	25120	33402
	4312	12838	17150
	(52.06)	(51.11)	(51.34)
1992			
निगमित विपणन	8313	25218	33531
	4315	12961	17276
	(51.91)	(51.40)	(51.52)
1993			
निगमित विपणन	8330	25367	33697
	4306	13056	17462
	(51.69)	(51.86)	(51.82)
1994			
निगमित विपणन	8508	25439	33947
	4457	13085	17542
	(52.39)	(51.44)	(51.67)
1995			
निगमित विपणन	8679	25041	33720
	4468	13040	17508
	(51.48)	(52.07)	(51.92)

(कोष्ठकों के आंकड़े कुल कर्मचारियों से विपणन कर्मचारियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं)

9.1.1 विपणन क्रियाकलापों के लिए नियोजित श्रमबल अन्य क्रियाकलापों के श्रमबल की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक दर पर बढ़ी। उपरोक्त तालिका से यह भी प्रकट होता है कि सम्पूर्ण कम्पनी की अपेक्षा विपणन प्रभाग में कर्मचारी अनुपात से अधिकारी अनुपात हमेशा अधिक था। श्रमबल के मानक केवल भरण संयंत्र और डिपो के लिए विपणन प्रभाग में विद्यमान हैं और अन्य क्रियाकलापों के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

9.1.2 बिक्री की तुलना में विपणन प्रभाग में नियोजित वास्तविक श्रमबल के विश्लेषण से निम्न प्रकार पता लगता है:-

वर्ष	31 मार्च को नियोजित श्रम बल	बिक्री* एम एम टी में	पूर्व वर्ष से बिक्री में प्रतिशतता वृद्धि	प्रति कर्मचारी बिक्री (मी ट/ ई)	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रति कर्मचारी बिक्री में प्रतिशतता वृद्धि
1986-87	15573	27.57	--	1770.37	--
1987-88	16395	29.70	7.73	1811.53	2.32
1988-89	16763	30.45	2.53	1816.50	0.27
1989-90	17059	32.74	7.52	1919.22	5.65
1990-91	17101	33.24	1.53	1943.75	1.28
1991-92	17321	34.45	3.64	1988.92	2.32
1992-93	17507	35.83	4.00	2046.61	2.90
1993-94	17477	36.68	2.37	2098.53	2.54
1994-95	17506	38.63	5.33	2206.61	5.15

* टिप्पणी: बिक्री में आई बी पी को बिक्री शामिल नहीं है

9.1.3 1988-89 से 1994-95 तक के गत सात वर्षों के लिए विपणन प्रभाग की कुल विपणन लागत, श्रमबल लागत और विपणन सीमा का एक विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है: •

वर्ष	कुल विपणन लागत (करोड़ रु. में)	श्रमबल लागत	विपणन सीमा (सकल)	कर्मचारियों की संख्या	प्रति कर्मचारी विपणन सीमा (4/5) (लाख रु. में)	प्रति कर्मचारी औसत लागत (3/5) (हजार रु. (3/2x100) में)	कुल विपणन से श्रमबल लागत की प्रतिशतता (3/2x100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1988-89	327.80	84.37	595.51	16763	3.55	50.33	25.74
1989-90	400.66	106.81	747.71	17059	4.38	62.61	26.66
1990-91	446.87	123.27	808.80	17101	4.73	72.08	27.59
1991-92	447.07	138.14	801.64	17321	4.63	79.75	30.90
1992-93	548.96	158.38	998.03	17507	5.70	90.47	28.85
1993-94	449.47	173.64	1221.73	17477	6.99	99.35	38.63
1994-95	537.39	216.54	1490.61	17506	8.51	123.69	40.29

9.1.4 उपरोक्त से यह देखने में आएगा कि कुल विपणन लागत से श्रमबल लागत की प्रतिशतता 1988-89 में 25.74 प्रतिशत से बढ़कर 1994-95 में 40.29 प्रतिशत हो गई। प्रति कर्मचारी औसत लागत भी 1988-89 में 50.33 हजार रु. से बढ़कर 1994-95 में 123.69 हजार रु. हो गई।

9.2 प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्धन

9.2.0 निम्नलिखित तालिका 1994-95 तक पांच वर्षों के दौरान समग्र रूप से कम्पनी के प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्धन तथा प्रति कर्मचारी लागत के ब्यौरे दर्शाती है:-

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
क) मूल्य संवर्धन (लाख रु. में)	2291	2413	2221	2487	3333
ख) वर्ष के अन्त में कर्मचारियों की संख्या	33303	33434	33829	34035	33589
ग) प्रतिकर्मचारी मूल्य संवर्धन (रु./लाख)	6.88	7.22	6.57	7.31	9.91
घ) प्रति कर्मचारी स्थापना लागत (रु./लाख)	0.74	0.82	0.94	1.00	1.27

9.2.1 1992-93 के दौरान प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्धन में तीव्र कमी मुख्यतः निधियों के निवेश न किए जाने के कारण ब्याज आय में कटौती के कारण हुई थी। तथापि, 1994-95 में प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्धन में उल्लेखनीय वृद्धि उत्पादन तथा प्रचालन में सुधार और वर्ष के दौरान प्रतिधारण सीमा के रूप में पर्याप्त राशि की प्राप्ति के कारण हुई।

प्रबन्धन के अनुसार प्रति कर्मचारी स्थापना लागत कर्मचारियों के साथ मिनी दीर्घावधि समझौता (एल टी एस) और मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति के कारण बढ़ गई है।

बिरेन्द्र प्रसाद माथुर

नई दिल्ली

(बीरेन्द्र प्रसाद माथुर)

दिनांक :

उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

नई दिल्ली

(सि. जि. सोमैया)

दिनांक :

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबन्ध ।

(पैरा 1.4.0 देखें)

पेट्रोलियम सेक्टर के उदारीकरण में क्रमिक घटनाएं

- जुलाई 1991 बेसा आयल, बेंजीन, टोल्युन तथा अन्य पेट्रोरसायनों का डीकेनेलाइजेशन ।
- भारतीय रुपये का अवमूल्यांकन 1 एक अमरीकी डालर की विनिमय दर 19 रु. से लगभग 26 रु. तक बढ़ी ।
- फरवरी 1992 पेट्रोरसायन पर विशेष उत्पाद शुल्क में 10% से 15% (बजट 1992) तक की वृद्धि ।
- बेस आयलों पर मूल सीमा शुल्क में 3675 रु. प्रति मी ट से 4000 रु. प्रति मी ट की वृद्धि ।
- 75% खनिज तेल घटक रखने वाले स्नेहकों पर पूर्ण उत्पाद शुल्क का वापस लिया जाना ।
- दो फोरेक्स दरों - सरकारी तथा बाजार निर्धारित, में आंशिक परिवर्तनीयता का प्रस्ताव ।
- जबकि कच्चा तेल सरकारी दरों पर उपलब्ध कराया गया था परन्तु एल पी जी एवं बेस आयल बाजार निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराया गया था । तेल क्षेत्रों की खोज तथा विकास और तेल तथा गैस उत्पादन, शोधन और विपणन के लिए संयुक्त जोखिम कम्पनियों की अनुमति ।

आयात टैरिफ में निम्नानुसार कमी

बेंजीन की रिफाइनिंग में प्रयुक्त पूंजीगत माल	80.00% से	30.00%
	40.00% से	25.00%

15 सितम्बर 1992 आयातों की उतराई लागत के बराबर उन्हें लाने के लिए लेबी लगाने के द्वारा फोरमूला उत्पादों के विक्रय मूल्यों/मुक्त व्यापार उत्पादों के अन्तरण मूल्यों में वृद्धि।

31 दिसम्बर 1992 नेफथा का डीकेनेलाइजेशन।

फरवरी 1993 रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता

(बजट 1993)

कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए बाजार से फोरेक्स की खरीद के लिए तेल कम्पनियां

बेस आयल पर उत्पाद शुल्क में 4400 रु. प्र.मी.ट. से 5000 रु. प्रति मी.ट. तक की वृद्धि

प्रति अमरीकी डालर लगभग 31.50 रु. पर रुपया स्थिर।

विशेष सीमा शुल्क का उन्मूलन और शुल्क संरचना का यौक्तिकीकरण

आयात टैरिफ में निम्नानुसार कमी :

	से	तक
बेस आयल	90.00%	85.00%
एल पी जी	105.00%	85.00%
एल एस एच एस	105.00%	85.00%
बेंजीन	25.00%	15.00%
टोलीन	85.00%	40.00%
प्रोपीलीन	80.00%	15.00%
शोधन में प्रयुक्त पूंजीगत माल	30.00%	25.00%

28 अप्रैल 1993 एस के ओ, एल पी जी, एल एस एच एस एवं ल्यूब्स का डीकेनेलाइजेशन

1 नवम्बर 1993 सभी प्रकार के स्नेहकों को मूल्य नियंत्रण से मुक्ति आयात बराबरी आधार पर तेल कम्पनियों को बेस आयल की आपूर्ति

3 नवम्बर 1993 मुक्त व्यापार उत्पादों पर सभी अधिभारों का उन्मूलन नदी/भरण/ईंधन, जिनसे मुक्त व्यापार उत्पाद पैदा किए जाते हैं, के अन्तरण मूल्यों में संशोधन

12 जनवरी 1994	एल पी जी के लिए सीमाशुल्क में 85% से 25% तक कमी एल पी जी (घरेलू) को मूल्य में 1056.34 रु. प्रति मी.ट. तक वृद्धि (15 रु. प्रति सिलिंडर)									
14 जनवरी 1994	एल पी जी (घरेलू) के मूल्य में 352.11 रु. प्रति मी.ट. तक की कमी (5 रु. प्रति सिलिंडर)									
2 फरवरी 1994	एम एस/एच एस डी/एल डी ओ के एक्स स्टोरेज पाइंट मूल्य में निम्नानुसार वृद्धि									
	<table border="0"> <tr> <td>एम एस</td> <td>रु./कि ली</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>एच एस डी</td> <td>रु./कि ली</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>एल डी ओ</td> <td>रु./कि ली</td> <td>750</td> </tr> </table>	एम एस	रु./कि ली	1000	एच एस डी	रु./कि ली	750	एल डी ओ	रु./कि ली	750
एम एस	रु./कि ली	1000								
एच एस डी	रु./कि ली	750								
एल डी ओ	रु./कि ली	750								
बजट 1994	एल पी जी के लिए सीमा शुल्क में 25% से 15% तक कमी। नेफ्था तथा एल के ओ (शून्य शुल्क) को छोड़कर अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमाशुल्क 30% की दर पर लागू/स्थिर पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क निम्नानुसार यथा मूल्य किया गया।									
	<table border="0"> <tr> <td>एम एस/एस बी पी/हेक्सेन</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>अन्य उत्पाद</td> <td>10%</td> </tr> </table>	एम एस/एस बी पी/हेक्सेन	20%	अन्य उत्पाद	10%					
एम एस/एस बी पी/हेक्सेन	20%									
अन्य उत्पाद	10%									
	पेट्रोलियम उत्पादों और पूंजीगत माल पर विस्तारित माडवेट लाभ									
जुलाई 1994	ए टी एफ, बिटुमन तथा फर्नेस आयल का डीकेनेलाइजेशन (केवल विशेष आयात लाइसेंस धारकों द्वारा आयात की अनुमति)									
24 नवम्बर 1994	हाइड्रो क्रेकर प्रोजेक्ट के चालू होने के परिणामस्वरूप गुजरात शोधनशाला की शोधन लागत और विपणन मार्जिन में संशोधन									
	<table border="0"> <tr> <td>1.1.1994 से 31.12.1994 तक</td> <td>369.20 रु./मी.ट.</td> </tr> <tr> <td>1.1.1995 से</td> <td>366.30 रु./मी.ट.</td> </tr> </table>	1.1.1994 से 31.12.1994 तक	369.20 रु./मी.ट.	1.1.1995 से	366.30 रु./मी.ट.					
1.1.1994 से 31.12.1994 तक	369.20 रु./मी.ट.									
1.1.1995 से	366.30 रु./मी.ट.									
मार्च 1995	बजटीय परिवर्तन सीमाशुल्क में कमी बेंजीन 15% से 10% तक टोलीन 30% से 20% तक आर पी सी 30% से 20% तक									

सी पी सी पर 30% यथामूल्य लगेगा

पेट्रोलियम उत्पादों की आन्तरिक खपत के लिए मोडवेट राहत दी जाती है। यह परिवर्तन सभी शोधनशाला यूनिटों को लागू है। एस बी पी स्पिरिट को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पाद उत्पादन की फैक्टरी के अन्तर्गत विनिर्मित तथा प्रयुक्त 2710.11, 2710.12 तथा 2710.73 और एम एस (एन जी एल को छोड़कर) 2710.19 और एच एस डी 27.10 अथवा अध्याय 27 या 29 या 34 या 38 के अन्तर्गत आने वाले अन्तिम उत्पाद उत्पाद शुल्क से मुक्त है।

मार्च 1995

वि आ ला के अन्तर्गत ए टी एफ के आयात के लिए एयरलाइनों को सुविधाएं प्रदान करने वाली तेल कम्पनियां ऐसे आयातित ए टी एफ पाने के लिए पूल लेखा को दुलाई एवं भाड़ा अधिभार के प्रति 3292 रु. प्रति कि ली की राशि का अंशदान करेंगी। यह अधिभार उन आयातों पर भी लागू होगा जो पहले ही किए जा चुके थे।

अप्रैल 1995

पेट्रोलियम उत्पादों पर 1.4.1995 से रेलवे भाड़े में वृद्धि 8.4.1995 से उपभोक्ता को हस्तान्तरित होनी चाहिए। यह पूल लेखा को डेबिट नहीं होगी।

25 मई 1995

छः मौजूदा श्रेणियों के प्रति एल पी जी श्रेणियों के वीकितकरण के परिणामस्वरूप एल पी जी 3 श्रेणियों में बंटी जाएगी यथा -

- 1) एल पी जी (पैकड) घरेलू
- 2) एल पी जी (पैकड) घरेलू से इतर
- 3) एल पी जी (बल्क)

घरेलू से इतर (पैकड), अनिवार्य तथा गैर अनिवार्य की मौजूदा दो श्रेणियां मिला दी गई थीं। एल पी जी (बल्क) अनिवार्य तथा गैर अनिवार्य मिला दी गई थीं।

अनुबन्ध - II
(देखें पैरा 1.5.0)

प्रचालन प्रत्यक्ष	इकाई	1989-90		1990-91		1991-92		1992-93		1993-94		1994-95							
		भार	उच्च	निम्न	भार	उच्च	निम्न	भार	उच्च	निम्न	भार	उच्च	निम्न						
शोधनशाला कृषि घोषुट	लक्ष्य मिलियन टन	0.20	22.750	21.840	0.15	23.645	22.819	0.15	23.800	23.033	0.08	24.100	23.256	0.08	24.50	23.28	0.08	24.6	23.68
	वास्तविक		23.530			23.742			24.294			24.313			24.744			25.163	
बाजार हिस्सा	लक्ष्य प्रतिशतता		58.2	55.9		58.26	55.93		57.00	54.77		*	*		*	*		*	*
	मिलियन टन	0.15	30.617	29.392	0.09	33.508	32.168	0.07	31.2	*		*	*		*	*		*	*
	वास्तविक प्रतिशतता		57.5			57.4			56.7										
सहायता छोड़कर एल पी जी भरण	लक्ष्य टन	0.10	859.4	825.0	0.10	969.0	930.2	0.03	993	953	0.03	1127	1087	0.02	1275	1220	0.01	1364	1264
	वास्तविक		962.7			1021.0			1159.58			1258.20			1376.12			1474.55	
पाइपलाइन घोषुट	लक्ष्य मि.ट.	0.10	19.802	19.010	0.10	19.601	18.896	0.10	20.118	19.313	0.05	20.119	19.314	0.03	23.000	21.900	0.03	23.3	22.2
	वास्तविक		20.89			21.36			22.50			23.618			24.121			24.465	
बितीय																			
ब्याज (निवल), मूल्यहास एवं कर पूर्व लाभ	लक्ष्य करोड़ रु. में	0.20	730.92	672.45	0.15	794.20	730.67	0.25	730	690	0.50	865	825	0.20	1010	970	0.20	1313	1270
	वास्तविक		1171.29*			945.07*			998.87*			1141.83*			1420.22*			1950.14	
निवल लाभ	लक्ष्य प्रतिशतता													0.30	9.09	8.54	0.30	9.14	8.70
नियोजित पूंजी	वास्तविक											10.8			11.00			18.6	

* सम्बन्धित वर्षों की लाभार्थ आय को छोड़कर जैसा कि पैरा 7.2.0 में घ के अन्तर्गत दिया गया है।

अनुबन्ध III

(देखें पैरा 2.2.2)

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए निर्देशित मूल्य निर्धारण नीति

1. प्रस्तावना

भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण समय-समय पर नियुक्त तेल मूल्य निर्धारण समिति की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर निर्देशित मूल्य निर्धारण प्रणाली द्वारा शासित है। सामान्यतया मूल्य निर्धारण समिति में विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रख्यात व्यक्ति और विभिन्न सरकारी विभागों जैसे आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा, प्रशासनिक मंत्रालय, ओ सी सी तथा भा रि बै आदि से अधिकारी शामिल होते हैं।

2. सिद्धान्त

- * पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय मूल्य का निर्धारण भारत सरकार की "व्यवस्थित मूल्य निर्धारण नीति" के अन्तर्गत किया जाता है। व्यवस्थित मूल्यों का निर्धारण करने के लिए अपनाये गये मापदण्ड निम्न प्रकार हैं:
 - उत्पाद, जो साधारण आदमी के लिए आवश्यक हैं, को व्यवस्थित मूल्य निर्धारण प्रणाली के अन्तर्गत लाना चाहिए।
 - अधिक मात्रा के उत्पाद सम्पूर्ण लोक हित में मूल्य निर्धारण प्रणाली के अन्तर्गत व्यवस्थित किए जाने चाहिए।
- * पेट्रोलियम उत्पाद मूल्य निर्धारण व्यवस्था के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किए जाते हैं:
 - फारमूला उत्पाद (यथा एम एस, एच एस डी, एस के ओ, ए टी एफ, एफ ओ आदि) जिनके लिए उच्चतम विक्रय मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।
 - अन्य उत्पाद (जैसे बेंजीन, टाल्यून, एम टी ओ, ल्यूल्स आदि) जिनके मूल्य बाजार बलों द्वारा या तेल कम्पनियों और बल्क उद्योग उपभोक्ताओं (कवरेज लगभग 3%) के बीच बातचीत के माध्यम से कुल मिलाकर निर्धारित किए जाते हैं।
- * प्रत्येक शोधनशाला/पाइपलाइन/विपणन कार्य को पृथक मूल्य निर्धारण केन्द्र माना जाता है।

- * व्यवस्थित मूल्य निर्धारण प्रतिधारण संकल्पना पर आधारित है जो नियोजित पूंजी पर प्रतिफल सुनिश्चित करता है। निवल स्थायी परिसम्पत्तियों तथा आदर्शों कार्यचालन पूंजी से बनी नियोजित पूंजी निवल आय तथा उधारों के बीच बांटी जाती है। प्रतिफल निवल आय पर कर के 12% की निवल दर पर और उधारों पर वास्तविक ब्याज दर पर अनुमत किया जाता है।
- * प्रचालन लागत आदर्शों आधार पर अनुमत की जाती है। कर्मचारियों के साथ दीर्घावधि समायोजन, सरकारी लेवी आदि जैसे प्रमुख कारकों के अन्तरो की अलग से प्रतिपूर्ति की जाती है।
- * तेल कम्पनियों के लिए निर्धारित स्तरों पर प्रतिफल उपलब्ध है यदि वे नीचे दिए गए निर्धारित पैरामीटर प्राप्त करती हैं :

कच्चा तेल थूपुट/पाइपलाइन थूपुट

उत्पादन प्रतिमान

ईंधन एवं हानि

आदर्शों कार्यचालन पूंजी

प्रचालन लागत

- * कच्चा तेल लागत, जो कुल लागत का बल्क बनता है, को पूल लेखा तंत्र के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के उतार चढ़ाव से पृथक बनाया जाता है ताकि शोधनशाला को लागत स्वतंत्र हो चाहे यह आयातित या देशी कच्चे तेल का संसाधन कर रहा है। आयातित और देशी कच्चे तेल के मूल्य में अन्तर उत्पादों के विक्रय मूल्य में निर्मित आधार स्तर तक सरकारी नियंत्रित पूल लेखा में समायोजित किए जाते हैं।
- * शोधनशालाएं प्रत्येक उत्पाद के लिए निर्धारित एक्स रिफाइनरी मूल्य के आधार पर विपणन के लिए परिष्कृत उत्पादों का स्थानान्तरण करती हैं जो एक विशेष उत्पाद के सभी परिष्करणों के लिए समान हैं।
- * एक्स रिफाइनरी मूल्य सभी शोधनशालाओं के उत्पाद के प्रतिधारण मूल्य के भारित औसत पर आधारित है।
- * एक्स रिफाइनरी मूल्यों की संरचना अच्छी तरह समझने के लिए संलग्न परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत की गई है।

3. उपभोक्ताओं के लिए सीमान्त विक्रय मूल्य

उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के एक्स स्टोरेज सीमान्त विक्रय मूल्य एक्स रिफाइनरी के आगे से तैयार किए जाते हैं। एक्स स्टोरेज सीमान्त विक्रय मूल्यों (परिशिष्ट II) के परिकलन के उद्देश्य से एक्स रिफाइनरी मूल्यों में निम्नलिखित घटकों को जोड़ा जाता है।

- i) सीमा/उत्पाद शुल्क
- ii) विपणन अंश
- iii) अधिभार
- iv) उत्पाद मूल्य समायोजन (पी.पी.ए. घटक)

उत्पादों के एक्स रिफाइनरी मूल्य में उत्पाद शुल्क, विपणन अंश तथा अधिभारों को जोड़ने के बाद उत्पाद मूल्यों का एक सेट निकलता है जिन्हें उपभोक्ता से प्रभारित करने के प्रयोजन हेतु पुनः समायोजित किया जाता है। यह समायोजन, जो वितरण इक्विटी पर आधारित है और जो उपभोक्ता को रियायती दर पर एस के ओ, एल पी जी जैसे कुछ उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकारी नीतियों को प्रदर्शित करता है, उत्पाद मूल्य समायोजन (पी.पी.ए.) के माध्यम से किया जाता है। किसी उत्पाद पर दी जाने वाली रियायत की राशि उस उत्पाद के मूल्य से घटाई जाती है और कटौती को उस उत्पाद के मूल्य के प्रति ऋण पी.पी.ए. के रूप में दर्शाया जाता है। इस रियायत का भार पी.पी.ए. के माध्यम से अन्य उत्पाद (उत्पादों) को उनके मूल्य में वृद्धि के द्वारा डाल दिया जाता है अर्थात् उस उत्पाद के मूल्य के प्रति क्रास रियायत घटक पी.पी.ए. के रूप में दर्शाया जाता है और मूल्य में जोड़ दिया जाता है। इसे संक्षिप्त में ऐसे कहा जा सकता है कि पी.पी.ए. एक माध्यम है जिसके माध्यम से उत्पाद मूल्यों का रियायतीकरण/क्रास रियायतीकरण होता है। मांग को कम करने या संसाधन जुटाने के लिए कुछ उत्पादों जैसे एम एस के मूल्यों में चयनित वृद्धि के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है।

इस प्रकार प्रत्येक उत्पाद का एक्स स्टोरेज केन्द्र मूल्य धन या ऋण उत्पाद मूल्य समायोजन सहित ऊपर उल्लिखित सभी कारकों का कुल जोड़ होता है। उपभोक्ता इस मूल्य जमा भाड़ा तथा स्थानीय करों का भुगतान करता है। विटुमन, एल पी जी तथा मोम के मामले में ऊपर उल्लिखित घटकों के अतिरिक्त भराई तथा पैकिंग प्रभार भी शामिल किए जाते हैं।

4. प्राथमिक एवं गौण मूल्य निर्धारण केन्द्र

प्राथमिक

उपभोक्ता मूल्य निर्धारण में एक रूपता के प्रयोजन के लिए (भाड़ा तथा स्थानीय करों को छोड़कर) पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक मूल्य निर्धारण केन्द्र को एक

मूल्य निर्धारण क्षेत्र नियत किया गया है। उत्पादक का स्थान प्राथमिक मूल्य निर्धारण केन्द्र के रूप में निर्धारित किया गया है जबकि गोवा, ओखा, काँडला तथा कलकत्ता के बन्दरगाह प्रतिष्ठापन तथा सावरमती का पाइपलाइन टर्मिनल द्वितीयक मूल्य निर्धारण केन्द्र हैं। सभी प्राथमिक केन्द्रों पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य एक समान होंगे। एक मूल्य निर्धारण केन्द्र को नियत मूल्य निर्धारण क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानों पर मूल्य एक्स स्टोरेज केन्द्र मूल्य जमा उस स्थान तक परिवहन की लागत होगा।

वर्तमान में नियंत्रित उत्पादों के लिए सभी शोधनशालाएं प्राथमिक मूल्य निर्धारण केन्द्र हैं।

गौण मूल्य निर्धारण केन्द्र

गोवा, ओखा, काँडला तथा कलकत्ता के बन्दरगाह प्रतिष्ठापन तथा साबरमती का पाइपलाइन टर्मिनल गौण मूल्य निर्धारण केन्द्र हैं। इन गौण मूल्य निर्धारण केन्द्रों में से प्रत्येक को भी अलग-अलग मूल्य निर्धारण क्षेत्र नियत किये गये हैं। गोवा, ओखा तथा काँडला से सम्बद्ध मूल्य निर्धारण क्षेत्र उनकी स्थानीय सीमाओं तक सीमित हैं।

जबकि एक्स स्टोरेज मूल्य प्राथमिक मूल्य निर्धारण केन्द्र का मूल्य होगा, द्वितीयक मूल्य निर्धारण केन्द्र का मूल्य पूर्वानिर्धारित आधार पर उसमें परिवहन लागत का घटक जोड़ने के द्वारा निकलेगा।

5. आर पी ओ एवं वायु क्षेत्र प्रभारों सहित विपणन मार्जिन

विपणन कम्पनियों प्रतिधारण संकल्पना के आधार पर चलती हैं। गत तीन वर्षों के वास्तविक लागत आंकड़े और विपणन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत भावी मूल्य निर्धारण अवधि के अनुमान मूल्य निर्धारण समिति/तेल समन्वय समिति द्वारा विस्तृत जांच के बाद सन्तुलित किए जाते हैं और प्रत्येक विपणन कम्पनी के लिए उत्पादवार विपणन मार्जिन निर्धारित की जाती है। प्रत्येक उत्पाद के लिए सभी तेल कम्पनियों के लिए प्रतिधारण सीमा का भारित औसत एक्स स्टोरेज केन्द्र मूल्य के निर्मित मूल्य के लिए अपनाया जाता है। प्रत्येक कम्पनी की प्रतिधारण मार्जिन और निर्मित मूल्य में शामिल भारित औसत विपणन मार्जिन के बीच अन्तर पूल लेखा में समायोजित की जाती है।

विपणन कम्पनियों को लागत आंकड़ों और अन्य सम्बन्धित संगत तथ्यों की विस्तृत समीक्षा के आधार पर विभिन्न कार्यों के लिए विपणन की इकाई लागत ओ सी सी द्वारा निर्धारित की जाती है। विशिष्ट विपणन कम्पनी को प्रतिधारण संकल्पना के अनुसार विपणन मार्जिन प्रतिधारण के लिए अनुमत है और प्रतिधारण मार्जिन का भारित औसत निर्मित मूल्य से वसूल किया जाता है। विभिन्न कार्यों जिनके अन्तर्गत ऐसे मार्जिन अनुमत हैं, निम्नानुसार हैं :

क. प्रतिष्ठापन वितरण तथा प्रशासन

अ. सामान्य लागत

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रचालन व्यय और मूल्यढास हिसाब में लिए जाते हैं। प्रतिष्ठापन/वितरण और प्रशासन के प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्रचालन लागत तेल कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर आधारित है और अन्तिम दर मूल्य निर्धारण समितियों की सिफारिशों पर आधारित है।

ब. विशिष्ट लागत

एक उद्योग आधार पर प्रतिष्ठापन और वितरण के लिए उत्पाद हानि की इकाई दर इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रतिपूर्त की जाती है। यह दर प्रत्येक उत्पाद की प्रति विक्रय इकाई है।

स. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वास्तविक निवल आय पर पश्च कर 12% की दर पर पूंजी के उपयोग के लिए प्रतिफल और उधारों पर वास्तविक ब्याज पर भारित औसत दर का इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है। नियोजित पूंजी में निवल स्थायी परिसम्पत्तियां (सकल ब्लाक से मूल्यढास घटाकर) और आदर्शी कार्यचालन पूंजी शामिल है।

ख. रिटेल पम्प आउटलेट्स (आर पी ओ)

आर पी ओ के माध्यम से एम एस, एच एस डी की बिक्री के प्रति प्रचालन खर्चें और आर पी ओ पर दी गई सुविधाओं के प्रति प्रतिफल प्रतिधारण संकल्पना पर अलग-अलग कम्पनियों को प्रतिपूर्ति की जाती है।

ग. एयर फ्यूल स्टेशन (ए एफ एस)

विभाग को ए टी एफ/ए वी की बिक्री ए एफ एस पर सुपुर्दगी आधार पर है। यह घटक ऐसे कार्य के लिए क्षतिपूर्ति के प्रति है।

घ. एल पी जी भरण

समान एल पी जी भरण प्रभार निर्मित मूल्य से वसूल किए जाते हैं और प्रत्येक विपणन कम्पनी के लिए भरण लागत (प्रचालन खर्चें जमा प्रतिफल) इसके अपने संयंत्र पर एल पी जी के भरण के लिए निर्धारित की गई है। प्रतिफल के संबंध में प्रतिधारण संकल्पना के अनुसार अलग-अलग तेल कम्पनियों को लागत का प्रतिधारण करना था, उद्योग में परिचालन लागत एक समान रहती है।

6. प्रोत्साहन

मूल्य निर्धारण तंत्र दक्षता के लिए प्रोत्साहन और अकुशल प्रचालनों के लिए प्रोत्साहन न देने का प्रावधान करता है। निम्नलिखित वे घटक हैं जिन पर कुशल प्रचालनों के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है।

- क) तेल समन्वय समिति/सरकार द्वारा निर्धारित मानक कच्चा तेल थ्रूपुट की तुलना में वास्तविक थ्रूपुट में सुधार।
- ख) मानक उत्पाद प्रतिमान की तुलना में उत्पादन प्रतिमान में सुधार। गणना के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित समायोजन किए जाते हैं :
- मानक कूड मिक्स की तुलना में कूडमिक्स में अन्तर
 - वृद्धि/कमी संबंधी उपजों के फार्मूला पर आधारित वृद्धि/कमी संबंधी कूड थ्रूपुट।
 - सरकारी निदेश आदि
- ग) ईंधन एवं हानि में कमी
- घ) समुद्री हानि में कमी
- ङ.) बिक्री में वृद्धि
- च) मानक स्तर की तुलना में पाइपलाइन थ्रूपुट में वृद्धि
- छ) मानक प्रतिमानों की तुलना में एल पी जी/बिटूमन भरण स्तर में वृद्धि
- ज) बिटूमन उत्पाद के लिए इस्पात खपत में सुधार (मानक में प्रतिटन बिटूमन उत्पादन के लिए 66 कि.ग्रा. का प्रावधान है)
- झ) कार्यचालन पूंजी प्रबन्धन में दक्षता (मानक प्रतिमानों की तुलना में वास्तविक कार्यचालन पूंजी में कोई कमी कम्पनी की लाभप्रदता में सुधार करेगी)
- ञ) प्रचालन लागत- मानक प्रचालन लागत की तुलना में प्रचालन लागत में कोई कमी लाभप्रदता में सुधार करेगी।

7. उद्योग पूल लेखा

उद्योग पूल लेखाओं का तेल समन्वय समिति/भारत सरकार द्वारा प्रबन्धन इस तरीके से किया जाता है जिसमें तैयार उत्पादों पर अधिभार से एकत्रीकरण करता है, देशी/आयातित कच्चे तेल एवं उत्पादों के मूल्य में अन्तर, विनिमय उतार चढ़ाव, प्रचालन लागत प्रतिपूर्ति दावे, प्रोत्साहन दावे, भाड़ा अन्तर आदि को पूरा करने के लिए पूल लेखाओं हेतु पर्याप्त संसाधन जुटाता है।

परिशिष्ट-1

एक्स रिफाइनरी मूल्यों का निर्माण

आयातित कच्चा तेल

पूल्ड एफ ओ बी

देशी

कच्चा तेल

+

भाड़ा

+

समुद्री हानि

+

बीमा

+

घाट शुल्क

+

सहायक शुल्क

=

कूड की सुपुर्द लागत

शोधन लागत

=

3

रसायन एवं उत्प्रेरक उपयोगिता

3

उपभोज्य सामग्री वेतन तथा मजदूरी

3

मरम्मत एवं रखरखाव/उपरिव्यय

3

मूल्यहास आदि

+

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

=

प्रति मी.ट. कूड थ्रूपुट प्रतिधारण मूल्य

X

मानक थ्रूपुट

/

मानक उत्पादन X प्रत्येक उत्पाद का इंडिसेज
X प्रत्येक उत्पाद की सूची
=
उत्पाद का प्रति मी ट प्रतिधारण मूल्य

उद्योग आधार पर प्रत्येक उत्पाद के लिए भारित
औसत प्रतिधारण मूल्य
+25.00 रु.
= एक्स रिफाइनरी मूल्य

परिशिष्ट-॥

एक्स रिफाइनरी मूल्य

+

सीमा/उत्पाद शुल्क

+

विपणन मार्जिन

+

अधिभार

+

उत्पाद मूल्य समायोजन

=

एक्स स्टोरेज केन्द्र मूल्य

+

एम एस/एच एस डी के लिए आर पी ओ प्रभार/अधिभार

=

मुक्त शुल्क क्षेत्र के अन्तर्गत

एक्स रिटेल आउटलेट मूल्य

(भाड़ा एवं स्थानीय करों को छोड़कर)

अनुबन्ध-IV
(देखें पैरा 7.4)

असाधारण आय और व्यय की मुख्य मदों का विश्लेषण

लेखा वर्ष	दावा से संबंधित अवधि	संक्षिप्त विवरण	राशि (करोड़ रु. में)
1989-90	1.4.1987	तेल समन्वय समिति द्वारा अद्यतन से उत्पन्न	
	से	अतिरिक्त लाभ	80.90
	31.3.1989		
	31.3.1989 तक	जी ई बी/ए एस ई बी को आपूर्तियों पर अधिभार को अभ्यर्पित न करने पर ओ सी सी को देय ब्याज	(-) 19.21
	*	बिक्री पर लाभ/निवेश पर हानि के लिए प्रावधान	2.53
	⊙	स्थापना (वेतन संशोधन का बकाया/ तदर्थ राहत, एल टी एस आदि)	(-) 2.90
		अन्य (एल टी एस आदि के लिए ओ सी सी वृद्धि दावे)	(-) 0.70
		निवल आय	<u>60.62</u>
1990-91 •		ब्याज	8.56
	*	बिक्री पर लाभ/निवेश पर हानि के लिए प्रावधान	18.38
	⊙	स्थापना (वेतन संशोधन/तदर्थ राहत आदि)	(-) 42.13

	7.4.1987	मूल्यहास	19.81
	से	(नई वृद्धियों के लिए मूल्यहास प्रभारित	
	31.3.1990	करने में वार्षिक आधार से आनुपातिक	
		तिमाही आधार परिवर्तन का प्रभाव)	
		अन्य	
		(एल टी एस के लिए ओ सी सी वृद्धि दावे)	<u>22.10</u>
		निवल आय	<u>26.90</u>
1991-92		ब्याज	(-) 12.37
	*	बिक्री पर लाभ/निवेश पर हानि के	
		प्रावधान	9.03
	1.4.1989	अप्राप्य बिक्री कर	
	से	(राज्य सरकारों द्वारा उद्ग्रहीत पूल लेखा	
	31.3.1991	से ओ सी सी द्वारा प्रतिपूर्त)	90.62
	@	स्थापना	(-) 25.19
	2.4.1987	मूल्यहास	92.16
	से	(कम्पनी अधिनियम की अनुसूची XIV के	
	31.3.1991	अनुसार निर्धारित दरों से कम करने के	
		लिए परिवर्तित मूल्यहास का प्रभाव)	
		अन्य	2.17
		निवल आय	156.42
1992-93	1.4.1989	ओ सी सी द्वारा अद्यतन से उत्पन्न अतिरिक्त	
	से	लाभ	127.74
	31.3.1991	ब्याज	3.55
	*	बिक्री पर लाभ/निवेश पर हानि के प्रावधान (-)	16.29
	1.1.1991	गुजरात बिजली बोर्ड	
	से	दर संशोधन	36.16
	31.3.1992		

	1.4.1990	गुजरात -गुजरात एवं मथुरा	
	से	शोधनशालाओं में मानक रिफाइनरी	
	31.3.1992	धूपट का संशोधन	(-) 72.67
	1.4.1989	मथुरा	
	से	शोधनशाला	
	31.3.1992		
	@	स्थापना	(-) 21.65
		मूल्यहास	(-) 3.85
		अन्य	<u>22.17</u>
		निवल आय	<u>76.16</u>
1993-94	1.4.90 से	70% तदर्थ मार्जिन	67.58
	31.3.93		
		ब्याज-ओ सी सी निवेशों की लागत में हानि	(-) 149.59
		के प्रावधान को बट्टे खाते डालना	12.50
		अन्य	13.47
		निवल व्यय	56.04
1994-95	1992-93 से	निर्देशित मूल्य निर्धारण के अन्तर्गत	
	1993-94	बकाया 30% प्रतिधारण लाभ	307.60
		अतिरिक्त कार्यचालन पूंजी पर प्रतिफल	49.62
		31.3.1994 तक की अवधि के लिए ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण पूल को अभ्यर्पित करने योग्य विभेदक ब्याज	(-) 121.62

निवेशों की लागत में हानि के लिए प्रावधान (-)	8.33
निवेशों की बिक्री पर लाभ	12.61
अन्य	30.94
निवल आय	208.94

- टिप्पणी @ यह अधिकांशतः कर्मचारियों से वेतन संशोधन/तदर्थ राहत, एल टी एस के बकाया का द्योतक है जो पूर्व वर्षों से सम्बन्धित वर्षों के दौरान दिए गए।
- * निवेश पर लाभ/निवेश पर हानि के लिए प्रावधान हमेशा "असाधारण" के रूप में लिया गया है और इसलिए यह किसी विशेष अवधि से सम्बन्धित नहीं है।

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
VII	15	कम्पनी	उद्योग
10	3	51.8	51.9
	॥तालिका कालम 2॥		
16	अंतिम	79651	79661
18	11	194.95	1994-95
24	18	29.028	24.028
	॥कालम 7॥		
34	6	262	272
	॥कालम 3॥		
34	6	2092	2102
	॥कालम 4॥		
34	7 ॥कालम 5॥	1994	1974
34	7 ॥कालम 7॥	48.75	49.24
34	8 ॥कालम 2॥	1806	1886
34	8 ॥कालम 3॥	205	385
34	8 ॥कालम 4॥	2221	2271
34	9 ॥कालम 5॥	2260	2268
34	9 ॥कालम 7॥	50.66	50.48
34	10 ॥कालम 3॥	2501	2562
34	11 ॥कालम 2॥	2120	2128
34	11 ॥कालम 4॥	2454	2453
34	13 ॥कालम 3॥	356	256
34	14 ॥कालम 2॥	2573	2437
34	14 ॥कालम 3॥	332	217
34	14 ॥कालम 4॥	2905	2654
34	14 ॥कालम 5॥	2873	2650
34	14 ॥कालम 6॥	1471	1347
34	14 ॥कालम 7॥	51.20	50.83

34	16 (कालम 4)	2017	3019
34	19 (कालम 4)	3169	3160
34	19 (कालम 7)	49.50	59.53
34	20 (कालम 3)	307	387
34	20 (कालम 4)	3934	3034
34	20 (कालम 6)	1506	1586
34	20 (कालम 7)	48.38	50.95
34	22 (कालम 7)	50.70	50.65
34	23 (कालम 2)	2848	2447
34	23 (कालम 3)	574	579
34	अंतिम	वर्ष 1993-94 को छोड़कर	-
46	तालिका के ऊपर	-	लाख रु. में
51	तालिका के अंतिम कालम की सभी पंक्ति में क्रमशः जोड़े	-	0.02, 0.06, 0.12, 0.06, 0.05, 0.06, 0.00 0.04, 0.04, 0.04, 0.05, 0.03, 0.05, 0.07, 0.17, 0.06, 0.07, 0.08, 0.15, 0.07
75	10	18,96	18.96
83	12	13056	13156

